लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK-SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 24.1.84
Parliament Library

[खंड 21 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol.XXI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 4-गुरुवार, 14 नवम्बर, 1968/23 कार्तिक, 1890 (शक)

No. 4—Thursday, November 14, 1968/Kartika 23, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
91	उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति	Drought Conditions in U.P.	505-508
94	भारत में नेपाल से रूस में निर्मित चीनी का चोरी छिपे लाया जाना	Smuggling of Russian Sugar into India from Nepal	508-510
95	गैर-पत्रकारों के सम्बन्ध में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendation of Wage Board in respeet of non- Journalists ..	510-515
97	डाक कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार कार्य	Work to Rule by Postal Employees ...	515-518
98	संसद् की अनौपचारिक सलाहकार समितियां	Informal Consultative Committee of Parliament ...	518 520

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. सं./S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
92	बिहार में चौथी योजना के दौरान नलकूपों का लगाया जाना	Installation of Tube-wells in Bihar during Fourth Plan	520
93	विदेशी विद्यार्थियों को रेडियो तथा टेलीविजन इंजीनियरी का प्रशिक्षण	Radio and Television Engineering Traning to Foreign Students	520 521
96	व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम	Applied Nutrition Programme	521
99	चुनावों में अनिवार्य मतदान	Compulsory Voting during Elections	522-523

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्रश्न संख्या/ S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
100 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल	Central Government Employees' Token Strike	523
101 गन्ने का मूल्य	Sugarcane Price ..	523–524
102 चीनी सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण	Revision of Sugar Policy ..	524
103 औद्योगिक सम्बन्धों पर अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of the study Group on Industrial Relations ...	525
104 पालघाट में महिला टेलीफोन आपरेटरों को भगा ले जाना	Whisking away of Girl Telephone operators at Palghat	525
105 कृषि उत्पादन कार्य-क्रम	Agricultural Prod ıction Programme	525-526
106 खरीफ फसल को हानि	Damage to Kharif Groups	526
107 खरीफ फसल का लक्ष्य	Target for Kharif Crop ...	526
108 खाद्य निगम द्वारा राजस्थान में खरीद	Food corporation's purchase in Rajasthan ..	527
109 दंडकारण्य के डाक तथा तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता	Project allowance to Dandakaranya P & T Staff ...	527–528
110 वनस्पति घी के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Vanaspati Prices	528
111 केरल को चावल की सप्लाई	Supply of Rice to Kerala	529
112 डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये कल्याण योजना	Welfare Scheme for Posts and Telegraphs Staff	530–531
113 अनाज की वसूली	Procurement of Food ...	531–532
114 नियोजकों द्वारा विवादों को मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजने से इन्कारी	Refusal to refer Dispute to Arbitration by Employees ...	532–533

तां. प्र. संख्या/S.Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
115 आंध्र प्रदेश में सूखा	Drought in Andhra Pradesh	533
116 गो हत्या के विरुद्ध आन्दोलन	Agitation against cow slaughter	533 534
117 केन्द्रीय श्रम संगठनों से अभ्यावेदन	Representation from the Central Labour Organisations	534
118 गुजरात में टेलीफोन बिलों की बकाया राशि	Arrears of Telephone Bills in Gujarat... ...	534-535
119 रोजगार सम्बन्धी प्रादेशिक प्राथमिकता प्रणाली का समाप्त किया जाना	Abolition of the System of Regional Preference of Employment	535
120 पी. एल. 480 के अन्तर्गत अनाज का आयात	Import of Foodgrains under P.L. 480.. ...	535
अता. प्र. सं./U.S.Q.Nos.		
560 यवतमाल जिले के ग्रामों में टेलीफोन एक्सचेंज चालू करना	Opening of Telephone Exchange in Village of yeotmal District	536
561 भारत में कृषि विश्वविद्यालयों का स्वरूप	Pattern of Agricultural Universities in India	536–537
562 डाक व तार विभाग में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे	Re-imbursement of Medical claims in P & T Department	537–538
563 कोयला खानों में दुर्घटनायें	Accidents in Coal Mines	538
564 खुले माल डिब्बों में भेजे गये अनाज की क्षति	Damage of Foodgrains transported in open Wagons	538–539
565 कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आदि का आयात	Import of Calcium Ammonium Nitrate etc. ..	539–540
566 कार्य-भारित प्रणाली	Work charged System	540
567 मजदूरों की ठेका प्रणाली	Labour Contract System	540
568 चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशें	Recommendations of Sugar Wage Board ..	540–541

569 पश्चिमी बंगाल में हड़तालें, तालाबन्दियां और कारोबार का बन्द होना	Strikes, Lockouts and Closures in West Bengal ..	541
570 भूमिगत जल सर्वेक्षण योजनाएं	Sub soil Water Survey Scheme	541
571 हिन्दी रिपोर्ट	Hindi Reports	511-542
572 कपास का उत्पादन	Production of Cotton	542
573 राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अकाल-ग्रस्त व्यक्तियों को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Famine Stricken Schedulled Castes and Scheduled Tribes in Rajasthan ...	543
574 संयुक्त अरब गणराज्य और इसराइल के बीच हुए युद्ध के दौरान जब्त किया गया माइलों अनाज	Milo seized during UAR-Isreal war ..	543
575 निर्यात के लिये सब्जियों की किस्में तैयार करना	Development of Vegetables for Export ...	544
576 जापान में सब्जियों से तैयार किया गया मांस रहित मांस	Meatless Meat product from vegetable sources in Japan	544
577 फसल बीमा योजना	Crop Insurance Scheme	544-545
578 देश में सूखा	Drought in the country	545-546
579 कर्मचारियों सम्बन्धी स्थिति	Staff Position	546
580 मध्य प्रदेश में डाक व तार घरों के लिये इमारतें	Accommodation for P & T Offices in Madhya Pradesh	547
581 मध्य प्रदेश के देवास तथा शाजापुर जिलों में किराये के भवनों में डाकघर	Post Offices in rented buildings in Dewas and Shajapur, M.P.	547

अता. प्र. संख्या./U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
582 खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of Foodgrains ...	548
583 पंजाब में रूई की उपज	Cotton Lield in Punjab	548
584 पंजाब में वनस्पति घी की कमी	Shortage of Vanaspati Oils in Punjab... ...	548–549
585 पंजाब में सूखे की स्थिति	Drought in Punjab ...	549
586 मंत्रणा समितियां और बोर्ड	Advisory Committee and Boards ...	549
587 कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of the Recommendations of the Coal Wage Board	550-551
588 खाद्यान्न गोदामों के ढांचे	Foodgrains Storage Structures	551
589 खाद्य के बारे में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Chief Minister's Conference on Food.. ...	552–553
590 खाद्य उत्पादन	Foodgrains Production ...	553
591 डाक तथा तार विभाग द्वारा जारी किये गये डाक टिकट	Postal Stamps issued by the P &T Deptt. ...	553
592 दिल्ली में एक और सुपर बाजार खोलना	Opening of another Supper Bazar in Delhi ...	554
593 वर्षा के कारण रास्ते में गेहूँ की बोरियों की क्षति	Damage of Wheat bags in transit due to rains ...	554–555
594 करनाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतों की गणना में अनियमितताएं	Irregularities in the counting of votes in Karnal Parliamentary Constituency...	555
595 कृषि मूल्य आयोग	Agricultural Prices Commission	555–556
596 कोयला उद्योग में श्रमिक स्थिति	Labour Situation in Coal Industry	556–557
597 अनाज का रक्षित भंडार	Buffer Stock of Foodgrains	557
598 कपड़ा उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन	Report of Wage Board on Textile Industry ...	557–558

599	प्रादेशिक भाषाओं में टेली-फोन निर्देशिका	Telephone Directory in Regional Languages...	558–559
600	इन्डियन इलैक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता की कर्मचारी भविष्य निधि	Employees provident Fund of Indian Electric Works Ltd. Calcutta	559
601	नैनीताल जिले में गोसदन में आवारा गायें, बछड़े और सांड	Stray Cows, Calves and Bulls at Gosadan in Nainital District	560
602	डाक तथा तार विभाग में हड़ताल	Strike in P & T Department ...	560–561
603	मोडर्न बेकरीज़ (इन्डिया) लिमिटेड,	Modern Bakeries (India) Ltd. ..	561
604	मोडर्न बेकरीज़ (इन्डिया) लिमिटेड	Modern Bakeries (India) Ltd. ..	561
605	मोडर्न बेकरीज़ (इन्डिया) लिमिटेड	Modern Bakeries (India) Ltd.	562
606	डाक-तार कर्मचारियों का राष्ट्रीय संघ	National Federation of P & T Employees ..	562
607	अनाज के उत्पादन के अनुमानों के बारे में मतभेद	Discrepancies in regard to Estimates of Foodgrains Production	562–563
608	केरल में खाद्य संकट को हल करने के लिये प्रस्ताव	Proposals to solve Food crisis in Kerala	563
609	बर्मा, श्री लंका तथा अन्य देशों से स्वदेश लौटे व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Repatriates from Burma, Ceylon and other countries	563–564
610	उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में चकबन्दी	Consolidation of Holdings in District Azamgarh in Uttar Pradesh	564
611	गो-हत्या निरोध संबंधी समिति	Committee on Cow Slaughter	564–565

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
612 मध्यावधि मतदान	Mid term Polls ...	565
613 रेल डाक सेवा	Railway Mail Service	565-567
614 डाक तथा तार विभाग में भर्ती	Recruitment in P & T Department ..	567
615 किसानों के लिये दीर्घकालीन ऋण	Long Term Loans to Farmers	567
616 गुजरात में साधारण निर्वाचन पर खर्च	Expenditure on General Elections in Gujarat	568
617 गुजरात में शिक्षित लोगों की बेरोजगारी	Educated unemployed in Gujarat	568
618 गुजरात में भूबन्धक बैंकों को सहायता	Assistance to Land Mortgage Banks in Gujarat ..	568-569
619 मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करना	Enforcement of Wage Board ..	569-570
620 सरकारी समितियों तथा शिष्टमंडलों के लिये नामनिर्देशन	Nominations to Governmental Committees and Delegations	570
622 अखिल भारतिय कांग्रेस समिति कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार	A.I.C.C. Consumers Cooperative Stores ..	570-572
623 कृषि के बारे में प्रचार सामग्री	Publicity Material Pertaining to Agriculture..	571-572
624 पंजाब तथा हरियाणा में अनाज की बरबादी	Destriction of Foodgrains in Punjab and Haryana ...	572
625 डाक तथा तार विभाग के प्रपत्रों तथा नियमावलियों का हिन्दी अनुवाद	Hindi Translation of Forms and Manuals of P & T Department	572-573
626 प्रपत्रों तथा नियमावलियों का हिन्दी में अनुवाद	Translation of Forms and Manuals into Hindi	573

627 सरकारी कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल	Token Strike of Government Employees	573–574
628 प्रपत्रों तथा नियमावलियों का हिन्दी में अनुवाद	Hindi Translation of Forms and Manuals ..	574
629 उड़ीसा में स्वचालित टेली-फोन केन्द्र	Automatic Telephone Exchanges in Orissa ..	574–575
630 उड़ीसा में लघु सिंचाई योजनायें	Minor Irrigation Schemes in Orissa ...	575
631 उड़ीसा में खाद्यान्नों का समाहार	Procurement of Foodgrains in Orissa... ..	576
632 दिल्ली में वनस्पति घी का वितरण	Distribution of Vanaspati in Delhi	576–577
633 आयातित माइलो की बिक्री	Sale of Imported Milo	577
634 दक्षिण में संसद् का सत्र	Parliament Session in the South ..	577–578
635 विदेशों से सीधे चावल का आयात करने की केरल सरकार की प्रार्थना	Kerala Government's request for Import of Rice direct from abroad	578
636 मक्का का हरियाणा से बाहर ले जाया जाना	Movement of Maize out of Haryana ..	578–579
637 केरल को चावल की सप्लाई	Supply of Rice to Kerala ...	579
638 खाद्यान्न की वसूली	Food Procurement	580
639 विभिन्न राज्यों में चारे की कमी	Shortage of Fodder in various states ...	580
640 राजस्थान में सूखा	Drought in Rajasthan	581
641 नैनीताल जिले के गूलरभोज गोसदन में गायों की दयनीय दशा	Wretcohed conditions of cows in Gularbhoj Gosadan of Nainital District	581–582
642 सूखे के कारण राजस्थान में अनाज की कमी	Deficit of Foodgrains in Rajasthan due to drought ..	582

अता.प्र.संख्या./U S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी) WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
643 दक्षिण पटेल नगर, दिल्ली के प्लाटों के अलाटियों को दिया गया आश्वासन	Assurance given to allottee of plots of South Patel Nagar, Delhi	582-583
644 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल	Central Government Employees token strike	583
645 पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Dispalced persons from East Pakistan	583-585
646 दिल्ली में गेहूं की कीमतों में वृद्धि	Rise in wheat price in Delhi ..	585
647 बिहार के तिरहुत डिविजन में टिड्डियों का आक्रमण	Locust invasion in Tirhut Division of Bihar...	585-586
648 उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of Fertilizers	586-587
649 धान का उत्पादन और उस की वसूली	Paddy Production and Procurement	587
650 इन्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का दूसरा कारखाना	Second Unit of Indian Telephone Industries	588
651 राजस्थान में दूर संचार उपकरणों का निर्माण का कारखाना	Factory for manufacture of Telecommunications equipment in Rajasthan	588
652 बनस्पति की बिक्री तथा वितरण	Sale and distribution of Vanaspati	589
653 राजस्थान में चारे की कमी	Shortage of Fodder in Rajasthan	589-590
654 खाद्यान्नों को गोदामों में रखना	Storage of Foodgrains	590-591
655 काजू उद्योग	Cashewnut Industry	591
656 विशेष प्रकार के धान का किस्म का तैयार करना	Development of a particular variety of Paddy	591-597

657 आसाम में सूखे के कारण खाद्य फसलों की क्षति — Loss of Food Crops by Drought in Assam ... 592

658 दिल्ली में वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि — Rise in Vanaspati Prices in Delhi 592

659 तारा सहकारी गृह-निर्माण समिति, नई दिल्ली — Tara Cooperative House Building Society, New Delhi 592

660 कृषि मूल्य आयोग — Agricultural Prices Commission 593-594

661 सघन खेती तथा पैकेज कार्यक्रम — Intensive Agriculture and Package Programmes 594

662 डाक व तार विभाग में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे — Re. Imbrusement of Medical claims in P. & T. Departments 594-595

663 अनाज का आयात — Import of Foodgrains 595-596

664 मैसर्स रिलायन्स कन्सट्रक्शन (प्राइवेट) लिमिटेड की कर्मचारी भविष्य निधि — Employees Provident Fund of M/s Reliance Construction (Pvt.) Ltd. 597

665 हट्टी स्वर्ण खान कर्मचारी संस्था की मांगें — Demands of the Hutti Gold Mines Employees Association 597-598

666 हड़ताल में भाग लेने वाले डाक तथा तार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही — Action against P & T Employees for participation in strike 598-599

667 गेहूँ का मूल्य — Price of Wheat 599-600

668 अनाज का संग्रह करने, अनाज के उतारने–चढ़ाने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में होने वाली हानि संबंधी समिति — Committee on Food Storage, Handling and Transit Loss 600

669 औद्योगिक कर्मचारियों की पारिवारिक पेन्शन सम्बन्धी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन — Report of Working Group on Family Pension to Industrial workers 600-601

670 अन्दमान फारेस्ट यूनियन और पी. डब्ल्यू. डी. वर्कस यूनियन की मांगें	Demands of the Andaman Forest Union and P W D Workers' Union	601
671 अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह संबंधी न्यूनतम मजूरी सलाहकार समिति का प्रतिवेदन	Report of Minimum Wage Advisory Committee for Andaman & Nicobar Island	602
672 केरल में मत्स्य पालन उद्योग का विकास	Fisheries Development in Kerala	602–603
673 वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Vanaspati Prices	603
674 दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कर्मचारियों को जबरी छुट्टी	Laying off of Durgapur Steel Plant Workers...	603
675 मैसूर में अकाल	Drought in Mysore	603–605
676 कृषि विज्ञान स्नातक	Graduates in Agricultural Science	605
677 गौ-संरक्षण समिति	Cow Protection Committee	605–606
678 टेलीफोन के सामान और उपकरण का उत्पादन	Production of Telephone Stores and equipments	606
679 ब्रिटेन द्वारा भारत को उर्वरकों का उपहार	Gift of Fertilizers to India from U.K. ...	606–607
680 पुरानी लाजपत राय मार्केट, दिल्ली में दुकानें	Shops in old Lajpat Rai Market, Delhi ...	607
681 जोधपुर तार इंजीनियरी डिवीजन में यात्रा भत्ता बिल	T.A. Bills in Jodhpur Telegraph Engineering Division	607
682 जोधपुर तार इंजीनियरी डिवीजन	Jodhpur Telegraph Engineering Division ...	608
683 बिहार में छोटी सिंचाई की सुविधाएं	Minor Irrigation facilities in Bihar	608

684 अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों की खेती	Cultivation of high yielding varieties of Foodgrains	609
685 अधिक उपज देने वाली किस्म के अनाजों के बीजों की खेती	Cultivation cf high yielding varieties of Foodgrains seed ...	609–610
686 खाद्यान्नों का समाहार मूल्य	Procurement prices of Foodgrains	610
687 उत्तर प्रदेश में चावल मिलें	Rice Mills in U.P.	610–611
688 कुऐं खोदने के लिये खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा भारत को सहायता	F.A.O. Aid to India for digging of wells ...	611
689 कुक्कुट टीकों के लिये हिमीकरण शुष्कन (फ्रीज-ड्राइंग) मशीने	Freeze Drying Machines for Poultry Vaccine	611–612
690 मत्स्य पालन विकास का जोरदार कार्यक्रम	Fisheries Development Crash Programme ...	612–613
692 मध्य प्रदेश में बेरोजगार व्यक्ति	Unemployment in M.P.	613–614
693 हड़ताल में भाग लेने वाले डाक व तार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action taken against P & T Employees who participated in strike	614–615
694 पोस्टमास्टर जनरल, अम्बाला का कार्यालय	Office of the Post Master General, Ambala ..	615–616
695 फैक्टरी अधिनियम का उल्लंघन	Violations of Factory Act	616
696 भूमि पर गैर-कानूनी कब्जा	Illegal Occupation af Land	616–617
697 खाद्यान्नों की क्षति	Damage of Foodgrains ...	617
698 उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in U.P.	617–618

तारा. प्र. सं./U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
699 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के संसद् सदस्य	Scheduled Castes and Scheduled Tribes M. Ps.	618
700 हिन्दुस्तान व्हीकल्स कम्पनी लिमिटेड का बन्द हो जाना	Closure of Hindustan Vehicles Co. Ltd. ...	618–619
701 बिलों का भुगतान न किये जाने के कारण टेलीफोन कनेक्शन का काट दिया जाना	Disconnection of Telephones in case of Nonpayment of Bills	619
702 हड़ताल के कारण डाक तथा तार विभाग के काम पर प्रभाव	Effect on the working of P & T Department due to strike	619–620
703 सालनपुर कोयला खान में दुर्घटना	Accident in Salanpur Colliery	620–621
704 विद्यापति की स्मृति में डाक टिकट	Commemorative Stamp in Memory of Vidyapati	621
705 अनाज की प्रति-व्यक्ति उपलब्धता	Per-capita availability of cereals	621–622
706 बढ़ी हुई डाक दरों से आय	Income from enhanced Postel rates	622
707 बेरोजगार व्यक्ति	Un-employed persons	622–623
708 मजूरी बोर्ड तथा न्यायाधिकरणों को स्थापित करने के लिये कसौटी	Criteria for setting up wage Boards and Tribunals	623
709 देश में नलकूपों का खोदा जाना	Sinking of Tube wells in the country	623624
710 डाक तथा तार विभाग में चिकित्सा सम्बन्धी व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे	Re-imbursement of Medical Bills in P & T Department	624

711 राजस्थान विधान सभा के मेड़ता निर्वाचन क्षेत्र में मतों का हेर-फेर	Bungling of votes in Mertha Vidhan Sabha Constituency in Rajasthan	624-625
712 रूसी ट्रेक्टरों का आयात	Import of Russian Tractors	625
713 दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme	626
714 कृषि ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पी.एल. 480 के धन का प्रयोग	Use of PL 480 Funds to meet the Agricultural credit requirements	626–627
715 भण्डागार क्षमता का निर्माण	Construction of Storage Capacity	627
716 श्री लंका को टेलीप्रिंटरों का निर्यात	Export of Teleprinters to Ceylon ...	627–628
717 इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज	Indian Telephone Industries	628
718 गुड़ की कीमतों पर नियंत्रण	Control on Gur prices	628–629
719 आयल इंडिया (लिमिटेड) दुलियाजन	Oil India (Ltd). Duliajan	629
720 आयल इन्डिया लिमिटेड में हड़ताल	Strike in Oil India, Ltd	629–630
721 मुन्घेर में टेलीफोन तथा तार की अव्यवस्था	Defective working of Telephone and Telegram arrangements in Monghyr	630
722 मध्य प्रदेश में नर्मदा बेसिन में भूमि पर खेती	Land Cultivation in Narmada Basin in M.P.	630–631
723 नजरबाग कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, लखनऊ	Nazarbagh Employees State Insurance Dispensary, Lucknow	631
724 आंध्र प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय	Employees State Insurance Dispensaries in Andhra Pradesh	631–632
725 उत्तर प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय	Employees State Insurance Dispensaries in Uttar Pradesh	632–633

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

726	राज्यों की चीनी की आवश्यकताएं	Sugar requirements of States	633–634
727	इटावा में अछलदाह स्थित कोशलपुरी फार्म	Kaushalpuri Farm, Achhalda, Etawah	634–635
728	इटावा के जिला अधिकारियों द्वारा संचार संदेशों पर व्यय	Expenditure on Communication message by District Authorities of Etawah	635
729	कर्मचारी राज्य बीमा निगम में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिये द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के सुरक्षित पद	Reservation of Class II and III Posts for persons belonging to Scheduled Castes in the Employees State Insurance Corporation	635
730	विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार	Land Reforms in various States	636–638
731	केरल में बेरोजगार बीड़ी कर्मचारी	Un-employed Bedi Workers in Kerala ...	638–639
732	उत्तर प्रदेश में ग्राम समाज, सहकारी समितियों तथा वन विभाग के अधीन भूमि का क्षेत्रफल	Area of land under Gram Samaj, Co-operative Societies and Forest Department in U.P.	639
733	मथुरा जिले में शेरगढ़ और नान्हझील के भूमिहीन श्रमिकों को भूमि का आवंटन	Allotment of land to Landless labourers of Shergarh and Nauhjhil in Mathura District	639–640
734	जापान से चावल का आयात	Import of rice from Japan	640
735	मैसूर के जंगलों में रिंडरपेस्ट (पशु प्लेग) की महामारी	Rinderpest Epidemic in Mysore Forests ..	640–641
736	आसाम में अनाज की कमी	Shortage of Foodgrains in Assam	641
737	सरकारी उपक्रमों में हड़ताल पर प्रतिबन्ध	Ban on Strike in Public Undertakings ...	641–642

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
738	अनाज का मंडी में पहुँचना	Arrival of Foodgrains in the Market	642
739	आस्ट्रेलिया से गेहूं	Wheat from Australia	642–643
740	भूमिहीन तथा खेतीहर मजदूरों की आवश्यकता पर आधारित मजूरी	Need based wage of Landless and Agricultural labourers	643
741	विधायकों की गोष्ठी	Seminar of Legislators ...	643–644
742	मंदसौर के स्लेट पेंसिल निर्माण कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी	Employees working in Stlate Pencil Manufacturing Factories in Mandsaur	644
743	होटलों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Hotels	644
744	भगत सिंह के सम्मान में स्मृति टिकट	Commemorative Stamp in Honour of Bhagat Singh	644–645
745	साहित्यार्थी एल. एन. बेजबरुआ की जन्म शताब्दी पर स्मृति टिकट	Commenmoration Stamp on the Birthday centenary of Sahityarathi L.N. Bezbaroa..	645
746	नारियल, सुपारी और इमारती लकड़ी का विपणन	Marketing of coconuts, Betelnuts and Timber	645–646
747	अनाज के मूल्य में गिरावट	Fall in Prices of Foodgrains ...	646
748	उत्तर प्रदेश में हरिजन मतदाता	Harijan Voters in U.P.	646–647
749	बांदा जिले में परसराम ताल	Parasram Pond in District Banda	647
750	पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों से प्लाटों के आवंटन पर पंजीयन शुल्क लिया जाना	Registration fee for Allotment of Plots to displaced persons from East Pakistan ...	647–648
752	सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	Service conditions of Government Employees	648
753	भूमि उच्चतम सीमा विधान की सफलतायें	Achievements of land ceiling Legislations ...	648-650

अता. प्र. संख्या/U.S.Q.Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
754 सरकारी भूमि का आवंटन	Allotment of Government land ...	650–651
755 ग्रामीण परिवारों के पास खेती योग्य भूमि	Cultivable land with Rural Families	651–652
756 संचार विभाग के सम्बद्ध सलाहकार बोर्ड तथा समितियां	Advisory Boards, Committees attached to the Communications Department	652
757 इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	Indian Iron and Steel Co.	652-653
758 केम्पों में रहने वाले मजदूर	Workers living in Camps	653–654
759 उद्योगों में न्यूनतम मजूरी	Minimum Wages in Industries	654
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	654–660
उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में व्यापक छात्रों द्वारा छात्र आन्दोलन	Widespread student agitation in U.P. Universities	654
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	660-663
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee ..	663
59वां तथा 62वां प्रतिवेदन	Fiftyninth and sixtysecond Reports	663
नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter Under Rule 377	663
केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में प्रधान मंत्री की विरोधी दलों के नेताओं के साथ बैठक	P.M's meeting with opposition leaders re. Central Govt. employees strike ...	663–664
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill	664
सदस्य की संयुक्त समिति में नियुक्ति	Appointment of Member to Joint Committee	664
श्री मधु लिमये की गिरफ्तारी के बारे में	Re. Arrest of Shri Madhu Limaye	665–666

विषय	Subject			पृष्ठ/Pages
जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक (जारी)	Registration of Births and Deaths Bill (Contd,)	...	..	667
खंड 10	Clause 10	...	..	667
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक	Central Industrial Security Force Bill...		...	675
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to Consider, as passed by Rajya Sabha	...	...	675
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	..	...	675
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	...	...	682
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	...	...	682
श्री जी. विश्वनाथन	Shri G, Viswanathan	...	...	683
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	...	...	684
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	...	...	684
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Naval Kishore Sharma	...	...	685
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	...	...	686
श्री दी. च. शर्मा	Shri D.C. Sharma	..	...	686

लोक-सभा
LOK-SABHA

गुरुवार, 14 नवम्बर 1968/23 कार्तिक, 1890 (शक)
Thursday, November 14, 1968/Kartika 23, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Drought Conditions in U. P

+

*** 91. Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Yajna Datt Sharma :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the names of the Districts of U. P. affected by drought and the percentage of crops destroyed as a result thereof;

(b) the steps taken to provide relief to the drought-stricken people; and

(c) whether special concessions would be given for the installation of new tube wells ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में सूखे की स्थिति है :—

बांदा

वाराणसी

मिरजापुर

जौनपुर

गाजीपुर

आजमगढ़

प्रतापगढ़ और इलाहाबाद ।

विभिन्न क्षेत्रों में फसलों की क्षति 18 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच है ।

(ख) राज्य सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को मुफ्त सहायता के लिए 38,84,300 रुपये और संकट तकावी के लिए 88,00,000 रुपये दिये हैं । आवश्यकता पड़ने पर और राशि का आवन्टन किया जाएगा ।

(ग) सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में प्राइवेट नलकूप के बारे में कोई विशेष रियायतें देने का विचार नहीं है लेकिन प्राइवेट नलकूपों को बिजली देने का लक्ष्य बढ़ाया गया है । किसान नलकूप लगाने के लिए भूमि बन्धक बैंकों, कृषि रिफाइनास निगम और कृषि-उद्योग निगम से भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं ।

Shri Ram Swarup Vidyarthi : May I know the number of tubewells sunk by Government so far in the states enumerated by him and how many of them, are working and how many are not working along with the reasons therefor ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मेरे पास जिलावार आंकड़े नहीं हैं । परन्तु मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से एक है जहां प्रतिवर्ष सबसे अधिक नलकूप लगाए जाते हैं और राज्य सरकार के पास एक अच्छा नलकूप संगठन है जो नलकूप लगाने के काम की अच्छी तरह निगरानी करता है ।

Shri Ram Swarup Vidyarthi : According to the estimates of Scientists, there is abundance of underground water in the area falling between the Ganga and the Yamuna rivers. Inspite of this, drought conditions are prevailing there. May I know what steps Government have taken to make use of the underground water available there ? Will Government solve this problem itself or leave it for some other Government to solve ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : चालू वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार का 570 नलकूप, 80000 खुले मुंह वाले कूएं, 90,000 छिद्रण कूएं, लगभग 25000 बिजली के पम्प और 20,000 गैर-सरकारी कूएं खोदने का कार्यक्रम है । यदि इतने अच्छे कार्यक्रम में वे कुछ और सुधार लाना चाहते हैं तो वे अपने सुझाव दे सकते हैं ।

Shri Jharkande Rai : The Patel commission was set up to go into the question of the development of the eastern region of U. P., particularly to lay more emphasis on the irrigational facilities. Government took some action on the report of the Commission but due to some reason the work was stopped later on. May I know whether Government intend to implement the recommendations of the Patel Commission fully so that the problem of drought in the eastern districts of U. P., during the last four years could be solved ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य के लिए जो उपाय किये जा रहे हैं, उनका मैं उल्लेख कर चुका हूं । यदि माननीय सदस्य पटेल आयोग के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वे पर्याप्त सूचना दें, ताकि राज्य सरकार से यह जानकारी प्राप्त की जा सके।

Awadesh Chandra Singh : Is some concession other than loan given to persons desirous of sinking personal tubewells in these districts and if so, the nature thereof ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस समय निजी नलकूप लगाने के लिये कोई अर्थ-सहायता नहीं दी जाती है, परन्तु उन कृषकों को जिनके पास 10 एकड़ से कम भूमि है, कुछ अर्थ-सहायता दी जाती है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The name of Gonda is not there in the list of districts mentioned by him. I represent Gonda in this House. A part of Gonda district is in the grip of drought and the plight of the farmers is very miserable there. I want to know the basis on which this information has been collected. Why all the districts have not been included in it ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमने यह प्रश्न राज्य सरकार को भेजा था और राज्य सरकार की सूचना के आधार पर मैंने जिलों के नाम लिए हैं । माननीय सदस्य ने जिस क्षेत्र का उल्लेख किया है उसके बारे में मै राज्य सरकार को सूचना भेजने के लिए अनुरोध करूंगा ।

जहां तक नलकूपों को चालू करने का सम्बन्ध है, यह सच है कि यदि हम नलकूप लगायें और उन्हें न चलायें तो वह खर्च बेकार का खर्च हो जाता है । मेरे मंत्रालय ने इस ओर ध्यान दिया है और हमने राज्य सरकार से इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिये कहा है ।

Shri Achal Singh : May I know the number of tubewells sunk in Agra and Mathura during the last three years ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं विशिष्ट जिलों के बारे में उत्तर नहीं दे सकता ।

Shri Shiv Charan Lal : Govt. officials are stopping the few tubewells sunk in Ferozabad district by stealing certain things therefrom. More tubewells should be sunk there, which is a drought affected area.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं जो कुछ कह चुका हूं, उससे अधिक कुछ नहीं कह सकता ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Is it a fact that farmers are given loans by banks for sinking tubewells after ascertaining from them that they have undergone vasectomy operation ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं नहीं समझता कि यह जानकारी सही है । वास्तव में कृषि-सहायता के लिये अधिक उदारतापूर्ण संस्थाओं के माध्यम से धन दिया जा रहा है । भूमि विकास बैंक है, कृषि उद्योग निगम है और हम अन्य बैंकों को भी नलकूपों के लिए उदारतापूर्वक मध्यावधि ऋण देने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं ।

Shri Chandrika Ram : The name of Ballia has been left out of the list of districts enumerated by the hon. Minister. This area has been affected by drought.

Mr. Speaker : That will also be seen.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अगस्त के अन्त तक तथा सितम्बर के आरम्भ में वर्षा नहीं हुई थी । उसके बाद उत्तर प्रदेश के अनेक भागों में बड़े पैमाने पर वर्षा हुई है और स्थिति में काफी सुधार हुआ है ।

श्री एस० एम० सोलंकी : गुजरात के कुछ जिलों में भी सूखा पड़ा है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उत्तर प्रदेश के बारे में है ।

Smuggling Of Russian Sugar Into India From Nepal

***94. Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that large quantity of Russian sugar is being smuggled into Champaran District (Bihar) from Nepal for the last 8—9 months;

(b) whether it is also a fact that this sugar is being carried to several parts of Bihar and West Bengal; and

(c) if so, the reaction of the Central Government in this regard ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख): जी हां, रूस, चैकोस्लोवाकिया और पोलैंड में निर्मित चीनी की कुछ मात्रा नेपाल से बिहार के चम्पारन जिले में चोरी-छिपे ले जाते समय पकड़ी गई है । यह पता नहीं कि यह चीनी पश्चिमी बंगाल ले जाई गई है या नहीं । लेकिन रूस और अन्य तीसरे देश में बनी कुछ चोरी छिपे लाई गई चीनी बिहार राज्य के दूसरे भागों में भी पकड़ी गई है ।

(ग) केन्द्रीय आबकारी प्राधिकारियों ने इसे रोकने के लिए चलते-फिरते गश्त में और भी तेजी ला दी है और सीमान्त पर स्थित निगरानी चौकियों पर नियुक्त अधिकारियों को सावधान रहने के लिए सतर्क कर दिया गया है ।

Shri Bibhuti Mishra : Inspite of all these efforts, smuggling of sugar into India is rampant, which has adverse effect on the sale of Indian sugar. May I know the steps being taken by Government to check smuggling on West Bengal and U. P. borders ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : कोई भी प्रयत्न शत प्रतिशत त्रुटिहीन नहीं हो सकता । हमने सीमान्त चौकियों पर निगरानी कड़ी कर दी है । हमारे देश में चीनी के उत्पादन में वृद्धि हो जाने पर इस चोर बाजारी से अधिक लाभ न होने के कारण यह तस्करी स्वतः ही बन्द हो जायेगी । गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष चीनी का उत्पादन अधिक होने की आशा है ।

Shri Bibhuti Mishra : I may inform the hon. Minister that all the steps taken so for by Government are inadequate. The Excise Department allows the sugar to be smuggled when the palms of its authorities are greased. May I know the steps proposed to be taken by Government to check it, so that the sale of Indian sugar is pushed up ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करेंगे और इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल करेंगे ।

Shri George Fernandes : Russia, Poland, Czechoslovakia are all communist countries. If their sugar is being smuggled into India through Nepal, we should have drawn their attention towards it. May I know whether our Government have sent communications to those countries seeking their help in checking this kind of smuggling ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य को ऐसी जानकारी कहां से मिल जाती है । उन देशों में अपनी चीनी किसी भी गैर-सरकारी कम्पनी को बेचने से कोई मना नहीं कर सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : वे अपना व्यापार चलाती हैं ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जी, हां । गैर-सरकारी पक्ष अपना व्यापार करते हैं । जो चीनी पकड़ी गई है वह मूलतः इन देशों की ही है ।

Shri George Fernandes : That is no answer to my question. The answer given by him is not satisfactory.

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रश्न समझ लिया है । बात यह है कि रूसी सरकार गैर-सरकारी पक्षों को सरकारी तौर पर चीनी बेचती है, और वे पक्ष इस प्रकार का व्यापार करते हैं । मन्त्री महोदय का उत्तर यही है ।

Shri Mrityunjay Prasad : I have seen sugar of Chinese origin in my own village which has different colour. Not only sugar but other things are also, being smuggled into India. So long we do not tighten our excise check posts, it cannot be checked. May I know the steps being taken in this direction ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं अभी कह चुका हूँ कि उत्पादन शुल्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का इस ओर ध्यान दिलाया जायेगा और वे निश्चय ही इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही करेंगे ।

Shrimati Tarkeshwari Sinha : Excise officials or check posts cannot check smuggling which is taking place through the borders of Nepal. I think this matter should be throughly discussed with the Government of Nepal. Our Government had also considered on these lines. May I know whether Government have initiated talks on this matter with Nepal Government; and if so, the result thereof ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक भारत और नेपाल के बीच के व्यापारिक सम्बन्धों की बात है दोनों देशों के बीच उन वस्तुओं को निर्बाध रूप से लाया लेजाया जा सकता है, जिनका उत्पादन मूल रूप से भारत और नेपाल में होता है । जो वस्तुएं अन्य देशों में निर्मित हुई हैं, उनके आयात और निर्यात पर पाबन्दी है । तस्कर व्यापारी की समस्या पर सरकार विचार कर रही है । मैं माननीय सदस्या के सुझाव का स्वागत करता हूं ।

श्री हेम बरुआ : भारत-नेपाल सीमा पर कोई आयात-निर्यात सम्बन्धी बन्धन नहीं है, इसलिए सरकार इस सीमा पर से होने वाले तस्कर व्यापार को बन्द करने के सम्बन्ध में सीधे नेपाल सरकार से बात क्यों नहीं करती ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं माननीय सदस्य का सुझाव पटना के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारी के पास भेज दूंगा।

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। भारत और चीन के बीच व्यापारिक सम्बन्धों ने इस मामले को अधिक जटिल बना दिया है। इस सम्बन्ध में नेपाल सरकार से भी बातचीत की गई है और हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं, जिससे इस प्रकार का तस्कर व्यापार बन्द हो जाये। अन्य देशों में निर्मित वस्तुओं के भारत को निर्यात के लिये नेपाल सरकार अनुमति नहीं देती। वे वस्तुएं नेपाल में निर्मित वस्तुओं के रूप से भारत में आती हैं। मुख्य बात यह है कि इस सीमा पर चुंगी विभाग की चौकियां कम हैं, और हमें उनकी संख्या बढ़ानी होगी। साथ ही नेपाल के साथ भी हमें मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने हैं।

श्री हेम बरुआ : नेपाल के साथ तो हम मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहते हैं, परन्तु इसकी आड़ में तस्कर व्यापार की वृद्धि को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये। नेपाल पर दोषारोपण की बजाय हमें अपने आपको ही इसके लिये दोषी समझना चाहिये।

गैर-पत्रकारों के सम्बन्ध में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति

***95. श्री रा० बरुआ :** **श्री हेम बरुआ :**
श्री बे० कृ० दास चौधरी : **श्री रा० की० अमीन :**
श्री एस० पी० राममूर्ति : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री जनार्दन : **श्री पे० वेंकटासुब्बया :**
श्री रा० रा० सिंह देव : **श्री काशीनाथ पाण्डेय :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छः समाचार पत्रों में गैर-पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड के पंचाट की क्रियान्विति के बारे में विवाद को राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इन छः समाचार पत्रों के नाम क्या हैं;

(ग) न्यायाधिकरण के निर्देश-पद क्या हैं तथा अन्य समाचार पत्रों के बारे में क्या स्थिति है;

(घ) क्या नियोजकों ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशें क्रियान्वित कर दी हैं;

(ङ) यदि हां, तो कितने प्रतिशत नियोजकों ने; और

(च) क्या हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को हड़ताल की अवधि की मजूरी दी गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क) से (ग) : 17 सितम्बर, 1968 और, अक्टूबर, 1968 को विवाद न्याय-निर्णय के लिये भेजने के बारे में सरकार के आदेशों

की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखी गई हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2089/68]**। इन दो निर्देशों में आये हुये समाचार-पत्रों के नाम और न्याय-निर्णय को भेजे गये विवादों के नाम इन आदेशों में दिये गये हैं।

(घ) से (ङ) गैर-पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति न होने के बारे में उठे हुए विवाद से सम्बद्ध हड़ताल केवल पहली से तीसरी श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले समाचार-पत्रों तक सीमित थी। जहां तक अन्य श्रेणी के समाचार–पत्रों का सम्बन्ध है, मामले का आपसी समझौते से निर्णय किया जा सकता है। मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने का काम राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है जो इस मामले में आवश्यक कार्य–वाही कर रहे हैं। फिर भी कार्यान्विति में प्रगति के बारे में पूर्ण सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

(च) किसी नियोजक ने हड़ताल की अवधि की मजूरी दी है, इस बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

श्री रा० बरुआ : मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति जानबूझकर क्यों पीछे डाली जा रही है या उसमें विलम्ब किया जा रहा है। सरकार ऐसा प्रयास क्यों नहीं करती जिससे इन सिफारिशों को शीघ्र क्रियान्वित किया जा सके ?

श्री हाथी : समाचारपत्रों के मालिकों तथा कर्मचारियों के बीच यह विवाद बहुत लम्बे समय से चला आ रहा है। अंत में पारस्परिक समझौते के आधार पर इस मामले को पंचनिर्णय के लिए सौंप दिया गया। जहां तक अन्य मजूरी बोर्डों के प्रतिवेदनों का सम्बन्ध है, उनके बारे में सरकार कार्यवाही कर रही है।

श्री रा० बरुआ : समाचार पत्र मालिकों तथा कर्मचारियों के बीच मजूरी बोर्ड के निर्णय के पश्चात हुई लम्बी वार्ता को ध्यान में रखते हुए, जिसमे क्रिया–प्रतिक्रिया का प्रक्रम चला। क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जो मजूरी बोर्ड के निर्णयों को शीघ्र ही क्रियान्वित करा सके ?

श्री हाथी : चूंकि मजूरी बोर्डों की स्थिति सांविधिक नहीं होती, इसीलिए ऐसा नहीं किया जा सकता। क्रियान्वयन के लिए एक व्यवस्था है, जो मालिकों को मजूरी बोर्ड के निर्णयों को लागू करने के लिए सहमत करती है।

श्री बे० कु० दास चौधरी : विवरण–में यह बताया गया है कि क्रियान्विति के मामले में कुछ कठिनाईयां पैदा होने के कारण यह मामला राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया है। क्या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का निर्णय समाचार पत्रों के मालिकों को अनिवार्यतः मानना होगा। इस सम्बन्ध में सरकार ने दो प्रकार के विनियम जारी किये हैं, एक 17 सितम्बर 1968 को और दूसरा 7 अक्तूबर, 1968 को। 17 अक्टूबर, 1968 के आदेश के अधीन 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' को छोड़कर शेष सब का मामला राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 'टाइम्स आफ इण्डिया' समाचारपत्र के लिये अलग से आदेश क्यों जारी किया गया था ?

श्री हाथी : इसी अन्तर के कारण यह विवाद इतने लम्बे समय तक चला। 'दि टाइम्स आफ इण्डिया' में 700 कर्मचारी ऐसे हैं, जिन पर गैर पत्रकारों के लिये बने मजूरी बोर्ड की सिफारिशें लागू नहीं होती। परन्तु उन लोगों को भी राहत की आवश्यकता है। यदि इन सिफारिशों को कानूनी रूप दे दिया जाता तो भी इन कर्मचारियों को कोई लाभ न होता। इसलिये दो प्रकार के आदेश देने की आवश्यकता पड़ी।

श्री रा० बरुआ : इन समाचार पत्रों के मालिक बड़े आदमी हैं। वे मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन के अनुसार बहुत अधिक कमाते हैं। फिर भी वे अपने कर्मचारियों को उचित वेतन देना नहीं चाहते। सरकार ने और प्रमुखतया श्रम मंत्रालय ने उन्हें समझाने बुझाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री हाथी : मैंने उनके साथ विचार विमर्श किया था और यह प्रयास किया था कि वे किसी उचित समझौते पर पहुंच जायें। स्वयं 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के कर्मचारियों ने 85 प्रतिशत को स्वीकार कर लिया था। तदुपरान्त वर्गीकरण आदि की समस्याएं बीच में आ खड़ी हुई। इस मामले को न्यायाधिकरण को सौंपने से पहले हमने उन्हें 75 प्रतिशत देने के लिए सहमत कर लिया था। इसकी रक्षा तो न्यायाधिकरण के निर्णय के पश्चात भी की जायेगी। उदाहरण के लिये यदि किसी कर्मचारी को 80 रुपये मिलते हैं और उसके लिए मजूरी बोर्ड ने 20 रुपये अधिक देने का सुझाव दिया है तो इस व्यवस्था के अनुसार उसे 20 रुपये का 75 प्रतिशत अर्थात 15 रुपये तो मिलेंगे ही और इस पर न्यायाधिकरण के निर्णय का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब विवाद केवल 25 प्रतिशत अर्थात 5 रुपये के बारे में है, जिसे न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया है।

श्री लोबो प्रभु : यह तो सभी मानेंगे कि औद्योगिक विवादों को यथाशीघ्र सुलझाया जाये, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में शान्ति कायम रहे। इसी सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सरकार को इस विवाद का बोध एक वर्ष पूर्व हो गया था, तो उसने उसी समय इसको न्यायाधिकरण को क्यों नहीं सौंपा ? सरकार के पास कौनसी गैध संस्था या समिति है जो कानूनी आधार पर इन दोनों में समझौता करा सके ?

श्री हाथी : श्रम मंत्रालय भी यही चाहता है कि औद्योगिक क्षेत्र में शान्ति बनी रहे। यदि यह विवाद ज्यों का त्यों न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया होता तो कुछ लोगों को क्रियान्विति का लाभ न मिलने के कारण शान्ति भंग हो गई होती। एक कारण यह था। दूसरा कारण यह है कि मजूरी बोर्डों की सिफारिशें सांविधिक नहीं है, इसलिए उन्हें कानून के आधार पर लागू नहीं किया जा सकता। इसके लिये तो श्रम मंत्री अथवा श्रम मंत्रालय के अधिकारी केवल प्रयास ही कर सकते हैं, जिससे दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाये। यह प्रयास इस मामले में भी किया गया है और प्रस्तावित अन्तर का 75 प्रतिशत तक देने के लिए समाचार पत्रों के मालिक सहमत हो गये है।

Shri Rabi Ray : The strike of non-journalists continued for 60 days and Government did nothing in this respect. May I know whether it is due to some loophole in the law that Government could not take proper action in the matter ; and if so,

whether Government is considering this issue, and whether Government propose to make the recommendations of the wage Board Statutory ?

Shri Hathi : It is not correct to say that Government did nothing in this matter. The recommendations of the Wage Board are of course not statutory at present. Though we have constituted a standing Labour Committee, which will consider the feasibility of making such recommendations statutory.

श्री दी० चं० शर्मा : मन्त्री महोदय ने अभी कहा है कि सरकार समाचार पत्रों के प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकती, वह दोनों पक्षों के बीच केवल समझौता कराने का प्रयत्न कर सकती है। सरकार इन समाचार पत्रों के मालिकों के सामने सरकार अपने आपको इतना निर्बल और निस्सहाय क्यों समझती है ?

श्री हाथी : श्री लोबो प्रभु के प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने यह कहा था कि चूंकि सिफारिशें सांविधिक नहीं होती। इसलिये उनके क्रियान्विति के सम्बन्ध में सरकार कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं कर सकती ।

श्री स० कुण्डू : यह एक ऐसा उदाहरण है, जिससे यह पता चलता है कि श्रम मंत्रालय कितने अनियमित और विश्रृंखल ढंग से काम करता है। स्पष्ट है कि मजूरी बोर्ड के निर्देश पदों को इतना अस्पष्ट क्यों रखा गया है, जिससे उसकी सिफारिशों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में अनेक अड़चनें उत्पन्न हो गई हैं। अन्त में परिणाम यह हुआ कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को पुनः न्यायाधिकरण के निर्णय के लिये सौंपना पड़ा। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि न्यायाधिकरण का निर्णय पूर्णतः लागू किया जायेगा।

श्री हाथी : श्रम मंत्रालय पर अनियमित ढंग से काम करने के आरोपों का जहां तक सम्बन्ध है, इसका मुख्य कारण यह है कि समाचार-पत्र उद्योग के कर्मचारियों की अनेक श्रेणियां हैं और इसी कारण कर्मचारियों की बहुत सी श्रेणियां छूट गई हैं। जिन पर मजूरी बोर्ड की सिफारिशें लागू नहीं होती। श्रमिकों के प्रतिनिधि भी मजूरी बोर्ड में थे। यदि कुछ कर्मचारियों की श्रेणियां निर्देश-पदों की परिव्याप्ति से बाहर पड़ती थीं तो उन्हें इस की ओर मजूरी बोर्ड का ध्यान आकर्षित करना चाहिये था।

श्री स० कुण्डू : इस तर्क की आड़ मत लीजिये।

श्री हाथी : उदाहरण के लिये पत्रकारों की श्रेणी को लीजिये। उन्हें कोई विशेष काम दिया गया है और उन्हें उसी श्रेणी में रखा गया है। कदाचित माननीय सदस्य को नये वर्गीकरण के बारे में जानकारी नहीं है। जहां तक क्रियान्विति का सम्बन्ध है। हमने यह कहा है कि यह संरक्षण उस समय तक मिलता रहेगा जब तक कि निर्णय लागू होगा। अर्थात् यदि वे अपील करना चाहते हैं, तो जब तक उसका निर्णय होगा।

श्री शिवाजी राव श० देश मुख : सरकार ने मजूरी बोर्डों को उपहास का विषय बना रखा है। सरकार ने ऐसी क्या कार्यवाही की है, जिससे मजूरी बोर्ड नियोजकों की दया पर आश्रित न रहें। क्या सरकार कोई ऐसा कानून बनाने जा रही है जिससे नियोजक लोग और

कर्मचारी सभी मजूरी बोर्ड के निर्णय से बांधे हों, मजूरी बोर्डों का अस्तित्व संविहित होना चाहिये । उनके निर्णयों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन चुनौती न दी जाये ।

श्री हाथी : इसमें उपहास की कोई बात नहीं है । मजूरी बोर्ड सांविधिक नहीं होते । विवादों को निपटाने और निर्णयों को लागू करने का काम सम्बन्धित पक्षों पर छोड़ दिया जाता है । मजूरी बोर्डों को सांविधिक बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

श्री बलराज मधोक : इस हड़ताल का मुकाबला बड़े ही विचित्र ढंग से किया गया है । कुछ समाचार पत्रों के मालिक 85 प्रतिशत पर समझौता करना चाहते थे किन्तु समझौता 75 प्रतिशत पर ही किया गया । 85 प्रतिशत पर मजदूर संगठनों के नेता समझौता करने के लिये तैयार नहीं थे । क्या छः समाचार पत्र सरकार की प्रेरणा और श्रमिक संगठनों के नेताओं की प्रेरणा से इतने लम्बे समय तक बन्द रहे ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या हड़ताल की अवधि का वेतन कर्मचारियों को दिया गया है अथवा नहीं ?

श्री हाथी : यह कहना बिलकुल गलत है कि हड़ताल को लम्बे समय तक चलाने में सरकार का भी हाथ था । मैंने समझौता कराने के लिये भरसक प्रयत्न किया था ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने कुछ भी नहीं किया ।

श्री हाथी : समाचार पत्रों के मालिक 80 प्रतिशत देने के लिये तैयार थे । एक वर्ग 85 प्रतिशत के लिये भी तैयार था । परन्तु श्रमिक 85 प्रतिशत पर भी सहमत न हुए । श्रमिकों को अब 75 प्रतिशत मिल रहा है । मालिक उन्हें 85 प्रतिशत देना चाहते है जब कि कर्मचारी पूरे 100 प्रतिशत लेना चाहते हैं । 25 प्रतिशत के अन्तर को ध्यान में रखते हुए इस मामले को न्याय निर्णय के लिये सौंपा गया है, जिसमें 75 प्रतिशत से कम नहीं होगा और इससे बढ़ कर 100 प्रतिशत तक पहुंच सकता है ।

जहां तक हड़ताल की अवधि के लिये वेतन का प्रश्न है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कर्मचारियों को उस अवधि के लिये वेतन दिया गया है अथवा नहीं ।

श्री काशीनाथ पांडेय : समझौता कराने के प्रयासों के दौरान श्रम मंत्री की क्या धारणा बनी है ? क्या समाचार पत्रों के प्रबन्धक निर्णय को लागू करना नहीं चाहते अथवा उनके सामने वास्तव में कोई कठिनाई है ? यदि कठिनाई वास्तविक है तो न्याय-निर्णय से उसे दूर करने में सहायता कैसे मिलेगी ?

श्री हाथी : कुछ मामलों में कठिनाई वास्तविक है और कुछ में वास्तविक नहीं । न्याय-निर्णय से सब ठीक हो जायेगा ।

श्री नम्बियार : क्या न्यायनिर्णय के निर्देश-पदों में हड़ताल की अवधि का वेतन देने का प्रश्न भी सम्मिलित है ।

श्री हाथी : जी, नहीं ।

श्री दी० चं० शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय इस मामले में कैसे आ गये थे !

श्री हाथी : अपनी वैयक्तिक हैसियत में ।

Shri Prem Chand Verma : The Minister said that recommendations of the Wage Board could not be legally implemented. This is not the first case of its kind. The Managements of big newspapers went to Court. When a Price-Page Schedule was formulated for them. This time as, they are not prepared to accept the recommendations. Every time Government pleaded their inability to take action against newspapers managements. If this is the position, why do the Government not stop providing facilities of newsprints etc., to them ?

श्री हाथी : यह प्रश्न सूचना और प्रसारण मंत्री से पूछा जाना चाहिये ।

Shri O. P. Tyagi : May I know whether Government are considering to constitute an All India Wage Board, the decisions of which will be binding on both the employers and employees in order to put an end to such strikes in newspapers and else where ?

Shri Hathi : Yes, Sir. We are considering it.

डाक कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार कार्य :

*97. श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री राम किशन गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा : श्री रा० कृ० सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक कर्मचारियों ने नेशनल फैडरेशन आफ पोस्ट्स एण्ड टेलीग्राफ एम्प्लाइज की प्रेरणा पर 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को उत्पीड़ित करने के विरुद्ध 'नियमानुसार-कार्य' करने का आन्दोलन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका डाक सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है ? और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का बिचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) यद्यपि नेशनल फैडरेशन आफ पोस्टस एन्ड टेलीग्राफ एम्पलाइज की ओर से कोई औपचारिक सूचना नहीं थी, फिर भी डाक-तार कर्मचारियों ने 20 सितम्बर से 27 सितम्बर तक 'धीरे काम करो' आन्दोलन में भाग लिया । प्रेस रिपोर्टों से ऐसा ज्ञात हुआ है कि धीरे काम करो आन्दोलन नेशनल फैडरेशन आफ पोस्टस एंड टेलीग्राफ एम्पलाइज के निर्देशानुसार शुरु हुआ था । इस 'धीरे काम करो' प्रवृति को ही फैडरेशन ने 'नियमानुसार काम करो' की संज्ञा दी थी ।

(ख) इस धीरे काम करो आन्दोलन का प्रभाव दिल्ली, कलकत्ता और मध्यप्रदेश के भागों के कुछ बड़े बड़े डाकघरों पर पड़ा । इन स्थानों पर कुछ सीमा तक डाक का वितरण किया गया था और कुछ डाक इकट्ठी भी हो गई थी । अन्य स्थानों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा :

दिल्ली में संयुक्त-संघर्ष समिति कुछ नेताओं द्वारा भूख हड़ताल करने पर धीरे काम करो आन्दोलन 8 और 17 अक्तूबर के बीच फिर चालू हो गया था। फिर भी इस कारण सेवाएं तनिक भी छिन्न-भिन्न नहीं हुई ।

(ग) कर्मचारियों के खिलाफ अपने काम के प्रति लापरवाही बरतने के कारण कार्रवाई करने के परिणामस्वरुप स्थिति शीघ्र ही सामान्य हो गई ।

Shri Beni Shanker Sharma : The Minister has told that the communication system was partly paralysed in Calcutta, but it was actually completely paralysed there and at the same time the floods in North Bengal were causing havoc. May I know the reason why Government did not make wireless arrangement for communication purposes ?

Shri I. K. Gujaral : The hon. Member is confusing two things-'go-slow' actics were resorted to by employees from 20th to 27th September, 1968 and later on in month of October after 19th September strike.

Shri Beni Shanker Sharma : May I know whether the suspension orders issued to or the action taken against the P. & T. employees who went on 'work to rule' strike, have been withdrawn ?

Shri I. K. Gujaral : Action is taken against only 200 go-slow strikers and we do not propose to withdraw the action against them, because it is in the public interest to penalize those who harass public and paralyse work even when they are present in the Department.

श्री दी० चं० शर्मा : डाक तथा तार कर्मचारियों के कितने श्रमिक संगठन हुए हैं और किस संगठन का सम्बन्ध किस राजनीतिक दल से है ?

श्री इ० कु० गुजराल : यदि माननीय सदस्य का संकेत उन श्रमिक संगठनों की ओर है जिनकी मान्यता समाप्त कर दी गई है, तो उनकी संख्या नौ है । निश्चय के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि किस श्रमिक संगठन का सम्बन्ध किस राजनीतिक दल से है । मेरे विचार से..... .. ....[अन्तर्बाधाएं]

Shri George Fernandes : No Union is affiliated to any political party. But it is a fact that the Union which was recognized last of all, is affiliated to the Congress Party.

श्री इ० कु० गुजराल : मैं यभी इस बात को मानता हूं कि श्रमिक संगठनों का सम्बन्ध किसी भी राजनीतिक दल से नहीं होना चाहिये ।

श्री जी०मो० बिस्वास : क्या मंत्री महोदय को पता है कि इंटक कांग्रेस का ही एक अंग है।

अध्यक्ष महोदय : इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये जायेंगे ।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know the reason why the action has been taken against or the arrests made of the employees of Posts and Telegraphs Department comparatively in large number then others; and whether Government propose to withdraw the action against those P.&T. employees who were arrested, although they were innocent.

श्री इ० कु० गुजराल : चूंकि डाक तथा तार विभाग सरकार का सबसे बड़ा दूसरा विभाग है, इसलिये उसमें अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। गिरफ्तारियां कानून व्यवस्था भंग करने के कारण की गई हैं, जिनसे डाक तथा तार विभाग का सीधा सम्बन्ध नहीं है। जिन्होंने शान्ति व्यवस्था भंग की थी उन पर न्यायालयों में मुकद्दमा चल रहा है और न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री अद्वाकर सुपकार : क्या यह सच है कि दिल्ली में बहुत सी डाक नष्ट कर दी गई थी? लोक सभा के आह्वान-पत्र 19 सितम्बर को भेजे गये थे और मुझे आज तक भी आह्वान-पत्र नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष महोदय : हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप बिना आह्वान-पत्र के ही यहां उपस्थित हैं।

Shri Sarjoo Pandey : The employees resorted to 'go-slow' tactics in support of their reasonable demands and they did not indulge in violent activities. In view of it, do the Government propose to reconsider the question of withdrawing all the cases against them.

श्री इ० कु० गुजराल : 'धीरे काम करो' का तरीका किसी मांग के लिये नहीं, बल्कि संयुक्त परामर्श मशीनरी के नेताओं की भूख हड़ताल के समर्थन के लिये अपनाया गया था। अतः अनुशासनात्मक कार्यवाही में ढील देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Onkar Lal Berwa : There are some employees belonging to the P. & T. Department, who were arrested without breaking the law. May I know whether Government will withdraw all cases against such employees and institue a departmental enquiry into the matter.

Shri I. K. Gujral : I have already answered it.

Shri Kanwar Lal Gupta : He is evading the issue, Sir. The question is whether the Government will consider the cases of those who were not on strike and who were attending duty and who were arrested in their office premises. Institute an enquiry in order to know whether such things took place or not ? If it is so, whether Government propose to withdraw the cases against them ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैं इस बात को नहीं मानता कि बिना कानून भंग किये ही कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस निर्णय पर पहुंची कि कानून भंग किया गया है और कानून भंग करने वालों पर उन्होंने न्यायालय में मुकद्दमा चलाया है। अब निर्णय न्यायाधीश ही देगा।

Shri Sita Ram Kesri : May I know whether Government were aware of the fact that the Post & Telegraph employees started strike on night of 17th while the strike notice was issued for 19th September and if so, the action taken by Government against them ?

श्री इ० कु० गुजराल : रेलवे डाक सेवा में 19 तारीख से पहले ही गड़बड़ शुरु हो गई थी, परन्तु वह सीमित थी। (अन्तर्बाधाएं) माननीय सदस्य जोर से शोर मचा कर यह

समझते हैं और दिखाना चाहते हैं कि उन्हें कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति है। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि कर्मचारियों के हितों को हम भी सर्वोपरि स्थान देते हैं।

श्री तेन्नेटि विश्वनाम : यह हड़ताल सांकेतिक हड़ताल थी, सरकार को उसे इतने गम्भीर रुप में नहीं लेना चाहिये था।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को अध्यादेश की धारा 5 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन ही गिरफ्तार किया गया है। परन्तु उनमें नैतिक भ्रष्टाचार का एक भी मामला नहीं है। इस दृष्टि से क्या सरकार उनको जारी किये गये निलम्बनादेश उस समय तक वापिस ले लेगी जब तक कि न्यायालय से उनके मामलों में निर्णय न हो।

श्री इ० कु० गुजराल : हमारे विभाग के कुल 1.33 लाख लोगों ने हड़ताल में भाग लिया था जिनमें से कुल 1100 के विरुद्ध अभी तक कार्यवाही की गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमने इस मामले में कितना मानवीय और नर्म रुख अपनाया है।

संसद की अनौपचारिक सलाहकार समितियां

*98. **श्री बलराज मधोक** : क्या **संसद-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद की अनौपचारिक सलाहकार समितियों के काम करने के बारे में सरकार तथा विरोधी दलों के बीच गतिरोध को समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) और (ख): 4 अप्रैल, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 1054 के उत्तर में सदन को सूचित किया गया था कि अनौपचारिक सलाहकार समितियों के कार्यचालन पर एक वर्ष की समाप्ति पर पुनर्विलोकन किया जायेगा. स्थिति का पुनर्विलोकन किया जा रहा है ?

श्री बलराज मधोक : कभी कभी इन समितियों को केवल सत्तारुढ़ दल तक ही सीमित रखी जाती है और इसी कारण वे ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। क्या सरकार इन समितियों को औपचारिक रुप देने का विचार कर रही है ? यदि इन्हें औपचारिक रूप दिया जाये तो वे नियमित रूप से सभावसान में भी अपनी बैठकें कर सकेंगी और उनके निर्णय और कार्यवाही सारांश को सामान्यतः मंत्रालयों को मानना होगा तथा उनके निर्णय आदि के संसद सदस्यों में भी परिचालित किया जायेगा।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय सदस्य का यह कहना गलत है कि इन समितियों को कांग्रेसी संसद सदस्यों तक ही सीमित रखा जाता है। इनमें अन्य दलों के सदस्य भी होते हैं।

Shri Rabi Ray : We have decided to boycott the meetings of these committees. So, now only members of ruling party are attending meetings of such committes.

डा० रामसुभग सिंह : यदि उपस्थिति का रजिस्टर देखा जाय तो मालूम होगा कि सभी दलों के सदस्यों ने इन समितियों के कार्यचालन में योग दिया है। जहां तक कार्यचालन में सुधार की बात है, हमने प्रतिरक्षा, परमाणु शक्ति तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्रालयों को छोड़कर शेष सभी मन्त्रालयों को परामर्श दिया है कि वे अनौपचारिक परामर्श समितियों की कार्यवाही के सारांश को सदस्यों में परिचालित करें तथा जिन बातों पर मतैक्य हो, उन्हें सामान्यतः स्वीकार कर लें। जहां उन्हें स्वीकार करना सम्भव न हो, वहां समिति के सदस्यों को अस्वीकृति के कारण बताये जायें। साथ ही अन्य सावधानियां भी बरती जा रही हैं जिनसे ये समितियां प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने में समर्थ हों। जहां तक इन समितियों की सभावसान में बैठकों का सम्बन्ध हैं, इस सम्बन्ध में कोई कड़ा नियम नहीं है कि सत्रकाल में ही हों। फरक्का परियोजना से सम्बन्धित समिति मौके पर निरीक्षण के लिए जाती है और जब मन्त्री या सदस्यों को सुविधा होती है तभी उसकी बैठक भी होती है। इसी प्रकार अन्य समितियों की बैठकें भी सभावसान काल में आवश्यकतानुसार हो सकती है।

श्री बलराज मधोक : क्या आप "अनौपचारिक" शब्द को हटाना पसन्द करेंगे, क्योंकि, इसके हटने से ही इन समितियों की बैठकें नियमित रूप से हो सकेगी।

डा० राम सुभग सिंह : मुझे खेद है कि मैं "अनौपचारिक" शब्द को इसी क्षण नहीं हटा सकता।

Shri Praksh Vir Shastri : In all the Informal Consultative Committees there are Members of Parliament, who participate in their meetings and after discussing the issues of Parliamentary interest they arrive at some decisions. In this connection I think that such decisions should be implemented. In case where it is not possible to implement them, the reasons therefor should be told. I would like to know whether Government is considering any proposal based on those lines ?

Dr. Ram Subhag Singh : I have just answered all these points. As far as possible such decisions will be implemented and in a case of non-implementation, the reasons therefor will be told.

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : अनौपचारिक परामर्श समितियां इतनी दीर्घकाय हैं और संगठनात्मक दृष्टि से इतनी शिथिल हो गई हैं कि वे प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने में असमर्थ हैं। श्री रंगा तथा अन्य प्रतिपक्षी सदस्यों ने यह सुझाव दिया था कि कम से कम चार विभागों के लिए छोटे आकार की सुगठित समितियां बनायी जायें। क्या सरकार इस सुझाव को स्वीकार करने का विचार करेगी ?

डा० रामसुभग सिंह : जहां तक सर्व श्री नाथ पाई, मसानी और रंगाजी के सुझाव का सम्बन्ध है कि इन समितियों की सदस्यता को केवल एक मंत्रालय तक ही सीमित रखा जाये, इसके सन्दर्भ में संसद सदस्यों से उनकी इच्छा के बारे में पूछा गया है कि वे किस-किस समिति में सदस्य बनना चाहते हैं। परिणामतः अब उन समितियों में 30 से लेकर 40 तक सदस्य

हैं। इस दृष्टि से वह समिति बड़ी नहीं है। जहां तक उन चार समितियों का सम्बन्ध है, उनके बारे में मैं उपरोक्त सुझाव मानने में असमर्थ हूँ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

Installation of Tubewells in Bihar During Fourth Plan

*92. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is fact that Government have formulated a scheme for installing fifty thousand tubewells in Bihar under the Fourth Five Year Plan ;

(b) whether it is also a fact that in accordance with that scheme, provision has been made for installing eight thousand tube-wells in Bihar in 1968-69 ;

(c) if so, the District-wise details in respect thereof and whether all the tube-wells would be installed by Government or on the basis of individual capital ;

(d) whether the above figures include both the tube-wells to be installed by Government as well as by individuals ;

(e) if so, separate figures thereof ; and

(f) the details of finacial assistance and other facilities proposed to be given to farmers by Government for installing tube-wells individually ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (f): The State Government has proposed a programme of sinking 40,000 private tubewells and 1000 State tubewells during the Fourth Plan, The proposal of the State Government has been supported by the Central Working Group in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation on Minor Irrigation.

For 1968-69 the State Government has a target of sinking 8,000 private tubewells, besides 175 State tubewells.

The District-wise details of the tubewells to be installed are not yet available. At present even the private tubewells are mostly being drilled by the Government. However, loan assistance is made available to the cultivators from the institutional agencies like Land Development Bank, Agricultural Refinance Corporation, etc.

Radio and Television Engineering Trianing to Foreign Students

*93. **Shri Yashpal Singh :**
Shri S. K. Tapuriah :
Shri J. M. Biswas :

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of India invited some foreign students for two years' training in Radio and Television Engineering ;

(b) whether it is also a fact that there is neither any television set nor any other equipment in the Pusa Industrial Training Institute for imparting to these students ;

(c) whether it is also a fact that this Institute has also issued certificates of successful completion of the said 2 years course to a number of students though none of them had never seen the inside of a TV set ;

(d) whether it is also a fact that these students have made complaints in this regard ; and

(e) if so, the reasons for the non availability of television sets and other equipments and the steps taken to impart practical training to these students ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) 23 foreign trainees have been admitted in August, 1968 to the Industrial Training Institute, Pusa for trainihg as Mechanic (Radio and Televis'on).

(b) No. Equipment such as Radio set, TV set, signal generator, multimeter, Impedence Bridge, Cathode Ray Oscilloscope and several other items of tools, equipment prescribed for this trade by the National Council for Training in Vocational Trades are available at the Institute.

(c) The first batch of 32 pupils which did not include any foreign trainees passed this trade from the Institute in 1968 after going through the precsribed training and passing the tests.

(d) No.

(e) The question does not arise since the necessary equipment including a TV set, is available.

व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम

*96. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 11 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6923 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खगरिया और बेगूसराय सब डिवीजनों को व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गदपदस्वामी) : (क) और (ख) भारत सरकार सम्बन्धित राज्य सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों की सलाह से प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य को केवल व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम खंडों की कुल संख्या का नियतन करती है । जैसाकि 11 अप्रैल, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 6923 के उत्तर में कहा गया है, इस कार्यक्रम के संचालन के लिए क्षेत्र यूनिट खण्ड है । अतः पूरे सब डिवीजन को व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का प्रश्न नहीं उठता ।

निर्वाचनों में अनिवार्य मतदान

*99. श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री रणजीत सिंह :
श्री दे० प्रसाद :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री गु० च० नायक :
श्री नंद कुमार सोमानी :
डा० सुशीला नायर :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री मुरासोली मारन :

क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने हाल में यह कहा है कि निर्वाचनों में मतदान अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये और अपने मताधिकार का प्रयोग न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये ;

(ख) क्या यह सुझाव संविधान के उपबन्धों का अतिक्रमण करने वाला समझा जाता है और विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई हैं ;

(ग) क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस सुझाव पर भारत सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां । 4 सितम्बर से लेकर 7 सितम्बर 1968 तक उटकमण्ड में हुए मुख्य निर्वाचन आफिसरों के सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह सुझाव दिया कि संसद के सदनों और विधान मन्डलों के लिए निर्वाचनों में मतदान अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये । उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि किसी मतदाता के मतदान के अधिकार का प्रयोग करने में असफल रहने पर उससे थोड़ा जुर्माना उद्गृहीत किया जाना चाहिये ।

(ख) इस प्रश्न का कि क्या पूर्वोक्त सुझाव संविधान का अतिक्रमण करता है, स्पष्ट उत्तर देना सम्भव नहीं है । क्योंकि यह बात इस पर निर्भर करती है कि मताधिकार के अधिकार को हम किस दृष्टि से देखते हैं, क्या यह अधिकार है या कर्तव्य ? इसके अतिरिक्त संविधान में इस प्रश्न के इस पहलू पर कोई निश्चित बात नहीं है ।

आयोग की यह राय है कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों में मतदान अनिवार्य कर देने से संविधान का अतिक्रमण नहीं होगा और संविधान की सप्तम् अनुसूची की प्रविष्टि 72 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 327 के अधीन संसद को मतदान अनिवार्य करने के लिए विधान अधिनियमित करने की पर्याप्त शक्ति है । आयोग अपनी राय को इस बात पर अवलम्बित करता है कि संविधान इस बाबत मौन है कि मतदान अधिकार है या कर्तव्य । संविधान का अनुच्छेद 326 हर वयस्क नागरिक को, जो अनिवास, चित्त-विकृति, अपराध अथवा भ्रष्ट या अवैध आचार के आधार पर अनर्हता के अध्यधीन नहीं है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में पजीबद्ध होने का हकदार बनाता

है। किन्तु, संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि मतदाता के रूप में ऐसे पंजीयन के पश्चात मताधिकार का प्रयोग न करना उसकी स्वेच्छा और प्रसाद पर निर्भर करेगा जिसका प्रयोग करना कि सभी दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दायित्व और प्रतिनिधिक लोकतंत्र की आधार शिला है ?

अतः इस मामले पर बड़ी सावधानी से गौर करना आवश्यक है, विशेष कर इस कारण कि यह निर्वाचन आयोग की राय है जिस पर पूर्ण रूपेण विचार करना अपेक्षित है।

किन्तु इस प्रस्थापना की प्रेस में और जनता के कुछ वर्गों में प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई है।

(ग) भारत सरकार को निर्वाचनों में मतदान अनिवार्य बना देने के लिए विधि को संशोधित करने के वास्ते निर्वाचन आयोग से कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त नहीं हुई हैं। प्रस्थापना अभी निवाचन आयोग के ही विचाराधीन है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Central Government Employees' Token Strike

+

***100. Shri Hakam Chand Kachwai :**
Shri M. L. Sondhi :

Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) the number of employees in his Ministry who took part in the token strike of the Central Governments Employees on the 19th September, 1968.

(b) the number out of them separately who have been suspended and whose absence has been counted as a break in service ; and

(c) the number of employees who were dismissed and those who were arrested ?

The Deputy Minister of the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem) : (a) One.

(b) No employee has been suspended. The unauthorised absence on the 19th September, 1968 of the only employee mentioned above has been counted as a break in his service.

(c) Nil.

Sugarcane Price

***101. Shri Naraln Swarup Sharma :**
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri V. Narasimha Rao :
ShriSurya Narayana :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the sugarcane price fixed for the current year ;

(b) whether it is a fact that some States had suggested increasse therein :

(c) if so, the names of those States and the reasons for not accepting their proposal ;

(d) whether Government obtained the views of sugarcane growers also before fixing the price ; and

(e) if so, what were those views ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community-Development and Cooperation (**Shri Annasahib Shinde**) : (a) The basic minimum sugarcane price fixed for 1968-69 is Rs. 7.37 per quintal, linked to a recovery of 9.4 percent or less with a premium of 5.36 paise per quintal for every increase of 0.1 per cent in recovery above 9.4 percent.

(b) Yes, Sir.

(c) Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Andhra Pradesh, West Bengal, Kerala, Assam and Pondicherry. The recommendations of these State Governments could not be accepted on account of the effect the increase in the price of sugarcane would have had on the prices of sugar and other food crops.

(d) and (e) Government had received the views of the following sugarcane growers' interests and the sugarcane price recommended by them is given against each:-

	Sugarcane Price recommended (Rs. Per quintal)
Bihar State Cane Growers' Association	10.72
U. P. Cooperative Federation	17.00

चीनी सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण

102. श्री श्रीचंद गोयल :
श्री ओंकार लाल बेरुआ :
श्री स० चं० सामंत :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री ओमप्रकाश त्यागी :
श्री शिवचंद्र झा :
श्री रविराय :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री म० सुदर्शनम :
श्री यशवंत सिंह कुशवाह :
डा० अ० ग० सोनार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीनी सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण करने का विचार कर रही है ।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या चीनी पर से पूरी तरह नियंत्रण हटाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या चीनी पर से नियन्त्रण उठा लेने के बाद उसके मूल्यों में स्थिरता सुनिश्चित करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक सम्बन्धों पर अध्ययन दल का प्रतिवेदन

*103. **श्री कृ० प्र० सिंह देव :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री 1 अगस्त 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2228 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक सम्बन्धों पर अध्ययन दल की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठते ।

पालघाट में महिला टेलीफोन आपरेटरों को भगा ले जाना

*104. **श्री प्र० के० देव :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 सितम्बर, 1968 को पालघाट टेलीफोन एक्सचेंज की 13 महिला आपरेटरों को एक गाड़ी में भगा कर शहर से बाहर ले जाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह कैसे हुआ ; और

(ग) क्या इन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये कुछ नहीं किया गया था ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इं० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं । पालघाट टेलीफोन एक्सचेंज की सभी महिला आपरेटर 19-9-68 को ड्यूटी से गैरहाजिर रहीं और वे 20-9-68 को सुबह ड्यूटी पर हाजिर हुई महिला आपरेटरों ने 19-9-68 को इस प्रकार भगा कर ले जाने की कोई शिकायत नहीं की ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 19-9-68 को वफादार कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई थी, पर वे कार्यालयों, एक्सचेंजों और संस्थानों के दरवाजों तक ही सीमित रही ।

कृषि उत्पादन कार्यक्रम

105. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में कृषि उत्पादन कार्यक्रम के लक्ष्यों तथा वास्तविक उपलब्धि में काफी अन्तर है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) चालू वर्ष में कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के बारे में वास्तविक उपलब्धि सम्बन्धी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

खरीफ फसल को हानि

106. श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री मोठालाल मोना :
श्री हेमराज :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्षा न होने के कारण विभिन्न राज्यों में नष्ट हुई खरीफ फसल के बारे में कोई अनुमान लगाया, गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : देश में अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में जिसमें अकाल तथा बाढ़ द्वारा खरीफ की फसलों की हानि भी सम्मिलित है एक विवरण संकलित किया जा रहा है और बहुत जल्दी ही सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

Target For Kharif Crop

107. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the traget fixed this year for Kharif crop, State-wise and the actual production thereof ;

(b) the reasons of law production in some States ; and

(c) the additional area of land brought under cultivation in this crop as compared to last year ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community-Development and Cooperation (Shri Annasahib (Shinde) : (a) Production targets are fixed for the whole year and not separately for the kharif season As for the actual production, it is too early to give any quantitative estimates. In some parts of the country the harvesting of kharif crops is in progress while in others the crops are still maturing.

(b) Does not arise in view of reply to (a) above.

(c) Firm figures of area under crops during the year 1968-69 would become available only after the close of the agricultural year sometime in July-August, 1969.

खाद्य निगम द्वारा राजस्थान में खरीद

108. डा० रानेन सेन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री एस० आर० बामानी :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री शारदानन्द :
श्री जि० ब० सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार का ध्यान राजस्थान में गेहूं की खरीद में खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के कुछ मामलों के बारे में राजस्थान के विधान मंडल में हाल ही में लगाये गये आरोपों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इन आरोपों की कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख), (ग) तथा (घ): भारतीय खाद्य निगम ने विभिन्न आरोपों की विस्तृत जांच की है और एक क्वालिटी इन्सपेक्टर जो कि राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आया था, को अनियमितताएं करने पर प्रत्यक्षतः दोषी पाया गया था। उन्हें राज्य सरकार को वापिस भेज दिया गया है ताकि उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा सके। राज्य सरकार ने उस अधिकारी को मुअत्तल कर दिया है और विशेष पुलिस इस्टेबलिशमेंट के माध्यम से इस मामले की जांच आरम्भ कर दी है।

दंडकारण्य के डाक तथा तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता

*109. श्री श्रद्धाकर सुपकार : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की उदार बनाई गई नीति के अनुसार परियोजना क्षेत्रों में नियुक्त डाक तथा तार के कर्मचारी 1 अक्तूबर, 1966 से परियोजना भत्ते तथा अन्य रियायतों के हकदार हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना भत्ता तथा अन्य रियायतें डाक तथा तार कर्मचारियों को उसी हिसाब से दी जाती हैं बशर्ते कि उनकी सेवा शर्तें परियोजना कर्मचारियों जैसी हों ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें परियोजना भत्ते की मंजूरी देते समय, कोरापुट जिले में दण्डकारण्य परियोजना में कार्य कर रहे डाक तथा तार के कर्मचारियों को निःशुल्क आवास के स्थान पर मकान-किराया भत्ते की, जो वहां के अन्य कर्मचारियों को दिये जाने वाली परियोजना सम्बन्धी रियायतों में से एक रियायत है, मंजूरी न देने के क्या कारण है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इं० कु० गुजराल) : (क) तथा (ख) : जी नहीं। केवल परियोजना भत्ता ही देय है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

वनस्पति घी के मूल्यों में वृद्धि

110. श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री प० ला० बारुपाल :
श्री योगेन्द्र सिंह शर्मा :
श्री निहाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वनस्पति घी के मूल्यों में, जो जन साधारण के खाने की अनिवार्य वस्तु है, बड़ी तेजी से वृद्धि होती जा रही है और सितम्बर, 1968 के दो सप्ताहों में ही उसके मूल्यों में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने के बावजूद और सरकार से परामर्श किये बिना ही उत्पादकों ने इसके मूल्यों में वृद्धि कर दी है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) उन उत्पादकों और वितरकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है, जिन्होंने सरकार से परामर्श किये बिना ही मूल्यों में वृद्धि कर दी है ; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार के शोषण को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) स्वैच्छिक तथा सांविधिक दोनों नियन्त्रणों के अधीन वनस्पति के मूल्य वनस्पति के बनाने में प्रयुक्त होने वाले मूंगफली के तेल और अन्य वनस्पति तेलों पर निर्भर करता है। जनवरी, 68 से विभिन्न क्षेत्रों में लागू अधिकतम मूल्यों को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है (**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2090/68**) विभिन्न क्षेत्रों में सितम्बर, 1968 में अनुमेय बढ़ोतरी 22.1 प्रतिशत से 36.1 प्रतिशत के बीच थी जो कि लगभग उसी अवधि में कच्चे तेलों के मूल्य में बढ़ोतरी के कारण हुई थी।

(ख) और (ग): वनस्पति निर्माता एसोसियेशन ने 5 सितम्बर, 1968 को स्वैच्छिक नियन्त्रण की अवहेलना कर विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यों में कुछ बढ़ोतरी की घोषणा की थी। एसोसियेशन द्वारा दी गयी दलीलें सरकार को नहीं जंची।

(घ) और (ङ) : 6 सितम्बर, 1968 को वनस्पति के मूल्यों पर सांविधिक नियन्त्रण लागू किया गया और सरकार के वर्तमान आधार पर उस तारीख को अधिसूचित संशोधित मूल्यों को उचित तथा समान समझा था।

केरल को चावल की सप्लाई

111. श्री अदिचन : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार केरल राज्य को पर्याप्त मात्रा में चावल देने को सहमत हो गयी है, ताकि उस राज्य में राशन की मात्रा 6 औंस कायम रखी जा सके ;

(ख) प्रतिमास जो चावल दिया जाता है क्या उसकी मात्रा उस मात्रा से कम होती है, जिसका वचन दिया गया है और गत एक वर्ष में चावल की सप्लाई उस मात्रा से, जिसका वचन दिया गया था, लगभग 3 लाख मीटरी टन कम की गई ;

(ग) यदि हां, तो कम सप्लाई की जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या केन्द्र द्वारा उतनी मात्रा में चावल सप्लाई न किये जाने के कारण, जितनी का उसे वचन दिया गया था, केरल राज्य में राशन व्यवस्था प्रायः अस्त-व्यस्त हो जाती है ;

(ङ) क्या केन्द्र की ओर से अपर्याप्त सप्लाई होने के कारण केरल सरकार को 29 सितम्बर, 1968 से राज्य में राशन की मात्रा को 6 औंस से घटा कर 3 औंस करना पड़ा है ; और

(च) यदि हां, तो उस राज्य को चावल की अधिक सप्लाई करने के लिए केन्द्र द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय सरकार ने, सप्लाई की उपलब्धि पर निर्भर करते हुये अनौपचारिक राशन व्यवस्था की जो कि केरल की सांविधिक राशन वयवस्था से भिन्न है, आवश्यकताओं की यथा सम्भव पूर्ति का काम शुरु किया था। राशन की मात्रा समय समय पर बदलती रही है।

(ख) तथा (ग) केन्द्र के पास उपलब्धि को और अन्य कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए केरल को चावल की सप्लाई मास प्रतिमास भिन्न-भिन्न रही है। 13-10-68 को समाप्त हुए 12 महीनों के दौरान भारतीय खाद्य निगम से केरल स्थित डिपो को 5.9 लाख मीटरी टन चावल भेजा गया था।

(घ) केरल के डिपो में चावल की अपर्याप्त आमद से कभी कभी राशन व्यवस्था में कुछ रुकावट आयी थी।

(ङ) तथा (च) राशन के चावल की मात्रा को उपलब्धि के आधार पर समय समय पर बदलना पड़ा था। 29-9-68 से इसे कम कर 80 ग्राम कर दिया था। इसे अब फिर बढा कर 120 ग्राम कर दिया गया है। केरल के लिए यथा सम्भव अधिक से अधिक मात्रा में चावल प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। तथापि, इस बात से छुटकारा नहीं पाया जा सकता कि राशन के चावल की मात्रा उपलब्धि के अनुसार भिन्न-भिन्न ही रहेगी। चावल की कमी के बदले में अतिरिक्त गेहूँ हमेशा भेजा जाता रहा है और भेजा जता रहेगा।

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए कल्याण योजना

*112. **श्री क० लकप्पा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की कोई कल्याण योजना डाक तथा तार विभाग के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्तमान कल्याण योजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है—

(क) **कल्याण निधि से अनुदान :**

(एक) मनोरंजन क्लबों को अनुदान।

(दो) डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के बच्चों की तकनीकी तथा साधारण शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां तथा पुस्तकदान। 350 छात्रवृतियां जिन में 50 डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्तियां भी सम्मलित हैं और 200 पुस्तकदान, जिसमें प्रत्येक में 150 रुपये की पुस्तकें सम्मलित होंगी, की प्रतिवर्ष व्यवस्था है।

(तीन) डाक तथा तार विभाग के खेल-कूदों का संगठन।

(चार) लम्बी और गम्भीर बीमारी के मामलों में या बड़े आपरेशन के मामलों में आर्थिक सहायता और विभाग के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजी कमाने वालों की अनुपस्थिति से उत्पन्न कठिनाइयों को तत्काल दूर करने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता का दिया जाना।

(पांच) बाढ़, आग या तूफान जैसी देवी विपत्तियों से पीड़ित लोगों को सहायता।

(ख) **अन्य सुविधायें–**

(एक) गर्मी तथा सर्दी से बचने की व्यवस्था और ठंडे पेय जल की व्यवस्था।

(दो) कार्यालयों के भोजन-कक्षों या केन्टीनों को वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता।

(तीन) रेलवे मेल सेवा तथा अन्य कार्यालयों के विश्राम कक्षों तथा शयनशालाओं में कर्मचारियों की सुविधाओं का प्रबन्ध।

(चार) विभिन्न स्थानों पर 14 डाक तथा तार विभाग के औषधालय खोले गये हैं और डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों तथा उनके परिवार के लोगों के लिये विभिन्न क्षय रोग के अस्पतालों में क्षय रोगियों के लिये 180 पलंग सुरक्षित कर रखें है।
लगभग 2000 डाकघरों में प्राथमिक चिकित्सा के डिब्बे रखे हुए हैं।

(पांच) कर्मचारियों की सुविधा के लिये 7 स्टेशनों पर 'होलीडे होम' बनाये गये हैं।

(छः) डाक तार विभाग की बड़ी-बड़ी कालोनियों में सामुदायिक विकास के केन्द्र खोल रखे हैं।

(सात) सहकारी उपभोक्ता भंडारों को प्रोत्साहन देने के लिये शेयर पूंजी बढा कर वित्तीय सहायता दी गई है। ऋण की सुविधा दी गई है। कुछ समय तक के लिये प्रबन्धक सम्बन्धी छूट और एक रुपया प्रतिमास के नाम मात्र के किराये पर उनके लिये जगह दी गई है। कुछ समय तक उन्हें जल और बिजली निशुल्क दी जायेगी।

(आठ) डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों बच्चों के लिये शिक्षा भत्ते या उनकी फीस के भुगतान प्राप्ति के भी अधिकारी हैं।

(नौ) उन्हें छुट्टी के दौरान यात्रा सम्बन्धी रियायत भी प्राप्त है जिससे वे अपनी छुट्टियां अपने दूरस्थ निवास स्थानों पर बिता सकें।

(2) उपरोक्त के अलावा कुछ अन्य निम्नलिखित सुविधाओं के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(एक) मुख्य स्थानों पर पुस्तक बैंक (पुस्तकालयों) की स्थापना।

(दो) तबादले से प्रभावित लोगों की सुविधा के लिए संक्रमण-कालीन होटलों का खोला जाना।

(तीन) कर्मचारियों के बच्चों के लिये दैनिक देखभाल केन्द्रों (डे-केअर सेन्टर) का खोला जाना।

(चार) डाक तथा तार के औषधालयों से मिलने वाली चिकित्सीय सुविधाओं का सेवा निवृत्त कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के लिये प्रसार।

अनाज की वसूली

113. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फसली वर्ष 1967-68 के लिए निर्धारित अनाज की वसूली का लक्ष्य पूरा होने की सम्भावना नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) निर्धारित लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा अब तक कितना अनाज वसूल किया गया है ; और

(घ) वसूली अभियान को तेज करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक-विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : फसल वर्ष 1967-68 के लिए कृषि मूल्य आयोग द्वारा अभिस्तावित खरीफ फसलों के लिए जो अधिप्राप्ति लक्ष्य था उसको प्राप्त नहीं किया जा सका परन्तु रबी के खाद्यान्नों के बारे में लक्ष्य से अधिक अधिप्राप्ति हुई थी ।

(ख) खरीफ की अधिप्राप्ति में कमी का मुख्य कारण सितम्बर और दिसम्बर, 1967 के बीच प्रतिकूल मौसमी हालात जिससे कतिपय राज्यों में फसलों को हानि पहुँची थी, कुछ राज्यों में डावांडोल राजनैतिक स्थिति जिसके कारण अधिप्राप्ति विषयक नीति के बनाने अथवा उनको कड़ाई से कार्यान्वित करने में विलम्ब, उत्पादक के स्तर पर स्टाक बनाने के लिए फसल के अधिकांश भाग का प्रयोग जो गत दो खराब फसल वर्षों में समाप्त हो गया था ।

(ग) खरीफ खाद्यान्नों तथा गेहूं की अधिप्राप्ति के लिए कृषि मूल्य आयोग द्वारा अभिस्तावित लक्ष्य तथा प्रत्येक राज्य में हुई वास्तविक अधिप्राप्ति को बताने वाले दो पृथक-पृथक विवरण सभा के पटल पर रखे जाते हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2091/68]** ।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित तथ्यों को देखते हुए वर्ष में कुल अधिप्राप्ति को संतोष जनक कहा जा सकता है । तथापि, राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अधिप्राप्ति अभियान को और भी तेज कर दें ।

Refusal to Refer Disputes to Arbitration by Employers

***114. Shri T. P. Shah :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Labour Commissioner has stated in one of his notes that the millowners oppose to the reference of disputes for arbitration ;

(b) if so the reaction of Government therto ;

(c) the number of disputes which the mill-owners refused to refer for arbitration during 1967 and 1968 ;

(d) whether Government would take action against the defaulting mill-owners; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) In a note circulated to a recent meeting of the National Arbitration Promotions Board, the Chief Labour

Commissioner stated that there is still a great deal of resistance on the part of employers to voluntary arbitration for settlement of disputes.

(b) The matter was considered by the National Arbitration Promotion Board and some decisions designed to make voluntary arbitration more acceptable to both sides were taken.

(c) In 1,125 out of 1,267 cases in the Central sphere during February 1967 to June 1968.

(d) and (e) Since the arbitration under consideration is voluntary in nature, there is no question of taking action against employers who do not have recourse to it.

आन्ध्र प्रदेश में सूखा

115. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में भयंकर सूखा पड़ा है ;

(ख) सूखे के फलस्वरूप फसलों को कितनी क्षति पहुंची है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने सूखा सहायता कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ;

(घ) यदि हां, तो कितनी तथा किस प्रकार की सहायता मांगी गई है ; और

(ङ) इस बारे में अब तक कितनी तथा किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिंदे): (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में फसलों की क्षति 30 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक होने का अनुमान लगाया गया है ।

(ग) एक केन्द्रीय दल ने मार्च, 1968 और फिर सितम्बर, 1968 में आन्ध्र प्रदेश का दौरा किया था । दल ने राहत कार्यों के लिए राज्य की वित्तीय आवश्यकताएं मार्च, 1969 तक 12.55 करोड़ रुपये आंकी है । इसमें 5.5 करोड़ रुपये की वह राशि सम्मिलित नहीं है, जिसे राज्य सरकार राहत कार्यों के संगठन के लिए अपनी योजना और गैर-योजना निधि से कर सकती है । दल द्वारा अभिस्तावित 12.55 करोड़ रुपये की निश्चित राशि में से केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को 7.50 करोड़ रुपये सुलभ कर दिए हैं और राशि राज्य सरकार के चाहने पर दी जाएगी ।

Agitation againts cow Slaughter

***116. Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a new agitation on all India level as a result of disappointment over the work of the Committee appointed to go into the question of prevention of cow-slaughter and cow protection is proposed to be launched ; and

(b) if so, reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community-Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Government have not received any intimation from Sarvadalya Goraksha Mahabhiyan Samiti about launching of a fresh agitation. However, Shri Jagatguru Shankaracharya of Puri, is reported to have said in a Press Conference in Delhi on 1st November, 1968 that agitation against Cow Slaughter has been postponed, till February, 1969 due to the ensuing mid-term elections in some States.

(b) A letter has been sent to Shri Jagatguru Shankaracharya Sarvadalya Goraksha Mahabhiyan Samiti on 5-10-1968 that Government would welcome the further active participation of the representatives of the Samiti in the business of the Committee. Reaction to this letter is awaited.

केन्द्रीय श्रम संगठनों से अभ्यावेदन

*117. **श्री रवि राय :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्हें केन्द्रीय श्रम संगठनों के नेताओं से एक संयुक्त पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रति किये जाने वाले अभूतपूर्व और अनुचित दमन को रोकने को कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, उन्होंने उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) सर्वश्री सतीश लूम्बा, एस० वी० गिरी तथा के० जी श्रीवास्तव से इस विषय में मुझे एक संयुक्त प्रतिवेदन, दिनांक 26 सितम्बर, 1968, को मिला था।

(ख) चूंकि प्रतिवेदन का विषय गृह मंत्रालय से सम्बन्धित है इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि माननीय सदस्य इस प्रश्न को गृह मन्त्री से पूछें।

गुजरात में टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

*118. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में टेलिफोन प्रयोक्ताओं की और टेलिफोन बिलों की भारी राशि बकाया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन व्यक्तियों ने जिन्होंने टेलिफोन के बिलों की राशि का भुगतान नहीं किया है कुछ उद्योगपति तथा बड़े व्यापारी भी शामिल हैं ; और

(ग) यदि हां, तो बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इं० कु० गुजराल) : (क) 1 जुलाई, 1968 को 31 मार्च, 1968 तक जारी किये गये टेलिफोन के किराये और ट्रंक काल बिलों की 12.92 लाख रुपये की राशि बकाया थी।

(ख) इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि लेखे टेलिफोन नम्बरों के हिसाब से रखे जाते हैं, न कि प्रयोक्ताओं के वर्गों के अनुसार जैसे कि उद्योगपति या बड़े व्यापारियों का वर्ग।

(ग) वसूली करने के लिए स्मरण पत्र जारी करना, टेलिफोन काट देना, प्रयोक्ताओं के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना और आखिरकार जहां आवश्यक हो कानूनी कार्रवाही जैसे कदम उठाये जाते हैं।

रोजगार सम्बन्धी प्रादेशिक प्राथमिकता प्रणाली का समाप्त किया जाना

*119. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम प्रबन्ध तथा सम्बन्धों के सामाजिक शास्त्र सम्बन्धी पहलुओं के अध्ययन ग्रुप ने श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग को दिये गये प्रतिवेदन में रोजगार के लिये प्रादेशिक प्राथमिकताओं को समाप्त करने की सिफारिश की है ;

(ख) उन्होंने और कौन सी अन्य सिफारिशें की है ;

(ग) उनकी सिफारिशों को कहां तक स्वीकार कर लिया गया है ; और

(घ) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) अध्ययन दल की सिफारिशें राष्ट्रीय श्रम आयोग के विचाराधीन हैं। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सरकार इस मामले पर विचार करेगी।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत अनाज का आयात

120. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मीठालाल मीना :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अमरीका से पी० एल० 480 के अन्तर्गत 35 लाख टन अनाज तत्काल भेजने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका की सरकार इसके लिये राजी हो गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिंदे) : (क) और (ख): भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार से पी० एल० 480 के अन्तर्गत लगभग 23 लाख मीटरी टन खाद्यान्न देने के लिए कहा है। बातचीत अन्तिम दौर पर है और बहुत शीघ्र औपचारिक करार पर हस्ताक्षर हो जाएंगे।

Opening of Telephone Exchange in Villages of Yeotmal District

560. Shri Deorao Patil : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether Jawla, Loni Mahagaon Kasba and other villages of Yeotmal district of Maharashtra have asked for the telepnone facilities by opening a telephone exchange there ;

(b) whether these villages are situated by the telephone line which passes from Yeotmal to Arni; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I.K. Gujral :(a) (b) and (c): Out of the four places mentioned, the request for opening of a Public Call Office at Jawla has been received by the Divisional Engineer Telegraphs, Nagpur, and the proposal is under examination. The proposal for opening of a Public Call Offices at Mahagaon is also under examination by the Department. As regards the other two places, no requests have been received.

The villages Jawla and Mahagaon are located slightly off Yeotmal-Arni route.

भारत में कृषि विश्व विद्यालयों का स्वरूप

561. **श्री देवराज पाटिल :**
श्री यशवन्त सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा ।

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों में कृषि विश्व विद्यालय स्थापित किये गये हैं ;

(ख) विश्व विद्यालयों का स्वरूप क्या है ;

(ग) किन किन कृषि विश्वविद्यालयों में एक से अधिक कैम्पस हैं ; और

(घ) सभी राज्यों में कब तक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिंदे) : (क) पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उड़ीसा ।

(ख) अमरीका के भूमि अनुदान विश्वविद्यालय प्रतिमान को भारतीय परिस्थितियों से मिलाते हुए अनुसन्धान तथा विस्तार को समान्वित करने की दृष्टि से कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं ।

(ग) (1) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना ।

(2) उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर ।

(3) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर ।

(4) कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, हैबल ।

(5) आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद ।

(6) महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ, बम्बई ।

(घ) पांचवीं पंच वर्षीय योजना तक प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्व विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य है ।

डाक व तार विभाग में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे

362. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक व तार विभाग में पिछले दो वर्षों में कर्मचारियों ने चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के कितने दावे राज्यवार प्रस्तुत किये और वे दावे कितनी राशि के थे ;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश डाक व तार सर्किल में अकेले एक कर्मचारी को 26,000 रुपये तक प्रतिपूर्ति के रूप में दिये गये और यदि हां, तो उसका नाम एवं पदनाम क्या है ?

(ग) किस तरीके से और किस रूप में कर्मचारियों द्वारा अपने चिकित्सा सम्बन्धी बिल प्रस्तुत किये जाते हैं और डाक व तार विभाग में किस प्रकार उनकी जांच की जाती है ;

(घ) अब तक कितने झूठे दावों का पता लगा है और अपराधी व्यक्तियों को क्या-क्या दण्ड दिया गया है ; और

(ङ) इस जालसाजी को रोकने के लिये क्या व्यावहारिक कार्यवाही की गई है और यदि ऐसी कार्यवाही नहीं की गई, तो इसके क्या कारण है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री, (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उचित समय में सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) पोड़ी डिवीजन के क्लर्क श्री के० बी० लाल को दो वर्षों में अर्थात 1966-67 और 1967-68 के दौरान लगभग 44077/- रुपये की रकम चिकित्सा खर्च प्रतिपूर्ति के रूप में अदा की गई ।

(ग) चिकित्सा खर्च प्रतिपूर्ति के दावे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रणाली के अनुसार निर्धारित फार्म में भेजे जाते हैं, जिनके साथ अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये अनिवार्यता प्रमाण-पत्र और रोग निदान परीक्षणों, इंजेक्शनों और अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित औषधियां इत्यादि पर हुए खर्च के वाउचर लगे रहते हैं और उस चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होते हैं । इसकी जांच स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उक्त विषय पर समय-समय पर ऐसे दावों की जांच संबंधी जारी किये गये नियमों के सन्दर्भ में की जाती है ।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसको समय पर सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ङ) चिकित्सा खर्च प्रतिपूर्ति की बढ़ती हुई खर्च की प्रवृत्ति को रोकने के लिए पहले से ही बहुत से रोक-थाम के कदम उठाये जा चुके हैं और यह मामला आगे भी विचाराधीन है।

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

563. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्टूबर, 1968 को कोयला खानों में कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई और किन किन खानों तथा स्थानों में दुर्घटनायें हुई;

(ख) प्रत्येक खान में हताहत व्यक्तियों की संख्या कितनी कितनी है ;

(ग) ये दुर्घटनायें किन कारणों से हुई ;

(घ) मृत खनिकों के परिवारों को कितना प्रतिकर दिया गया ;

(ङ) क्या खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा किसी खान के मामले में कोई चेतावनी दी गई थी ; और

(च) यदि हां, तो उस खान का नाम क्या है और इस चेतावनी पर ध्यान न दिये जाने के क्या कारण थे ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायगी।

खुले माल डिब्बों में भेजे गये अनाज की क्षति

564. **श्री बाबू राव पटेल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुले माल डिब्बों में भेजे गये अनाज की क्षति किन कारणों से होती है, इसका पता लगाने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई सरकारी कर्मचारियों की समिति ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ;

(ख) वर्ष 1967-68 में लापरवाही से गेहूँ भेजे जाने के फलस्वरूप, राज्यवार कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के अनाज की क्षति हुई ;

(ग) कितना और कितने मूल्य का क्षतिग्रस्त अनाज मनुष्यों और पशुओं को खिलाने के लिये प्राप्त हुआ अथवा नष्ट कर दिया गया ; और

(घ) भविष्य में ढुलाई के दौरान अनाज को खराब होने से बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक-विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिंदे) : (क) समिति की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है परन्तु आशा है कि शीघ्र ही सरकार को प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(ख) तथा (ग) : समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही सूचना उपलब्ध होगी।

(घ) : सरकार ने रास्ते में खाद्यानों के उचित बचाव के लिये जो पग उठाये हैं उनमें ये भी शामिल हैं : (I) यथा-सम्भव ढकी वैगनों में माल ले जाना (II) खाद्यान्न को ले जाने वाले वैगनों और ट्रकों को अच्छी तिरपालों से ढकना और उचित तरीके से बांधना (III) केवल साफ मौसम में ही खाद्यान्नों का खुले वैगनों में ले जाना और ब्लाक रेकों में मार्ग रक्षकों के साथ ले जाना ताकि रास्ते में कम से कम समय लगे और बीच के स्थानों पर उचित जांच की जा सके ।

कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आदि का आयात

565. श्री बाबूराव पटेल : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1968 को पूरे हुए गत तीन वर्षों में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट और मुरिग्रेट आफ पोटाश का आयात करने के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ी ;

(ख) इन आयातों के लिये भुगतान किस प्रकार किया गया और किन किन देशों को भुगतान किया गया और रुपयों में प्रत्येक देश का कितना कितना हिस्सा था ;

(ग) इन तीनों वस्तुओं का आयात पिछले इस वर्षों में किन कारणों से प्रति वर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है ;

(घ) क्या देश में ही इन पदार्थों का कोई स्त्रोत मिलने की सम्भावना के लिये अब तक कोई खोज की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिंदे) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल ०टी० 2092/68]**

(ग) से (ङ) तक : यद्यपि देश में नाइट्रोजन पूरक उर्वरकों का उत्पादन बढ रहा है, फिर भी यह बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है । इसीलिए प्रतिवर्ष अन्य नाइट्रोजन पूरक उर्वरकों के अतिरिक्त अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का अधिकाधिक आयात किया जा रहा है, फिर भी, 1973-74 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से नाइट्रोजन पूरक उर्वरकों के उत्पादन के लिए अतिरिक्त उत्पादन-इकाईयां स्थापित की जा रही है । म्यूरिएट आफ पोटाश के लिए भारत में पोटाश-ओर की कोई खानें उपलब्ध नहीं हैं । भारत में पोटाश का उपलब्ध साधन केवल नमक कारखानों के उत्सर्जित पदार्थ बिटरन ही हैं । बड़े कारखानों के उत्पादनोंत्पाद के अतिरिक्त बिटरन से सीधे ही पोटाशियम उर्वरक

बनाने की रीति लाभकारी नहीं होगी। पोटाशिक उर्वरकों का आयात भविष्य में भी जारी रखना होगा।

कार्य-भारित प्रणाली

566. **श्री सूरज भान :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में कार्य-भारित प्रणाली के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ; और

(ख) क्या कार्य-भारित श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिये उसमें उचित परिवर्तन करने का सरकार का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) कार्य-भारित श्रमिकों की नियुक्ति सामान्यतः केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाती है और उन्हें औद्योगिक श्रमिक समझा जाता है। द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उन्हें पेंशन, छुट्टी, चिकित्सा सुविधायें आदि दी जाती है। केन्द्रीय श्रम कानून कार्य-भारित तथा दूसरे कर्मचारियों में कोई अन्तर नही मानते।

मजदूरों की ठेका प्रणाली

567. **श्री सूरज भान :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में प्रचलित मजदूरों की ठेका प्रणाली को समाप्त करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : सरकार ने एक ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) विधेयक तैयार किया है। यह विधेयक लोक सभा में 31 जुलाई 1967 को पेश किया गया और उसे संसद की संयुक्त समिति को सौंप दिया गया है। उद्योगों के सरकारी व निजी क्षेत्रों में कोई भेद नहीं किया जाता। इस विधेयक में कुछ मामलों में ठेका श्रम के उन्मूलन, तथा जहां उन्मूलन संभव न हो, वहां ठेका श्रम के विनियमन की व्यवस्था है।

चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशें

568. **श्री सूरज भान :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मजूरी बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो यह प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जाने की आशा है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) चीनी उद्योग के दूसरे मजूरी बोर्ड ने अभी तक अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मार्च, 1969 के अंत तक।

पश्चिमी बंगाल में हड़तालें, तालाबन्दियां और कारोबार का बन्द होना

569. **डा० रानेन सेन :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1968 में कुल कितनी हड़तालों तालाबन्दियां और कारोबार बन्द होने की घटनाएं हुईं ;

(ख) इसके क्या कारण थे ; और

(ग) कितने उद्योगों में ऐसा हुआ, कुल कितने जन दिवस नष्ट हुए और उससे कुल कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क), (ख) और (ग) : सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

Sub-soil water Survey Scheme

570. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the acreage of land in regard to which survey has so far been conducted under the Sub-soil Water Survey Scheme ; and

(b) the acre feet of water which can be taken out through either tubewells or wells and the ecreage of land in which it has been found as per the figures available so far ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) & (b) : The information is being collected and, on receipt, will be laid on the Table of the Sabha.

हिन्दी रिपोर्ट

571. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मन्त्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/29/68-ओ० एल० तारीख 6 जुलाई, 1968 उनके मंत्रालय को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3, 4, 5, 6 और 7 के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

(ग) अगस्त और सितम्बर, 1968 में उनके मन्त्रालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों और संस्थाओं ने कितनी निविदाएं, ठेके, लाइसेंस, परमिट, अधिसूचनाएं और प्रशासनिक रिपोर्ट हिन्दी में भी प्रकाशित की या जारी की ; और

(घ) उनके मन्त्रालय में प्रथम वर्ग के ऐसे कितने आफिसर हैं जो न तो हिन्दी जानते हैं और न नियमित रूप से हिन्दी प्रशिक्षण कक्षाओं में पढ़ने जाते हैं ?

विधि मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में वर्णित गृह मन्त्रालय का कार्यालय ज्ञापन विधि मन्त्रालय के दोनों विभागों अर्थात, विधि कार्य विभाग (जिसके अन्तर्गत उस विभाग का एकमात्र अधीनस्थ कार्यालय आयकर अपील अधिकरण है) और विधायी विभाग तथा निर्वाचन आयोग के, जिससे विधि मन्त्रालय प्रशासनिक रूप से सम्पृक्त है, आफिसरों और अनुभागों में उनकी जानकारी और पथप्रदर्शन के लिए परिचालित कर दिया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3, 4, 5 और 7 में अन्तर्विष्ट अनुदेश नोट कर लिए गए हैं और उन्हें यथासम्भव कार्यान्वित किया जा रहा है। जहां तक ज्ञापन के पैरा 6 का सम्बन्ध है इस मन्त्रालय में अनुवाद की पर्याप्त व्यवस्था है। निर्वाचन आयोग में उस कार्यालय के अनुवाद कार्य के लिए मई, 1968 से एक प्रथक हिन्दी अनुभाग एक हिन्दी आफिसर के भारसाधन में कार्य कर रहा है। अपेक्षित संख्या में हिन्दी टाइपराइटर खरीदने के लिए कार्यवाही पहले ही आरम्भ की जा चुकी है।

(ग) सम्बद्ध कालावधि के दौरान हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में साथ-साथ जारी की गई अधिसूचनाओं की कुल संख्या 32 (बत्तीस) है। इस कालावधि के दौरान कोई निविदाएं, ठेके, लाइसेंस, परमिट और प्रशासनिक रिपोर्ट जारी नहीं की गई।

(घ) 50 (पचास)।

Production of Cotton

572. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the estimates of production of cotton during the next season ;

(d) the quantlity of cotton which is proposed to be exported ; and

(c) the steps taken to increase the cultivation of long staple cotton ?

The Minister of State in the Miaistry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) It is too early to give any firm idea about the production of cotton during 1968-69 season, as final estimate of cotton for 1968-69 is due to be released by the middle of the May, 1969.

(b) Exports of cotton during the cotton season 1968-69 (September, 1968-August 1969) are expected to be of the order of 3 lakh bales.

(c) Centrally Sponsored Seheme have been taken up for increasing the production of long staple varieties of cotton in new sellected areas, in the important cotton growing States, besides continuing the Package areas already covered under the State programme.

Financial Assistance to Famine Striken Scheduled Casts/Scheduled Tribes in Rajasthan

573. **Shri P. L. Barupal :**
Shri G. C. Dixit :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme for giving some financial assistance and other concessions to the peopole of Rajasthan particulary to the families of Scheduled Casts and Scheduled Tribes because of acute famine conditions there ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community-Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) The State Government have organised relief operations on a considerable scale in the drought affected areas.These include grant of gratuitous relief, organisation of relief works. drinking water arrangements, supply of fooder at subsidised rates, supply of free fodder to migrating cattle, etc, Relief is being given without any distinctions of caste and cread and members of Scheduled Caste and Scheduled Tribes will benefit from it along with the rest of the affected population. A General Team visited Rajasthan recently. The Team have not yet finalised their recommendations. Every possible assistance will be given to the Rajasthan Government an alleviating the distress caused by draught.

संयुक्त अरब गणराज्य और इसराइल के बीच हुए युद्ध के दौरान जब्त किया गया माइलो अनाज

574. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री क० लकप्पा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 14 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 491 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य सरकार को माइलो अनाज बेचने के बारे में बातचीत इस बीच में पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां तो भाव प्रति टन कितने रुपये ठहरा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिंदे) : (क) जी हां । संयुक्त अरब गणराज्य सरकार के साथ हुए एक करार पर 13 अगस्त, 1968 को हस्ताक्षर हुआ था ।

(ख) संयुक्त अरब गणराज्य सरकार द्वारा रुपये के रूप में देने का तयशुदा मूल्य 221.38 रुपये प्रति मीटरी टन था ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

निर्यात के लिए सब्जियों की किस्में तैयार करना

575. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री ए० श्री धरन ।
श्री क० लक्प्पा :
श्री निहालसिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात के लिए सब्जियों की विशेष किस्में तैयार कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी, हां ।

(ख) निर्जलीकरण के लिए उपयुक्त किस्म के बीज को आयात करके निर्यात करने के लिए सफेद प्याज को विकसित किया जा रहा है । यही एक ऐसी सब्जी है, जो पर्याप्त मात्रा में निर्यात की जा रही है ।

जापान में सब्जियों से तैयार किया गया मांस रहित मांस

576. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री ए० श्री धरन :
श्री क० लक्प्पा :
श्री निहाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि जापान में सब्जियों से तैयार किया गया मांस–रहित मांस बेचा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में भी इस प्रकार के अनुसन्धान किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिंदे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय खाद्य औद्योगिकी अनुसन्धान संस्थान, मैसूर ने वनस्पति प्रोटीन सान्द्रण जैसा चट-पटा और कढ़ी मांस तैयार किया है । प्रारम्भिक परीक्षणों से पता चलता है कि ये भोज्य पदार्थ सामान्यतः स्वीकार्य है ।

फसल बीमा योजना

577. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ए० श्री धरन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री क० लक्प्पा :
श्री देव राव पाटिल :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फसल बीमा योजना पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिंदे) : (क) और (ख): अभी फसल बीमा योजना के ब्यौरे पर सरकार विचार कर रही है ।

(ग) फसल बीमे पर संसद द्वारा विधेयक पास होने पर राज्य सरकारों द्वारा निर्णय होते ही योजना को कार्यरूप दे दिया जायेगा ।

देश में सूखा

578. **श्री बलराज मधोक :**
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री रंजीत सिंह :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री जनार्दनन :
डा० रानेन सेन :
श्री जि० मो० विस्वास :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री ए० श्री धरन :
श्री हेम राज :
श्री रा० की० अमीन :
श्री गाडिलिंगन गौड़ :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री नि० र० लास्कर :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री हुकमचंद कछवाय :
श्री सीताराम केसरी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री क० लकप्पा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री शारदा नन्द :
श्री वंशनारायण सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्षा न होने अथवा अपर्याप्त वर्षा होने के कारण देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रभावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है, और केन्द्रीय सरकार ने इन क्षेत्रों को राज्य-वार किस प्रकार की सहायता दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सूखे के प्रभावित क्षेत्र

राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर दी गई जानकारी के अनुसार, इस वर्ष निम्न लिखित क्षेत्र सूखे से प्रभावित हुए हैं:—

1.	आन्ध्र प्रदेश	मूलतः सभी क्षेत्र प्रभावित हुए थे, परन्तु सितम्बर-अक्तूबर में हुई वर्षा के परिणामस्वरूप राज्य के कुछ क्षेत्रों में स्थिति में सुधार हुआ है।
2.	बिहार	5 ज़िलों के क्षेत्र प्रभावित हुए हैं।
3.	गुजरात	दो ज़िले।
4.	हरयाणा	चार ज़िले।
5.	मैसूर	मूलतः 16 जिलों के क्षेत्र प्रभावित हुए थे, परन्तु सितम्बर/अक्तूबर में हुई अच्छी वर्षा से स्थिति में सुधार हुआ है।
6.	उड़ीसा	चार जिले।
7.	राजस्थान	5 जिलों पर गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ा है। अन्य जिलों के क्षेत्रों पर भी न्यूनाधिक प्रभाव पड़ा है।
8.	उत्तर प्रदेश	8 जिलों के क्षेत्रों पर न्यूनाधिक प्रभाव पड़ा है।
9.	पश्चिमी बंगाल	एक जिले के कुछ भागों पर प्रभाव पड़ा है।

सूखे के लिये केन्द्रीय सहायता :

दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में सहायता देने की कार्यवाही करना राज्य सरकारों का विषय है। जब सहायता कार्य इस स्तर का हो कि केन्द्र सरकार की सहायता की भी आवश्यकता पड़े, विशेष रूप से आर्थिक सहायता के रूप में, तो केन्द्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजी जाती है। और फिर केन्द्रीय दल के अधिकारियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर निश्चित पद्धति के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाती है। दैवी विपत्तियों से प्रभावित राज्यों की दी गई आर्थिक सहायता का ब्यौरा देने वाला एक विवरण दिनांक 11—11—68 के तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर में सभा पटल पर रखा गया था।

खाद्यान्नों के बारे में राज्यों की कमी को दूर करने हेतु राज्यों की आवश्यकताओं तथा केन्द्रीय भण्डार में खाद्यान्नों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए राज्यों को खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है।

597. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of Class III and Class IV employees working at presest, in the Department of Communications throughout the country;

(b) the number of Class III and Class IV employees of the Posts and Telegraphs Department who were suspended, dismissed, and whose absence was treated as a break in service during the last six months;

(c) the number of employees who were recruited during the last three months; and

(d) the number of employees arrested during the above period ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (d) The information required is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Accommodation for P & T Offices in Madhya Pradesh

580. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of post-offices, sub post-offices and Telegraph Offices separately in Madhya Pradesh which have been housed in rented buildings for want of Government accommodation;

(b) the amount spent by Government as renton such buildings every year; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government to house such post offices in Government buildings ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) 4 Head Post Offices, 586 Sub, Post Offices and 6 Telegraph Offices are housed in rented buildings.

(b) Yearly rent of Rs. 13,471.44 paise and Rs. 5,35,276.92 are paid for buildings housing Head Post Offices and Sub Post Offices respectively while yearly rent of Rs. 68,258.40 is paid for buildings housing the telegraph offices.

(c) Action is being taken to construct departmental buildings to house Post Offices. At present 15 proposals are being processed. Due to limitation of funds for building works, the programme has to be limited every year based on funds available.

Post Offices in Rented Buildings in Dewas and Shajapur, M. P.

581. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) The number of post offices at present in the districts of Dewas and Shajapur in Madhya Pradesh which have been housed in rented buildings for want of Government buildings; and

(b) the amount Government spent towards rent every year on them ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) 9 and 7 in Dewas and Shajapur Districts respectively.

(b) Rs. 7680/- and Rs. 4224 per annum respectively in Dewas and Shajapur Districts.

Increase in Prices of Foodgrains

582. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri RanjitSingh :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Sharda Nand :
Shri Shri Gopal Saboo :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Hardayal Devgun :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri J. B. Singh :
Shri D. B. Raju :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the prices of foodgrains have increased steeply recently; and

(b) if so, the reasons therefor and the steps so far taken or proposed to be taken by Government to prevent the increase in the prices of foodgrains ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coorperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Although there was some rise in the prices of major foodgrains upto Septembers, 1968, the priees except in the case of wheat have shown a downwaid trend since October, 1968, following the arrival of the new Kharif crop. Seasonal rises in prices during the loan season this year were, however, lower than last year.

(b) The upward trend in wheat prices in on account of the loan season. To check the rise in prices foodgrains are supplied from the Central reserves to the deficit States for distribution under the public distribution system.

पंजाब मे रूई की उपज

583. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में रूई की उपज बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : रूई की उपज बढ़ाने के लिए अपनाई गई उन्नत पद्धति पैकेज को राज्य की योजना तथा केन्द्र द्वारा आयोजित योजना के अन्तर्गत पंजाब राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्नत बीज तथा उर्वरक जैसे आवश्यक आदान उत्पादकों को उपलब्ध किए जा रहे हैं। पौध रक्षा उपाय आयोजित किये जा रहे हैं जिनमें बड़े क्षेत्रों में किया जाने वाला हवाई जहाज द्वारा छिड़काव सम्मिलित है। उपरोक्त कार्यक्रमों को चौथी योजना में भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

पंजाब में बनस्पति घी की कमी

584. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब तथा चण्डीगढ़ में वनस्पति घी की कमी दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या यह सच है कि पंजाब तथा चण्डीगढ़ मे गेहूं तथा चावल के मूल्य काफी बढ़ गये है;

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पंजाब और चण्डीगढ़ में वनस्पति की कमी के संदर्भ में पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन ने वनस्पति का समुचित वितरण करने के लिए वनस्पति डीलर्स लाइसेंसिंग आदेश निकाला था। पंजाब में वनस्पति की बिक्री भी खाद्य कार्ड धारियों को की जाती है। अक्तूबर, 1968 के शुरू में सप्लाई स्थिति में सुधार होने से ये प्रतिबन्ध उठा लिए गए थे।

(ख) और (ग): पंजाब और चण्डीगढ़ में गेहूं और चावल के मूल्यों में कुछ मौसम बढ़ोतरी हुई थी। चंडीगढ में मूल्यों पर नियन्त्रण रखने के लिये चंडीगढ़ प्रशासन ने नवम्बर, 1968 से उचित मूल्य की दुकानों/उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के द्वारा खाद्यान्नों की बिक्री शुरू की। नई खरीफ की फसल के आने से भावों में स्थिरता अथवा गिरावट की प्रवृत्ति आने लगी है।

पंजाब में सूखे की स्थिति

585. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या पंजाब के कुछ भागों, विशेषतया फिरोजपुर जिले में सूखे की स्थिति है; और

(ख) इस वर्ष की कपास की खेती पर सूखे का कितना प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारत सरकार को पंजाब में सूखे की स्थिति होने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मंत्रणा समितियां और बोर्ड

586. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री 29 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6435 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय में मंत्रणा समितियां और बोर्डों के बारे में इस बीच जानकारी एकत्रित करली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग): एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सभा की मेज़ पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2093/68**]

कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति

587. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री 9 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10320 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियोजकों द्वारा कोयला तथा अन्य खनिज उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं और इन सिफारिशों को क्रियान्वित कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) जी, हां। कुछ प्रगति हुई है। वर्तमान स्थिति को दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। कोयला उद्योग के विषय में सरकार ने निर्णय किया है कि कोयले के मुख्य सरकारी खरीददार जैसे रेल, इस्पात कारखाने तथा बिजली प्रतिष्ठान आदि उन्हीं कोयला खान प्रबन्धकों के कोयला सम्भरण की निविदा को माने जो संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) इस आशय का एक प्रमाण-पत्र कि उन्होंने कोयला खान उद्योग संबंधी केन्द्रीय वेतन बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया है, पेश करें।

विवरण

कोयला तथा अन्य खनिज उद्योगों सम्बन्धी मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को क्रियान्वित न करने वाली कोयला खानों/अन्य खानों की संख्या

		कुल कोयला खानों/ अन्य खानों की संख्या	सिफारिशें क्रियान्वित न करने वाली कोयला खाने/अन्य खानों की संख्या।
(एक)	कोयला खनन उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	746	221 (इसके अतिरिक्त 483 कोयला खानों ने सिफारिशें केवल आंशिक रूप में क्रियान्वित की हैं।)
(दो)	लौह अयस्क खनन उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	376	299 (8 खानों ने सिफारिशें आंशिक रूप में क्रियान्वित की हैं।)
(तीन)	चूना पत्थर तथा डोलोमाइट खनन* उद्योग सम्बन्धी मजूरी	283	235 (16 खानों ने सिफारिशें आंशिक रूप में क्रियान्वित की है।)

39* 21 (2 खानों ने सिफारिशें आंशिक रूप में क्रियान्वित की हैं।)

खाद्यान्न गोदामों के ढांचे

588. **श्री रा० बरुआ :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री मधु लिमये :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खाद्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और व्यापारियों में धातु के बने खाद्यान्न गोदामों के ढांचों को लोक प्रिय बनाने का कार्यक्रम चालू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस कार्यक्रम को कितनी सफलता मिली है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक-विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य–मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) इस कार्यक्रम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:–

(1) किसानों और व्यापारियों के सम्मुख विभिन्न जलवायु की स्थिति में विभिन्न खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए धातु बिनों की उपयोगिता और उपयुक्तता के बारे में प्रदर्शन किए जाते हैं ।

(2) देश भर के इंजीनियरिंग माल के निर्माताओं की तकनीकी जानकारी और निर्दिष्टयां उपलब्ध का उचित बिन तैयार करने की सलाह दी जाती है ।

(3) भण्डारण सम्बन्धी आधुनिक टैक्नालोजी का विस्तार, कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देना ।

(ग) सरकार द्वारा उपरोक्त पग उठाने के परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के किसानों में धातु के बिन लोकप्रिय हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से पूर्व धातु के बिनों को बनाने का कार्य जो कि वास्तव में अज्ञात था, अब उसे लगभग 20 फर्मों ने शुरू कर दिया है ।

विस्तार कार्य बिहार, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों में प्रारम्भिक अवस्था में ही है ।

खाद्य के बारे में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

589. श्री रा० बरुआ :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रविराय :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री देव राव पाटिल :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री बे०कृ० दास चौधरी :
श्री हेमराज :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री हेम बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री शारदा नन्द :
श्री स्वतन्त्र सिंह कांठारी :
श्री अदिचन :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री धोरेश्वर कलिता :
श्री समर गुह :
श्री सी० मुतुस्वामी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रा० को० अमीन :
श्री गाडिलिंगन गौड़ :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री लतीफ अली खां :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सोमवार, 23 सितम्बर, 1968 को खाद्यान्नों की वसूली खाद्य क्षेत्रों, राशन व्यवस्था तथा चीनी सम्बन्धी नीति पर विचार विमर्श करने के लिए मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था,

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य निर्णय किया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ मुख्य मंत्री सरकार की खाद्य नीति से असहमत थे; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक-विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) यह निर्णय किया गया था कि 1968-69 के लिए खरीफ खाद्यान्नों के गत वर्ष के अधिप्राप्ति मूल्यों को ही जारी रखा जाय और वर्तमान क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को भी बनाए रखा जाय। यह भी निर्णय किया गया था कि उपलब्धि में वृद्धि के साथ लेवी की प्रतिशतता में वृद्धि करते हुये चीनी की आंशिक विनियंत्रण की नीति को जारी रखा जाय ।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय स्तर पर खाद्य नीति पर होने वाले किसी विचार-विमर्श में कुछ मतभेद होने की आशा करना स्वाभाविक है। तथापि, खुले रूप में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के बाद नीति विषयक प्रमुख पहलुओं पर मतैक्य हो गया था।

खाद्य उत्पादन

590. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1967-68 में अधिक ऊपज देने वाले बीजों की किस्मों में वृद्धि होने के बावजूद खाद्य उत्पादनों में 1964-65 की तुलना में केवल 66 लाख टन वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1968-69 में कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) 1967-68 में धान, गेहूं, मक्का, बाजरा और ज्वार नामक 5 धान्य फसलों के सम्बन्ध में खाद्यान्नों की खेती के कुल क्षेत्र के 5 प्रतिशत से भी कम क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम लागू था। गेहूं और मक्का के मामले में बढ़ौतरी कुल उत्पादन की लगभग 35 प्रतिशत थी और बाजरे के मामले में 15 प्रतिशत। यह बढ़ौतरी काफी हद तक अधिक उपज देने वाले कार्यक्रम के कारण थी। परन्तु देश के विभिन्न भागों में अक्टूबर नवम्बर, 1967 के दौरान प्रतिकूल मौसम, जैसे कि बिहार के हथिया में वर्षा में कमी होना और उड़ीसा, पश्चिम-बंगाल तथा आन्ध्र प्रदेश में अपर्याप्त वर्षा होने के कारण सामान्य खेती के अन्तर्गत चावल के उत्पादन में कमी होने के परिणामस्वरूप अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम क्षेत्रों में चावल की अधिक उपज प्राप्त करने में विषमता आ गई।

(ग) 1968-69 की अवधि के लिये खाद्यान्नों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान केवल कृषि वर्ष की समाप्ति के पश्चात ही उपलब्ध होंगे।

डाक तथा तार विभाग द्वारा जारी किये गये डाक टिकट

591. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या संचार मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें जनवरी, 1968 से डाक तथा तार विभाग द्वारा जारी किये गये डाक टिकटों की संख्या तथा उनका संक्षिप्त विवरण दिया हुआ हो ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2094/68]

दिल्ली में एक और सुपर बाजार खोलना

592. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 29 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6528 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में एक और सुपर बाजार खोलने के प्रस्ताव को इस बीच में अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी नहीं। यह प्रस्ताव अभी तक कोआपरेटिव स्टोर लि०, जो सुपर बाजार को चलाता है, के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्षा के कारण रास्ते में गेहूं की बोरियों की क्षति

593. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 1 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2139 तथा 2140 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) न्यू कांडला से बुक किये गये तथा तामुरीया में प्राप्त हुए आयातित गेहूं की 2260 बोरियों को रेलवे अधिकारियों की असावधानी के कारण वर्षा से कितना नुकसान हुआ;

(ख) पूना में प्राप्त हुए पंजाब के गेहूं की 4,730 बोरियों को कितनी क्षति हुई;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे प्रशासन को कोई दावा भेजा है और यदि हां, तो उस दावे की राशि कितनी है;

(घ) क्या मार्ग में इस गेहूं की इस बड़ी मात्रा की सुरक्षा के हेतु पूर्वोपाय न करने के लिये कोई जिम्मेवारी निर्धारित की गई है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये रेलवे अधिकारियों के परामर्श से क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक-विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 2260 बोरियों में से 300 बोरियां वर्षा से प्रभावित नहीं हुई थीं और उनकी सुपुर्दगी ठीक हालत में ली गयी थी। शेष बोरियों में 1901 क्विंटल गेहूं में से लगभग 465 क्विंटल गेहूं क्षतिग्रस्त पाया गया था।

(ख) और (ग): पूना में प्राप्त हुये पंजाब के गेहूं की 68692 बोरियों में से रेल मार्ग में 4830 बोरियां (और जैसा कि पहले सूचित किया गया था 4730 नहीं) वर्षा से प्रभावित हुई थीं। पता चला है कि लगभग 1603 क्विंटल गेहूं क्षति-ग्रस्त हुआ है जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे के पास 1,49,083.24 रुपये का दावा दायर किया है।

(घ) यह मामला रेलवे के ध्यान में लाया गया है ।

(ङ) यह मान लिया गया है कि खाद्यान्न लादने के लिये यथा सम्भव सीमा तक ढके हुये वैगन सुलभ किए जाएंगे । यदि ढके हुये वैगनों की कमी के कारण खुले वैगनों का प्रयोग करना पड़ता है, तो रेलवे ने यह आश्वासन दिया है कि ये वैगन तिरपालों से अच्छी तरह ढक दिए जायेंगे और रास्ते भर में उनकी हिफाजत की जाएगी । केवल साफ मौसम में ही यथा सम्भव खुले वैगन प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है ।

Irregularities in the Counting of Votes in Karnal Parliamentary Constituency.

594. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Yashpal Singh :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Hardayal Devgun :

Will the Minister of Law be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Supreme Court have found serious irregularities in the counting of votes of Somalka area of Karnal Parliamentary Constituency;

(b) if so, whether Government have made any investigation in this regard;

(c) if so, the action taken against the persons responsible for it; and

(d) the precautions taken to check such irregularities in the counting of votes during mid-term elections to be held in West Bengal, Uttar Pradesh, Bihar and Punjab ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem) (a) Apart from certain news items appearing in the Press, the Election Commission has no other information in the matter.

(b) to (d): The judgment of the Supreme Court in the election appeal is awaited. As such, the question of making investigations and taking action does not arise at this stage.

Agricultural Prices Commission

595. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri R. Barua :
Shri Chintamani Panigrahi :
Shri Deorao Patil :
Dr. Ranen Sen :
Shri Nitiraj Singh Chaudhary :
Shri Prem Chand Verma :
Shri Latafat Ali Khan :
Shri Sradhakar Supakar :
Shri R. K. Amin :
Shri A. Sreedharan :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Agriculture Prices Commission has submitted its report;

(b) if so, the main recommendations of the Commission on foodgrains procurement and price policy for kharif season during 1968-69;

(c) the reactions of various State Governments thereon; and

(d) the decisions taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The Agricultural Prices Commission have recommended a procurement target of 5.7 million tonnes of Kharif cereals consisting of 4.2 million tonnes of rice and 1.5 million tonnes of coarse grains. The procurement prices recommended by the Agricultural Prices Commission are given in the statement. [Placed in Library, See No. LT. 2095/68]

(c) The recommendations of the Agricultural Prices Commission were discussed in a Conference of Chief Ministers of States. The consensus of opinion at the Conference was that in view of shortfall in production on account of drought and scarcity in some parts and floods in others, it will not be possible to achieve the target set by the Commission, and that last year's procurement prices should be continued with marginal adjustments in some States.

(d) The target for procurement of Kharif cereals has been fixed at 4.3 million tonnes consisting of 3.5 million tonnes and 0.8 million tonnes of coarse grains. The procurement prices announced for the current year are the same as those of last year except for slight increase in paddy price of Mysore and in jowar and nagli prices for Maharashtra. The prices fixed for 1968-69 are indicated in the Statement mentioned in reply to part (b)

कोयला उद्योग में श्रमिक स्थिति

596. **डा० रानेन सेन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हो० ना० मुकर्जी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला उद्योग सम्बन्धी राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्ययन दल ने अपने प्रतिवेदन में यह बताया है कि कोयला उद्योग में श्रमिकों की स्थिति उत्तरोत्तर खराब होती चली गई है;

(ख) क्या इस दल ने यह भी बताया है कि कोयला खानों में औद्योगिक अशान्ति का मुख्य कारण यह है कि मजूरी बोर्ड पंचाट को क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ग) क्या इस अध्ययन दल की राय में मूल्यों में वृद्धि, सेवा से मुक्ति, बर्खास्तगी, छंटनी, जबरी छुट्टी तथा युक्त और वैध भुगतानों की अदायगी न करना इन सभी कारणों से श्रमिक स्थिति खराब हुई है;

(घ) क्या स्थिति को सुधारने के लिये दल ने कई उपाय सुझाये हैं;

(ङ) यदि हां, तो दल ने इस बारे में क्या मुख्य सुझाव दिये हैं; और

(च) उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ङ): राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अध्ययन दल की रिपोर्ट सम्बन्धित संस्थाओं को उनके विचार जानने के लिये भेज दी है । रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय को पहले ही भेज दी गई हैं ।

(च) अध्ययन दल की रिपोर्ट के दिये गये सुझाव पर राष्ट्रीय श्रम आयोग ने विचार करना है। आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर ही सरकार द्वारा उन पर निर्णय लेने का प्रश्न उठेगा।

अनाज का रक्षित भण्डार

597. **डा० रानेन सेन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री प्रेमचन्द वर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में अनाज का रक्षित भण्डार बनाने में कोई सराहनीय प्रगति नहीं हुई है;

(ख) क्या धीमी प्रगति का मुख्य कारण देश में वसूली अभियान की असफलता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पिछले कई वर्षों में वसूली लक्ष्यों से सदा कम होती रही है;

(घ) क्या सरकार ने लक्ष्यों को पूरा करने में वसूली एजेंसियों की निरन्तर असफलता के कारणों की छानबीन की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास खाद्यान्नों का वास्तविक स्टाक नवम्बर, 1967 के शुरू में 13.1 लाख मीटरी टन से बढ़कर नवम्बर, 1968 के शुरू में 32.7 लाख मीटरी टन हो गया है।

(ख) यह कहना ठीक नहीं है कि आन्तरिक अधिप्राप्ति अभियान असफल रहा है।

(ग) यदि अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने का प्रयत्न करना है तो लक्ष्य ऊंचे निर्धारित करने ही होंगे। वास्तविक अधिप्राप्ति सामान्यतः अपेक्षाकृत कम रहेगी। लेकिन कुछ राज्यों में वास्तविक लक्ष्य से अधिक भी हुई थी।

(घ) और (ङ): अधिप्राप्ति की प्रगति पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है और अधिप्राप्ति में परिहार्य बाधाओं को दूर करने के लिए कदम भी उठाये जाते हैं।

कपड़ा उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन

598. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री नम्बियार :
श्री उमानाथ :
श्री रामानी :
श्री सूरज भान :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 29 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 767 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बीच कपड़ा उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या क्या सिफारिशें की गई हैं तथा उनकी क्रियान्विति के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रादेशिक भाषाओं में टेलीफोन निर्देशिका

599. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में टेलीफोन निर्देशिका को प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन निर्देशिका को कितनी प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित करने का सरकार का विचार है; और

(ग) इस पर कितना अतिरिक्त खर्च होने की सम्भावना है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, हां ।

(ख) हिन्दी सहित सभी प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित करने का प्रस्ताव है ।

(ग) यह निश्चिय किया गया है कि हिन्दी और गुजराती में डायरेक्टरी, विभाग छपवाएगा और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में डाएरेक्टरी प्रकाशनों को जारी होने वाले लाइसेंस के आधार पर तैयार होंगी । लाइसेंस शुदा प्रकाशनों के मामले में विभाग का कोई व्यय नहीं होगा, किन्तु उल्टे लाइसेंसधारी रायल्टी अदा करेगा ।

विभागीय प्रकाशनों के मामले में व्यय निम्न प्रकार हैं:–

(I) हिन्दी

(1) उ० प्र० सर्कल, दिसम्बर, 66 का संस्करण 12,000 प्रतियां, 73,000 रुपये ।

(2) उ० प्र० सर्कल अप्रैल 68 का संस्करण 18,000 प्रतियां, 1,17,500 रुपये ।

(3) बिहार सर्कल, नवम्बर, 67 का संस्करण 6000 प्रतियां, 47,412 रुपये ।

(4) बिहार सर्कल, अप्रैल 68 का संस्करण 9000 प्रतियां। व्यय का विवरण उपलब्ध नहीं है।

(5) मध्य प्रदेश सर्कल, अप्रैल 68 का संस्करण, 6000 प्रतियां, 45000/- रुपये, अनुमानतः

(6) राजस्थान सर्कल, जून, 68 का संस्करण, 5000 प्रतियां, 19,972 रुपये।

(7) दिल्ली टेलीफोन परिमण्डल, दिसम्बर, 68 का संस्करण, प्रकाशनाधीन 20,000 प्रतियां, 1,90,650 रुपये अनुमानतः

(ii) गुजराती

(1) अहमदाबाद टेलीफोन परिमंडल, 1966 में 2 संस्करण, 16000 प्रतियां 48,675,00 रुपये।

(2) अहमदाबाद टेलीफोन परिमंडल, 1967 में 1 संस्करण 8000 प्रतियां 29,008 रुपये।

(3) गुजरात सर्कल, अप्रैल 66 का संस्करण, 17,000 प्रतियां 47,260 रुपये।

(4) गुजरात सर्कल, जनवरी, 68 का संस्करण, 16,500 प्रतियां व्यय का विवरण उपलब्ध नहीं है।

इन्डियन इलैक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता की कर्मचारी भविष्य निधि

600. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री चक्रपाणि :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री नम्बियार :**
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री इन्डियन इलैक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता की कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में 29 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6332 के भाग (ङ) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बीच इस मामले की जांच करली है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) यह मामला अभी भी विचाराधीन है।

Stray Cows, Calves and Bulls at Gosadan in Naiaital District

601. **Shri Yashpal Singh :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether it is a fact that stray cows, calves and bulls caught in Delhi are sent to Gosadan at Gularbhoj in Nainital District of Uttar Pradesh;

(b) whether it is also a fact that healthy cows are sold by auction to butchers every month on their producing fake certificate of being farmers in the above Gosadan; and

(c) if so, the reasons for such auction of cows ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir; but only such cattle, as are not likely to be accepted by breeders/institutions etc. from other States for rearing, are sent to Gularbhoj Gosadan.

(b) and (c): Some cattle are sold by auction to bonafide farmers in and around Gularbhoj for rearing purposes on production by them of certificate from the Sarpanch Livestock Officer of their areas to the effect that they have means for keeping useful animals.

डाक तथा तार विभाग में हड़ताल

602. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :**
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री बे० कु० दास चौधरी :
श्री काशी नाथ पांडे :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल अन्य विभागों के कर्मचारियों की तुलना में डाक तथा तार विभाग में सब से अधिक थी;

(ख) डाक तथा तार विभाग में कुल कितने व्यक्ति हड़ताल पर रहे और कुल संख्या की तुलना में उनकी प्रतिशतता क्या थी; और

(ग) प्रत्येक मद के अन्तर्गत विभाग को हुई हानि का ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इं० कु० गुजराल) :(क) 19 सितम्बर, 1968 को 39.6 प्रतिशत डाक तार कर्मचारी हड़ताल पर रहे। अन्य विभागों से इसकी तुलना के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है। तथापि डाक-तार विभाग में धीमे काम करो' आन्दोलन के कारण हड़ताल लम्बी हो गई जिससे कई प्रमुख सर्कलों में काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(ख) 1 33,361.

39.6 प्रतिशत।

(ग) परियात राजस्व में घाटा–16,66,093 रुपये 85 पैसे

सरकारी सम्पत्ति को हुई क्षति –2,100 रुपये ।

मोडर्न बेकरीज (इन्डिया) लिमिटेड

603. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रति मास 500 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले पदों के लिये भर्ती करने के हेतु मोडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड ने कोई उचित नियम बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे नियम बनाने का है और यदि हां, तो कब तक ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) कम्पनी का मनुअल जिसमें मोडर्न बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए नियम होंगे, तैयार किया जा रहा है और अगले वर्ष तक तैयार हो जाने की आशा है । इस बीच में कम से कम 500 रुपये के वेतन के पदों को समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर अथवा अन्य विभागों से उपयुक्त व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति पर लेकर भरा जाता है ।

मोडर्न बेकरीज (इन्डिया) लिमिटेड

604. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या खाद्य, तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोडर्न बेकरीज (इन्डिया) लिमिटेड की कार्य प्रणाली का कभी सामान्य परीक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले थे और यदि नहीं, तो क्या इस प्रयोजन के लिये किसी विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) मोडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड की प्रगति और कार्यप्रणाली की समीक्षा समय समय पर कम्पनी के निदेशक बोर्ड जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं, द्वारा की जाती है । तथापि, क्योंकि मोडर्न बेकरीज के विभिन्न यूनिट विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और कुछ यूनिट अभी स्थापित किए जाने हैं इसलिए सरकार द्वारा कोई सामान्य मूल्यांकन नहीं किया गया है । इस उद्देश्य के लिए किसी विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त करने का कोई विचार नहीं है और न ही इस अवस्था में आवश्यक समझा जाता है ।

मोडर्न बेकरीज (इन्डिया) लिमिटेड

605. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनियमितताओं, चोरी, स्टाक में कमी, आग तथा अन्य कारणों से मोडर्न बेकरीज (इन्डिया) लिमिटेड को अब तक कुल कितनी हानि हुई है;

(ख) क्या इस हानि के कारणों की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 31 मार्च, 1968 तक 6,035.50 रुपये ।

(ख) जी हां ।

(ग) हानि मार्ग में सामग्री, सम्भालने और भण्डारण की कमी के कारण हुई थी, न कि किसी अनियमितता या चोरी के कारण ।

डाक तार कर्मचारियों का राष्ट्रीय संघ

606. **श्री क० लकप्पा** :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डाक-तार कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ और इससे सम्बद्ध नौ अन्य एककों को दी गई मान्यता को वापिस ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इं० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) 19 सितम्बर, 1968 की अवैध हड़ताल कराने और उसमें भाग लेने के कारण।

अनाज के उत्पादन के अनुमानों के बारे में मतभेद

607. **श्री क० लकप्पा** :
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कृषि मूल्य आयोग ने भारत सरकार को यह सुझाव दिया है कि देश में अनाज के उत्पादन के अनुमानों के बारे में होने वाले मतभेद पर उच्च स्तर पर विचार किया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो सुझाव को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कृषि मूल्य आयोग ने सुझाव दिया है कि खाद्यान्नों की उपज के बारे में खाद्य और कृषि मन्त्रालय द्वारा निर्मुक्त किये गये अनुमानों और राज्य सरकारों द्वारा सूचित किये गये अनुमानों के बीच होने वाली असंगतियों की समस्या पर उच्चतम स्तर पर विचार किया जाना चाहिए ।

(ख) इस समस्या पर देश में खाद्यान्नों की उपज के अनुमानों में सुधार करने के व्यापक प्रश्न के एक भाग के रूप में विचार किया जा रहा है ।

केरल में खाद्य संकट को हल करने के लिये प्रस्ताव

608. **श्री क० लक्कप्पा :**
श्री लताफत अली खां :
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री अदिचन :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री हेम बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1968 में दिल्ली में हुए मुख्य मंत्रियों तथा खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में केरल राज्य के मुख्य मंत्री ने उस राज्य के खाद्य-संकट को हल करने के लिये कुछ प्रस्ताव रखे थे;

(ख) यदि हां, तो ये प्रस्ताव क्या है; और

(ग) उनके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) केरल के मुख्य मंत्री का प्रमुख प्रस्ताव यह था कि यदि केन्द्र नियमित रूप से केरल की सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता तो वह केरल सरकार को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए देश में अन्य राज्यों से अथवा विदेशों से सीधे ही खाद्यान्न खरीदने की अनुमति दे ।

(ग) यह सुझाव नया नहीं था । केरल सरकार ने पहले ही यह मांग की थी और उसे सूचित कर दिया गया है कि इस सुझाव को मानना सम्भव नहीं है ।

बर्मा, श्रीलंका तथा अन्य देशों से स्वदेश लौटे व्यक्तियों का पुनर्वास

609. **श्री एस० पी० राममूर्ति :**
श्री रा० की० अमीन :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान केरल के मुख्य मंत्री द्वारा हाल ही में किये गये इस प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है कि बर्मा, श्रीलंका तथा अन्य देशों से स्वदेश लौटे व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में खर्च केन्द्रीय सरकार को उठाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने केरल सरकार के इस प्रस्ताव, विशेषतया इसके वित्तीय पहलुओं की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग): बर्मा तथा श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीयों की सहायता तथा पुनर्वास पर, किया जाने वाला कुल व्यय, राज्य सरकारों (केरल को मिलाकर) को दिये गये ऋणों तथा अनुदानों के रूप में, पहले ही केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्ण वहन किया जा रहा है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसर ऋणों की कुछ श्रेणियों पर हुये घाटे को वहन करने के लिये केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें समान भागी होती हैं। 16 सितम्बर, 1968 को त्रिवेन्द्रम में हुई पुनर्वास बोर्ड की पिछली बैठक में भाषण देते हुये केरल के मुख्य मंत्री ने इस मामले के सम्बन्ध में निर्देश किया था और सुझाव दिया था कि राज्य सरकारों द्वारा किसी प्रकार का घाटा वहन नहीं किया जाना चाहिये। यह मामला भारत सरकार के विचाराधीन है।

Consolidation of Holdings in District Azamgarh in Uttar Pradesh

610. **Shri T. P. Shah :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Ministsr of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the Tehsils of District Azamgarh in U. P. where consolidation of holdings has been completed and the names of the Tehsils in which this work is lying incompleted;

(b) the names of the Tehsils in which this work is in progress at present and the date by which it has been decided to finish it; and

(c) whether it is a fact that considerable time has been taken in the consolidation of holdings in the said district and if so, the reasons therefore ?

The Minister af State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c): Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Committee on Cow Slaughter

611. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Raghuvir Singh Shastri ;
Shri Shrichand Goyal :
Shri D. N. Patodia :
Shri Vishwanath Pandey :
Shri Yashpal Singh :
Shri Ranjit Singh :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Committee constituted to go into the question of prevention of cow-slaughter has completed its work and submitted its report;

(b) if so, the details thereof and action taken thereon: and

(c) if not, the difficulties which have arisen and the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The representatives of the Sarvadaliya Goraksha Mahabhiyan Samiti have decided to withdraw from the Cow Protection Committee. A letter has been sent to Shri Jagatguru Shankarcharya on 5.10.68, that the Government would welcome the further participation actively of the representatives of the Samiti in the business of the Committee. Reply to this letter is awaited.

मध्यावधि मतदान

612. **श्री रवि राय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय ।
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री जुगल मंडल :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पंजाब में होने वाले मध्यावधि निर्वाचनों की तारीखें नियत कर दी हैं और उनके लिये समस्त इंतजाम कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या आगामी साधारण निर्वाचन के संदर्भ में इन राज्यों में संसदीय निर्वाचन के बारे में कोई नीति विरचित की गई है ?

विधि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में मध्यावधि साधारण निर्वाचन कराने के लिये अस्थायी तौर से निम्नलिखित कार्यक्रम नियत कर दिया है :

राज्य का नाम	लो०प्र० अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अधीन अधिसूचना जारी करने की तारीख	नाम निर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख	नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	अभ्यर्थिता वापिस लेने के लिये अंतिम तारीख	मतदान की तारीख
बिहार	1-1-1969	8-1-1969	9-1-1969	11-1-1969	9 फरवरी, 1969
पंजाब	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	9 फरवरी, 1969
उत्तर प्रदेश	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	3,5,7और 9 फरवरी, 1969
पश्चिमी बंगाल	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	9 फरवरी, 1969

पश्चिम बंगाल के लिए निर्वाचक नामावलियां अन्तिम रूप से प्रकाशित की जा चुकी हैं। जहां तक तीन अन्य राज्यों का संबन्ध है प्रारूप निर्वाचक नामावलियां प्रकाशित की जा चुकी है और आशा है कि वे नवम्बर और दिसम्बर, 1968 में विभिन्न तारीखों को अन्तिम रूप से प्रकाशित हो जाएंगी । निर्वाचन सामग्री के प्रदाय, मतदान केन्द्रों की स्थापना, मतदान कर्मचारियों की नियुक्ति आदि के संसक्त अन्य इन्तजाम किए जा रहे हैं और निर्वाचन होने से पर्याप्त समय पूर्व ही उनको अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ।

(ग) इन राज्यों में लोक सभा के लिए निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 83 (2) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 14 में यथा-वंधित रूप में किया जाएगा ।

रेल डाक सेवा

613. **श्री रवि राय :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प० ला० बारूपाल :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 24 सितम्बर, 1968 को "हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड" में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली मुख्य स्टेशन पर रेल डाक सेवा के 21 डाक थैले आग में जल गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इं० कु० गुजराल) : (क) जी हां। 21 ऐसे थैले जिनमें डाक थीं, आंशिक रूप से जल गए थे और 7खाली थैले आंशिक रूप से या पूरी तरह जल गए थे।

(ख) पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

(ग) अभी तक आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका। रेलवे मेल सर्विस दिल्ली की डाक एजेंसी में 23 सितम्बर, 1968 को सुबह लगभग 4 बजे के लगभग आग लग गई थी जिसे फायर ब्रिगेड की सहायता से बुझाया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड को आग लगने की जगह एक बोतल मिली जिसमें मिट्टी के तेल जैसी बदबू तथा तरल पदार्थ था।

डाक तथा तार विभाग में भर्ती

614. **श्री रवि राय :**
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूचे देश में 8000 अस्थायी कर्मचारियों के स्थान पर नये व्यक्ति भर्ती करने के लिये पोस्टमास्टर जनरलों को कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इं० कु० गुजराल) : (क) और (ख) : जी नहीं। फिर भी पोस्टमास्टर जनरलों, अन्य सर्कल अध्यक्षों तथा प्रशासनिक कार्यालयों को 19-9-68 की अवैधानिक हड़ताल के कारण पैदा की गई स्थिति का सामना करने के लिए जहां भी वे आवश्यक समझते हों, वॉलेंटियरों की भर्ती करने के लिए तथा सभी रिक्त स्थानों को भरने की कार्रवाई करने के लिए कह दिया गया था।

किसानों के लिये दीर्घकालीन ऋण

625. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में गुजरात राज्य में किसानों को कृषि प्रयोजनों के लिये दीर्घकालीन ऋण देने के लिये कितनी राशि नियत की गई है;

(ख) क्या उक्त अवधि में व्यापारी बैंकों द्वारा भी किसानों को ऋण दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) वर्ष 1967-68 के दौरान भूमि विकास बैंकों ने गुजरात राज्य में अलग-अलग व्यक्तियों को 16,69,92,200 रु० के दीर्घकालीन ऋण दिये हैं।

(ख) तथा (ग) ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

गुजरात में साधारण निर्वाचन पर व्यय

616. **श्री नरेन्द्र सिंह महोडा** : क्या विधी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में गत साधारण निर्वाचन में सरकार ने कुल कितना व्यय किया; और

(ख) गत साधारण निर्वाचन में राज्य की विधान सभा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा कुल कितना व्यय किया गया जो उनके निर्वाचन सम्बन्धी विवरणों में दिया गया है ?

विधि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) गुजरात राज्य में गत साधारण निर्वाचन में निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और मुद्रण सहित सरकार द्वारा किया गया कुल खर्च 57,88,477 रु० ।

(ख) गत साधारण निर्वाचन में राज्य की विधान सभा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा किया गया कुल व्यय जो उनके निर्वाचन सम्बन्धी विवरणों में दिखाया गया है 21,31,866 रु० ।

36 अभ्यर्थियों ने अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा निविष्ट नहीं किया ।

गुजरात में शिक्षित लोगों की बेरोजगारी

617. **श्री नरेन्द्र सिंह महोडा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में गुजरात राज्य में रोजगार दिलाऊ दफ्तरों में कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के नाम दर्ज थे;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के थे;

(ग) उनमें कितने व्यक्ति अर्हता प्राप्त थे;

(घ) कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से रोजगार दिलाया गया; और

(ङ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के तकनीकी अर्हता प्राप्त कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) से (ङ) : उपलब्ध जानकारी विवरण में दी गई है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 2096/68]

गुजरात में भूबन्धक बैंकों को सहायता

618. **श्री नरेन्द्र सिंह महोडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966-67 में गुजरात में भूबन्धक बैंक को सरकार द्वारा कोई सहायता दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात में प्रत्येक भूबन्धक बैंक को कितनी कितनी धन राशि दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) गुजरात सरकार ने निम्न सहायता दी है :–

1. **गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक :**

(1) गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की शाखाएं खोलने, भूमि मूल्यांकन अधिकारी नियुक्त करने और विशेषक ब्याज दर के लिए उपदान। रु० 88,096.47

(2) गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के साधारण ऋण-पत्रों के लिए अंशदान। रु० 3,29,23.700

(3) गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के विशेष ऋण-पत्रों के लिए सरकारी अंशदान। रु० 2,50,000.00

2. **प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को उपदान :**

(1) सूरत जिला सहकारी भूमि विकास बैंक रु० 10 860.24

(2) बड़ौच जिला सहकारी भूमि विकास बैंक रु० 20,067.10

(3) बड़ौदा जिला सहकारी भूमि विकास बैंक रु० 27,376.64

(4) खेरा जिला सहकारी भूमि विकास बैंक रु० 9,000.00

1966-67 में गुजरात सरकार को गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के साधारण ऋण-पत्रों में धन लगाने के लिए 2 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता सुलभ की गई थी। इस राशि के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने अपने साधनों से 1,29,23,700 रुपए लगाए। इस प्रकार राज्य सरकार ने साधारण ऋण पत्रों में कुल 3,29,23,700 रुपए लगाए थे।

मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करना

619. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री उमानाथ :
श्री के० रमानी :
श्री नम्बियार :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कानूनी रूप से अनिवार्यतः लागू करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई विधेयक पुरः स्थापित किये जाने की संभावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) इस प्रश्न पर कि क्या मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कानूनी तौर पर लागू किया जाना चाहिए स्थायी श्रम समिति द्वारा नियुक्त द्विपक्षीय समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। राष्ट्रीय श्रम आयोग भी इस मामले पर विचार कर रहा है।

(ख) इस पर ऊपर निर्दिष्ट दो निकायों की रिपोर्टें प्राप्त होने के बाद विचार किया जा सकता है।

Nomination to Governmental Committees and Delegations

620. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Parliamentary-Affairs** be pleased to state :

(a) whether any criteria are followed by the Government in making nominations for various Governmental committees and delegations;

(b) if so, the names of the persons so nominated during the last two years to the various Governmental committees and delegations and the criteria followed for their nomination ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Following are the broad guidelines kept in view in making nominations on various Governmental committees and Delegations :

(i) Appointments on Governmental Committees, etc. are made on the basis of the aptitude, interest, past experience, etc. of Members as ascertained from the 'Who 's who', the Index Cards and the option given for the Informal Consultative Committees.

(ii) To give as wide a chance as possible to Members, names of those Members who have not already been elected or nominated on other Parliamentary or Governmental Committees are preferred.

(iii) Members serving on Financial Committees are not ordinarily nominated on other Committees.

(iv) Before finalising nominations, concent of the Members to the assignments is obtained.

(b) Keeping in view the above guidelines most of the Members of Parliament have been nominated on one or the other Governmental Committees, Boards, etc. during the last two years.

A. I. C. C. Consumers Cooperative Store

622, **Shri J. Sundar Lal** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to re fer to tthe reply given to Unstarred Question No. 5040 on the 22nd August, 1968 and state

(a) the result of the statutory enquiry into the affairs of the All India Congress Committee Staff Consumers Cooperative Stores, 7, Jantar Mantar Road, New Delhi;

(b) the action taken thereon; and

(c) the names of officers found guilty and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministary of Food, Agriculture, Community-Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) The statutory enquiry revealed many

irregularities, including misappropriation and embezzlement of funds, improper purchases, unsatisfactory maintenance of accounts, appointment o employees without the sanction of the proper authority, payment of advances without security and indifference on the part of members of the Managing Committee.

(b) The findings of the enquiry were comunicated to the President of the Society, requesting him to take necessary action thereon. The Managing Committee did not take any action on them, but the general body of the society passed a resolution on 5-9-1968, asking for liquidation of the society. Having regard to this, and the serious irregularities reported, the Registrar of Cooperative Societies has placed the society under liquidation, and appointed a liquidator, who will take further action in accordance with the prescribed procedure. A case of misappropriation of funds has already been reported to the police.

(c) As the store has been brought under liquidation, the liquidator has to indicate the names of the persons against whom action has to be taken and the nature of such action.

Publicity Material Pertaining to Agriculture

623. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the nature of publicity material in regard to agriculture published during the last one years;

(b) the percentage of the aforesaid material published in English and Indian languages respectively; and

(c) the percentage of farmers knowing English in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperatian (Shri Annasahib Shinde) : (a) The publications of the Farm Information Unit of the Directorate of Extension, published on behalf of the Department of Agriculture, cater technical information in a popular way on agriculture, horticulture, animal husbendary, home science and other allied subjects to the agricultural extension workers in the country for keeping them informed of the latest recommended techniques and to the farmers and housewives, particularly in the rural areas, for motivating them to adopt better farm and home practices. A list of publications being brought out by the Directorate is enclosed (Annexure I). **[Placed in Library. See No. L. T. 2097/68]**

Apart from the above, the I. C. A. R. during the last one year published 41 publications including five journals, details of which are given in Annexure II. **[Placed in Library. See No. L.T. 2097/68].** These publications are primarily on agricultural research meant for the use of research workers, educational institutions, officers of the agriculture and animal husbandry departments of State Governments. Indian Farming, Indian Horticulture and Kheti, though primarily meant for the research workers, are also meant for educating the general public on the activities of the research organisations and results of agricultural research. The Council also issues press releases on the results of researches as are of interest to the general public and extension workers in Hindi and other Indian languages for publication in the newspapers.

The Department of Community Development and Cooperation (through the Directorate of Advertising and Visual Publicity) published only one folder in English languages on the sudject of agriculture during the period November, 1967 to October, 1968.

The Directorate of public Relations, Ministry of Food, Agriculture, C. D. & C. also brought out a few pamphlets and posters. These are indicated in Annexure III. [Placed in Library. See No. LT-2097/68]

(b)	Office	English	Hindi	Other Indian Languages
	Dto. of Extension	49	42	9
	I. C. A. R.	85	15	–

(c) Not known.

पंजाब तथा हरियाणा में अनाज की बरबादी

624. श्री यज्ञ दत्त शर्मा : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भांडागार की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण गत रबी की फसल में पंजाब और हरियाणा में बड़ी मात्रा में अनाज बरबाद हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देकर, जो गोदाम तथा भांडागार बनाना चाहते हैं, गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों को रखने के लिए पंजाब और हरियाणा के प्रत्येक गांव में गोदाम या भांडागार बनवाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक-विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : गोदाम बनाने की इच्छा रखने वालों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता देने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कृषि रीफाइनान्स निगम की सहकारी समितियों तथा इच्छुक व्यक्तियों को ऋण देने की एक योजना है।

Hindi Translation of Forms and Manuals of P & T Department

625 **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hardayal Devgun :

Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the number of forms and manuals of Posts and Telegraphs Department which have been translated into Hindi;

(b) the number of forms and manuals which are yet to be translated;

(c) whether arrangements have been made for translating into Hindi th remaining forms and manuals and if so, the date by which it would be completed; and

(d) the reasons for delay in getting them translated ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a)

	Manuals	: 13
	Forms	: 460
(b)	Manuals	; 15
	Forms	: 1540

(c) Necessary arrangements have been made and it is hoped to complete all the manuals and forms within a period of two years.

(d) There has been no delay, considering the magnitude of the work. The translation of manuals and forms has to be done in this Department and then got vetted from the Central Hindi Directorate. This procedure necessarily involves some time.

Translation of Forms and Manuals into Hindi

626. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hardayal Devgun :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of forms and manuals of his Ministry and attached offices as have been translated into Hindi so far;

(b) the number of forms and manuals which still remain to be translated into Hindi;

(c) the arrangements being made for getting the remaining forms and manuals translated into Hindi and the time by which their Hindi translation would be completed; and

(d) the reasons for delay ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) 13

(b) 72

(c) Fifty seven out of 72 forms and manuals are being translated by the Central Hindi Directorate. The remaining 15 will also be sent to the Directorate shortly.

(d) Time required for revision and modification.

Token Strike of Government Employees

627. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri George Fernandes :
Shri M. L. Sondhi :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of employees in his Ministry, its attached and subordinate offices, who took part in the token strike on the 19th September, 1968;

(b) the number of employees among them who were arrested and the number of employees who have been suspended and removed from service so far category-wise and State-wise and subsequently re-instated; and

(c) the extent of loss suffered by his Ministry, its attached and subordinate offices as a result of this strike ?

The Minister of State in the Department of Parliamentry Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) 1,32,808

(b) A statement giving the number of employees who were arrested/suspended/ removed from service category-wise and State-wise, is laid on the table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. LT—2098/68]**

Information regarding number of employees subsequently re-instated is being collected and will be laid on the Table of the Sabha

(c) Information required is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Hindi Translation of Forms and Manuals

628. Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hardayal Devgun :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of such forms and manuals of his Ministry and attached offices as have been got translated into Hindi;

(b) the number of forms and manuals which still remain to be translated into Hindi;

(c) the arrangements being made for getting the remaining forms and manuals translated into Hindi and the time by which their Hindi translations would be completed; and

(d) the reasons for delay in getting them translated ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture-Community-Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a)	Forms :	472
	Manuals .	18 and 6 Chapters of Food Manual.
(b)	Forms :	160
	Manuals.	97 and 4 Chapters of Food Manual.

(c) and (d) : Most of the material has already been sent to the Central Hindi Dte., Ministry of Education for Hindi translation, as that office is responsible for Hindi translation of all Forms and Manuals etc. Some of the Forms are under revision due to reorganisation and these when finalised, will be sent to Central Hindi Dte. for translation. The time that will be taken by that Dte. to complete this job cannot be estimated at present.

उड़ीसा में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

629. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में अब तक कितने स्वचालित टेलीफोन केन्द्र खोले जा चुके हैं;

(ख) वर्ष 1967–68 में ऐसे कितने केन्द्र खोले गये तथा वर्ष 1968–69 में ऐसे कितने केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ग) वर्ष 1967-68 में उड़ीसा में कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गये तथा वर्ष 1968-69 में कितने केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इं० कु० गुजराल): (क) 1967-68 के वर्ष के अन्त में उड़ीसा में 27 स्वचल टेलीफोन केन्द्र थे ।

(ख) 1967-68 के दौरान 7 स्वचल टेलीफोन केन्द्र खोले गये ।

1968-69 में 5 स्वचल टेलीफोन केन्द्र और खोलने की सम्भावना है ।

(ग) 1967-68 में 9 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर और 11 स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गये ।

1968-69 में 12 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर और 15 स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन घरों के खोले जाने की सम्भावना है ।

उड़ीसा में लघु सिंचाई योजनायें

630. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967—68 तथा 1968—69 में उड़ीसा में लघु सिंचाई योजनाएं आरम्भ करने के लिये सरकार ने कोई राशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि नियत की गई है; और

(ग) क्या उपरोक्त दो वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने इस कार्य के लिये कोई अतिरिक्त राशि देने का अनुरोध किया था और क्या वह दी गई थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) : राज्य के लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिये वित्तीय सहायता के प्रतिमान के अनुसार जिसे 1-4-67 से शुरू किया गया था, स्वीकृत सीमा पर होने वाले कुल व्यय के आधार पर 50 प्रतिशत ऋण व 15 प्रतिशत अनुदान प्राप्त हो सकता है । उपर्युक्त प्रतिमान के अनुसार सन् 1967-68 में राज्य सरकारों को क्रमशः 160.20 लाख रु० और 40 लाख रुपये के ऋण और अनुदान अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये थे । सन् 1968-69 के लिए 150 लाख रुपये के खर्च को स्वीकार किया गया । प्रचलित प्रतिमान के अनुसार 1968-69 के लिये केन्द्रीय सहायता वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नियुक्त की जायेगी ।

(ग) सन् 1967-68 में उड़ीसा सहित राज्य सरकारों को लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिये अतिरिक्त निधि देने का प्रस्ताव था । साधनों की कमी के कारण किसी भी राज्य को अतिरिक्त राशि अलाट नहीं की जा सकी । उड़ीसा राज्य से लघु सिंचाई के लिये अतिरिक्त निधि की अलाटमेंट के लिये औपचारिक रूप से अभी तक कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है । फिर भी चालू वर्ष की अवधि में राज्य सरकारों (जिनमें उड़ीसा भी शामिल है) को अतिरिक्त धन राशि देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

उड़ीसा में खाद्यान्नों का समाहार

631. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1968 के अन्त तक भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य राज्य अभिकरणों ने उड़ीसा में कुल कितने चावल तथा अन्य खाद्यान्न खरीदे; और

(ख) अब तक उनकी कुल कितनी मात्रा राज्य से बाहर भेजी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त अन्तिम आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा में नवम्बर, 1967 से अक्तूबर, 1968 तक की अवधि में कुल 159,500 मीटरी टन चावल जिसमें चावल के हिसाब से धान भी शामिल है, अधिप्राप्त किया गया था। इस अवधि में राज्य में अन्य कोई खाद्यान्न अधिप्राप्त नहीं किया गया था।

(ख) राज्य सरकार के अनुसार इस अवधि में लगभग 74,000 मीटरी टन चावल जिसमें चावल के हिसाब से धान भी शामिल है, निर्यात किया गया था। अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना के अनुसार निर्यात की गई मात्रा लगभग 68,000 मीटरी टन थी। इस अन्तर की जाँच की जा रही है।

दिल्ली में वनस्पति घी का वितरण

632. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष सितम्बर में जब वनस्पति घी के दाम तेजी से बढ़े तो दिल्ली में उसके वितरण पर राशन व्यवस्था लागू की गई; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई थी और इस नई योजना के अन्तर्गत वनस्पति का वितरण कैसे विनियमित किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : वनस्पति के प्रमुख तत्व मूंगफली के तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी होने के कारण दिल्ली सहित उत्तरी जोन में सितम्बर, 1968 से वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि की गई थी, लेकिन नवम्बर, 1968 से मूल्य घटा दिए गए हैं, जोकि इस प्रकार हैं :—

	(रु० प्रति मीटरी टन) (निर्माता स्तर पर)
25 अगस्त, 1968	3642
6 सितम्बर, 1968	4152
22 सितम्बर, 1968	4786
8 नवम्बर, 1968	4612

उपलब्ध माल का निर्धारित मूल्यों पर सुचारू रूप से वितरण सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने राशन कार्डों पर वनस्पति की बिक्री करने के अनुदेश जारी किए थे। शुरू में किसी भी उपभोक्ता को एक समय में 4 किलो वनस्पति देना निश्चित किया गया था। बाद में यह मात्रा बढ़ाकर एक मास में 5 व्यक्तियों के राशन कार्ड पर 8 किलो और इससे कम और 5 व्यक्तियों से अधिक वाले राशन कार्ड पर 16 किलो कर दी गई थी। शादियों, अन्य त्यौहारों होटलों और हलवाइयों को भी सप्लाई नियन्त्रित कर दी गई, यद्यपि बाजार की स्थिति प्राय: सामान्य हो गई है, लेकिन राशन कार्डों पर वनस्पति की बिक्री सम्बन्धी वर्तमान प्रतिबन्धों को जारी रखने का विचार है।

आयातित माइलो की बिक्री

633. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लकप्पा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने हाल में देश के विभिन्न भागों में गैर-सरकारी व्यापारियों को आयातित माइलो बेचा है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में बेचा; और

(ग) किन शर्तों पर बेचा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क), (ख) और (ग) : भारतीय खाद्य निगम ने देश में किसी भी प्राइवेट व्यापारी को मानव उपभोग के लिए उपयुक्त आयातित माइलो नहीं बेची है। निगम ने विहित प्रक्रिया के अनुसार मुर्गी दाना बनाने के लिए प्रादेशिक निदेशक (खाद्य), बम्बई के यहां पंजीकृत एक फर्म को लगभग केवल एक मीटरी टन घटिया माइलो जो कि मानव उपभोग से लायक नहीं थी, बेची थी।

दक्षिण में संसद का सत्र

634. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री क० लकप्पा :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री वसुमतारी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री श्र ाकर सपकार :

क्या संसद-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत के राज्यों में संसदीय सत्र बुलाने के प्रस्ताव की व्यावहारिकता पर विचार करने के लिये भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद-कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राममुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशों से सीधे चावल का आयात करने की केरल सरकार की प्रार्थना

635. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रा० की० अमीन :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री ई० के० नायनार :
श्री विभूति मिश्र :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य की चावल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये चावल का आयात करने के हेतु वहां की सरकार ने अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की गई सही मांग क्या है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख) : केरल सरकार समय-समय पर यह कहती आ रही है कि यदि केन्द्र केरल की चावल की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता तो राज्य सरकार को भारतीय संघ के अन्य राज्यों से या विदेशों से सीधे ही चावल खरीदने की अनुमति दी जाए।

(ग) राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में यथा सम्भव उपलब्ध चावल यहां तक कि उच्च मूल्यों पर भी, अधिप्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है और इसी प्रकार देश के राज्यों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वे केरल को सप्लाई करने के लिए केन्द्रीय पूल को यथा सम्भव अत्यधिक मात्रा में चावल दें और केरल सरकार को अन्य राज्यों से इस सम्बन्ध में अनुरोध करने से कोई अच्छा परिणाम प्राप्त न होगा। व्यक्तिगत राज्यों को अन्य देशों से खाद्यान्न आयात करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

मक्का का हरियाणा से बाहर ले जाया जाना

636. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
डा० सुशीला नैय्यर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 7 अगस्त, 1968 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने मक्का के हरियाणा से बाहर गैर कानूनी तरीके से ले जाये जाने के मामले की इस बीच जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा की गई जांच का क्या परिणाम निकला है;

(ग) जांच के परिणामों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने की संभावना है; और

(घ) ऐसे मामलों को पुनः न होने देने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : यह मामला केन्द्रीय जांच विभाग के अभी भी विचाराधीन है ।

(ग) और (घ) : इस अवस्था में प्रश्न ही नहीं उठते ।

केरल को चावल की सप्लाई

637. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री अदिचन :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अप्रैल से प्रति मास केरल सरकार ने कितना चावल सप्लाई करने के लिये अनुरोध किया था;

(ख) यह मांग कहां तक पूरी की गई थी; और

(ग) सप्लाई किये गये चावल में से कितना चावल विदेशों से आयात किया गया था और इन आयात किये गये चावलों का ब्यौरा जिसमें स्रोत और मात्रा बताई गई हो, क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : केरल सरकार द्वारा प्रति मास कोई मांग नहीं की गई है, लेकिन वह प्रति दिन 160 ग्राम चावल की मात्रा बनाए रखने के लिए समय-समय पर पर्याप्त सप्लाई के लिए प्रार्थना करती रही है । केरल के डिपों को अप्रैल से अक्तूबर, 1968 की अवधि में चावल की भेजी गई कुल मात्रा लगभग 380 हजार मीटरी टन थी ।

(ग) अप्रैल से अक्तूबर, 1968 तक की अवधि में केरल की बन्दरगाहों पर विदेशों से 1.79 लाख मीटरी टन चावल आया था । देशवार मात्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :—

देश	(मात्रा लाख मीटरी टन में)
थाई लैंड	1.12
बर्मा	0.54
संयुक्त अरब गणराज्य	.13
	1.79

खाद्यान्न की वसूली

638. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
डा० सुशीला नैय्यर :
श्री यशपाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने वर्ष 1967-68 में देश में खाद्यान्न की वसूली का लक्ष्य पूरा कर लिया था; और

(ख) इस वर्ष भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्न की वसूली का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है तथा इस वर्ष अब तक निगम ने कितनी वसूली की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : भारतीय खाद्य निगम ने 1967-68 में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति का कोई अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। सभी एजेन्सियों द्वारा खरीफ के अनाजों की लगभग 40 लाख मीटरी टन और गेहूं की 22.2 लाख मीटरी टन की कुल अधिप्राप्ति में से निगम ने लगभग 20.1 लाख मी० टन खरीफ के अनाज और लगभग 7.5 लाख मीटरी टन गेहूं की अधिप्राप्ति की थी। गेहूं के अलावा, निगम ने 1.2 लाख मीटरी टन रबी के अन्य अनाज भी अधिप्राप्त किए थे।

विभिन्न राज्यों में चारे की कमी

639. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री न० कु० सांधी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न राज्यों में चारे की बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस चारे की कमी से बड़ी संख्या में पशु मर गये हैं; और

(ग) चारे की कमी को दूर करने के लिये राज्यों को केन्द्रीय सरकार ने राज्यवार क्या सहायता दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : पूछी गई जानकारी राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में सूखा

640. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रा० को० अमीन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री वी० नरसिम्हाराव :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री जुगल कि० मंडल :
श्री क० लक्कप्पा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभूतपूर्व सूखे के कारण जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर तथा राजस्थान के अन्य जिलों में लगभग 20 लाख से भी अधिक ढोर बिल्कुल नष्ट होने वाले हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजस्थान क्षेत्र में लोग घास की रोटियां खा रहे हैं और वे गम्भीर रूप से अकालग्रस्त हैं; और

(ग) इन प्रभावित लोगों को क्या सहायता दी गई है और पशु धन को बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क), (ख) और (ग) : जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर सहित राजस्थान के कुछ जिले सूखे से प्रभावित हुए हैं। इससे ग्रामीण जनता और विशेषकर पशुओं के लिए कठिनाई हो गई है। मुफ्त वस्तुएं देने और राहत कार्यों पर नौकरी प्रदान करने, पेय जल की सप्लाई, रियायती दरों पर चारे की सप्लाई, पड़ोसी राज्यों में पशुओं को भेजना और प्रवासी पशुओं के चारे की सप्लाई करने आदि की व्यवस्था, जैसे व्यापक राहत अभियान कार्य राज्य सरकार ने संगठित किये हैं। जनता और पशुओं को परेशानी से बचाने हेतु प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में एक केन्द्रीय दल सूखे की स्थिति का पता लगाने के लिए राज्य का दौरा किया था। दल के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है, लेकिन सूखे से उत्पन्न संकट से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार को हर सम्भव मदद दी जाएगी। यह आरोप कि राजस्थान के प्रभावित क्षेत्रों के लोग घास से बनी रोटी खा रहे हैं, ठीक नहीं है।

Wretched Conditions of Cows in Gularbhoj Gosadan of Nainital District

641. Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Government have received reports and complaints regarding the wretched condition of the cows in the Gularbhoj Gosadan of Nainital District.

(b) Whether it is also a fact that there is no arrangement for fodder, drinking water and treatment of cows in the said Gosadan; and

(c) If so, the action taken by Government in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture. Community-Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, sir.

(b) There are arrangements for fodder, drinking water, and treatment of animals.

(c) Does not arise.

सूखे के कारण राजस्थान में अनाज की कमी

642. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री मीठा लाल मीना :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में वर्तमान भयंकर सूखे की स्थिति के कारण फसल खराब होने की आशंका है ;

(ख) क्या सरकार ने उस राज्य में फसलों की सम्भावित क्षति का कोई अनुमान लगाया है;

(ग) फसल खराब होने के कारण अनाज की कुल कितनी कमी रहेगी; और

(घ) इस कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क), (ख) और (ग) : राजस्थान में सूखे से उत्पन्न स्थिति के परिणामस्वरूप जो उत्पादन में क्षति और उसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की कमी होगी उसका अनुमान लगाया जा रहा है । अब तक राज्य सरकार से प्राप्त सूचना से यह संकेत मिलता है कि भारी मात्रा में खरीफ फसल खराब हुई है । रबी की बुआई पर भी असर पड़ने की संभावना है ।

(घ) राजस्थान को खाद्यान्नों के आंवटन की मात्रा अगस्त, 1968 में 5000 मीटरी टन से बढ़ कर अक्टूबर, 1968 में 36,000 मीटरी टन कर दी गयी है । नवम्बर, 1968 के लिये 35,000 मीटरी टन की एक मात्रा आंवटित की गयी है । केन्द्रीय पूल में खाद्यानों की उपलब्धि और अन्य कमी वाले राज्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, इस राज्य की खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यथासम्भव प्रयत्न किये जायेंगे ।

दक्षिण पटेल नगर, दिल्ली के प्लाटों के अलाटियों को दिया गया आश्वासन

643. **श्री म०ला० सोंधी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री 9 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10165 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित व्यक्तियों को केवल भूमि की वास्तविक लागत तथा विकास पर आने वाला खर्च देना होगा, उन्हें भूमि के बाजार मूल्य पर, सरकार द्वारा निश्चित ब्याज की दर से ब्याज नहीं देना होगा;

(ख) क्या यह आश्वासन पट्टे के इक्कीसवें वर्ष से सभी विस्थापित कालोनियों पर लागू होगा; और

(ग) यदि हां, तो पट्टा करार में संशोधन करने के लिये सरकार ने क्या हिदायतें दी हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क), (ख) और (ग) : पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को दिल्ली में सरकार द्वारा निर्मित की गई विभिन्न बस्तियों (जिनमें दक्षिण पटेल नगर भी सम्मिलित है) में जो प्लाट अलाट किये गये हैं, उनके मूल्य तथा भूमि के किराये का भुगतान विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1955 के अनुबन्धन XI, XII तथा XIII में दी गई पट्टे-नामे की शर्तों के अधीन किया जाता है।

छोटे प्लाटों के मूल्य तथा प्रथम बीस वर्षों के अन्तर्गत भूमि के किराये के भुगतान की शर्तों, और इक्कीसवें वर्ष में किये जाने वाले पुनरीक्षण के आधार, अनुबन्ध XII में पट्टेनामे की धारा (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित किये गये हैं। पट्टे-नामे की इन धाराओं के उद्धरण सभा पटल पर रखे गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2099/68]

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल

644. श्री म० ला० सोंधी : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल के कारण उनके मंत्रालय के किसी कर्मचारी की मृत्यु हुई थी या सरकारी सम्पत्ति की कोई क्षति हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

विधि मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित-व्यक्तियों का पुनर्वास

645. श्री प्र० रं० ठाकुर :
श्री सिद्धय्या :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कालकाजी के निकट पुनर्वास बस्ती में रिहायसी प्लाटों के नियतन के लिये पात्र होने के लिये पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के मामले में किसी के 'लाभप्रद रोजगार में लगे होने' की शर्त रखने का आधार तथा पृष्ठ भूमि क्या है;

(ख) क्या दिल्ली/नई दिल्ली की विभिन्न शरणार्थी बस्तियों में पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को रिहायशी प्लाटों के नियतन के लिये ऐसी ही शर्त रखी गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो इन दोनों वर्गों के शरणार्थियों में विभेद के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या दिल्ली/नई दिल्ली में पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये विशेषकर मकान तथा रोजगार दिलाने के मामले में दी गई विभिन्न सुविधाओं और रखी गई शर्तों को निभाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) : पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को दिल्ली की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जो आवास सहायता प्रदान की गई है उसमें उनकी समस्याओं के स्वरूप तथा विशालता, और विभिन्न परिस्थितियों और भारत आने पर उनकी सुसंगत अवधि का ध्यान रखा गया है । इस प्रकार, इन दोनों श्रेणियों के लिये दिल्ली में प्लाटों के अलाटमेंट की पात्रता की शर्तें भी पूर्ण रूप से समरूप नहीं है । पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के मामले में, पात्रता की अन्य शर्तों के साथ-साथ, एक यह भी आवश्यक शर्त थी कि वे पूर्ण रूप से प्रव्रजन करके आये हों और 15 अगस्त, 1950 की निर्दिष्ट की गई तारीख के अन्तर्गत दिल्ली में पुनर्वास सहायता के लिये वास्तविक विस्थापित व्यक्ति पंजीकृत हों । इसके अतिरिक्त, जहां कि विस्थापित व्यक्ति शिविरों, सार्वजनिक उपयोगी भवनों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नहीं रह रहे थे, कुछ मामलों में दिल्ली में लाभकारी रोजगार होने की शर्त भी निर्धारित की गई थी । तथापि पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के मामले में, पूर्वी पाकिस्तान के वास्तविक विस्थापित व्यक्तियों के अतिरिक्त कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि विभाजन से पूर्व ही वर्तमान भारत के किसी स्थान पर सरकारी सेवा या अन्य रूप से लाभकारी रोजगार पर लगे हुए थे और स्वयं शारीरिक रूप से प्रव्रजन न करने के फलस्वरूप विस्थापित व्यक्तियों की परिभाषा में नहीं आते थे, किन्तु जिनके परिवारों के अन्य सदस्य महत्वपूर्ण तिथि के उपरान्त भारत आये थे । ऐसे लोगों को भी योग्य पात्र घोषित कर दिया गया है । इसलिये पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के मामले में, दिल्ली में लाभकारी रोजगार की शर्त सम्मिलित की गई थी ताकि ऐसे विस्थापित व्यक्ति, जो कि पहले ही और कहीं बस गये थे या जो ऐसी व्यवस्था कर सकते थे, दिल्ली के लिये आकर्षित न हों और इस प्रकार दिल्ली की पहले से ही अत्यधिक जटिल आवास समस्या और न बढ़ जाये । वास्तव में, पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को दिल्ली में प्लाट अलाट करने की योजना बहुत बाद में तैयार की गई थी और इस अवस्था में, दिल्ली में प्लाटों की उपलब्धि की सीमित गुंजाइश के फलस्वरूप, लाभकारी रोजगार की शर्त अच्छी समझी गई थी । इसलिये, विस्थापित व्यक्तियों की दोनों श्रेणियों के बीच अलाटमेंट की पात्रता की शर्तों के मामले में कोई भेद-भाव नहीं रखा गया था क्योंकि उनके मामले पूर्णतया समरूप नहीं थे ।

(घ) विभाजन के उपरान्त लघु अवधि में दिल्ली/नई दिल्ली में आये हुये और यहां पुनर्वास सहायता के लिये पंजीकृत किये गये पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों की संख्या लगभग 5 लाख है । उन्हें पुनर्वास की सामान्य सुविधायें, जैसे कि आवास, रोजगार, मुआवजा, शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाएं इत्यादि, प्रदान की गई थीं । उस समय प्रदान की गई प्रत्येक सुविधा का वास्तविक स्वरूप ब्यौरेबार देने के लिये एक व्यापक मूल्यांकन करना होगा । इसका अर्थ यह होगा कि लगभग 20 वर्षों और उससे अधिक अवधि के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक पुनर्विलोकन करना होगा और इस प्रश्न के अन्तर्गत जो विस्तृत क्षेत्र आता है उसको ध्यान में रखते हुये, इस प्रश्न के उत्तर में यह सारी जानकारी एकत्रित करने

में अत्यधिक श्रम तथा समय लगेगा । यह अनुभव किया जाता है कि इसका मूल्यांकन करने के लिये जो समय लगेगा वह प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

दिल्ली में गेहूं की कीमतों में वृद्धि

646. **श्री जनार्दनन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में गेहूं का मूल्य बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो जुलाई से सितम्बर, 1968 के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) मूल्य को बढ़ने ने रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) विशेषतया बढ़िया किस्म के गेहूँ के मूल्य में मौसमी बढ़ोत्तरी हुई है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) दिल्ली अब उत्तरी गेहूँ क्षेत्र का भाग है और दिल्ली की जरूरतें पंजाब और हरियाणा के अधिशेष उत्पादन से पूरी की जा रही है । मूल्यों में स्थिरता लाने और जनसंख्या के जरूरत मन्द वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा दी गयी गेहूँ से रोलर आटा मिलों द्वारा उत्पादित आटा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाता है ।

विवरण

दिल्ली में महीने के अन्त में गेहूं के थोक मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

किस्म	जुलाई, 1968	अगस्त, 1968	सितम्बर, 1968
फार्म	90.00	95.00	95.00
दडा	78.00	82.00	85 00

Locust Inva ion in Tirhut Division of Bihar

647. **Shri K M. Madhukar**: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the district authorities of the four districts viz., Champaran, Saran, Muzaffarpur and Darbhanga in the Tirhut division of Bihar were cautioned about the possible locust invation and were asked to take precautionary measures to protect the crop therefrom; and

(b) if so, the steps taken in the matter, the expenditure incurred thereon and the results achieved ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir. The district authorities of Champaran, Saran, Muzaffarpur and Darbanga were cautioned by the State Government about

the possible locust invasion and asked to take precautionary measures for protecting the crops.

(b) The State Government took the following steps :—

(i) Circulars (both in English and Hindi) on the possible invasion of locust were issued and sent to all district authorities;

(ii) A handout on locust was distributed; and

(iii) The information was circulated through local English and Hindi dailies.

The State Government is estimated to have spent Rs. 200·00 (approximately) on the about.

The locust swarms did not reach Bihar and the organisation set up for meeting the locust invasion could not be put into use,

उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि

648. श्री दामानी :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयातित उर्वरकों की तुलना में देश में निर्मित उर्वरकों के मूल्य अधिक हैं, तथा इसके बारे में सरकार को अभ्यावेदन दिये गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि मूल्य अधिक होने के कारण देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरकों निर्माताओं के पास उर्वरकों का स्टाक जमा हो गया है; और

(ग) इस बात के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि मूल्य अन्तर कम हो और बिक्री के लिए बाजार के अभाव में देश में उर्वरक उत्पादन को हानि उठानी न पड़े ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) आयातित खाद की बिक्री कृषि विभाग द्वारा चलाये जाने वाले भण्डार के माध्यम से की जाती है । भण्डार से बेची जाने वाली खाद की कीमतें 'न लाभ न हानि' के आधार पर निर्धारित की जाती है । किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक प्रकार की खाद की कीमतें 'न लाभ न हानि' के आधार पर ही निर्धारित की जायें । शिकायतें आई हैं कि देसी खाद के कारखाने अपने कारखानों के द्वार पर ही खाद ऐसे मूल्य पर देते हैं कि परचून व्यापारी को विवशतावश इसे पूल द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर बेचना पड़ता है ।

(ख) कुछ हद तक यह भी कहा जा सकता है कि अच्छे विपणन संस्थान का अभाव तथा इस व्यापार से अधिकतम मुनाफा बनाने के लोभ के परिणामस्वरूप निजि तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के कारखानों में स्टाकों की मात्रा बढ़ती जा रही है ।

(ग) भण्डार की कीमतें इस स्तर पर निर्धारित की गई हैं कि यदि देसी कारखाने उचित विपणन सिद्धान्तों का अनुसरण करके अपनी विपणन प्रणाली का विकास करें तो वे अपना उत्पादन इन (भण्डार की कीमतों) दरों पर बेचने में समर्थ होने चाहिये । विभिन्न

कारणों से कुछ कारखानों में उत्पादन लागतें इतनी अधिक है कि अच्छे बाजार का लाभ उठाने की अनिच्छा ने सुचारू विपणन में भी रुकावट पैदा की है । समस्त कारखानों को सलाह दी गई है कि वे विपणन के सम्बन्ध में उचित सिद्धान्त अपनायें और भण्डार के मूल्यों को दृष्टिगत रखते हुये अपने मूल्यों को उचित स्तरों पर रखें ।

धान का उत्पादन और उसकी वसूली

649. **श्री दामानी** ; क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 25 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 833 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967–68 में धान का राज्य-वार उत्पादन कितना था;

(ख) कृषि मूल्य आयोग द्वारा जिस पर उसने 5,100,000 टन की वसूली के लक्ष्य की सिफारिश की थी बनाये गये उत्पादन लक्ष्यों और वास्तविक उत्पादन के बीच क्या अन्तर रहा;

(ग) केवल 2,929,000 टन धान की वसूली के क्या कारण हैं जो कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये लक्ष्य का लगभग 58 प्रतिशत है; और

(घ) क्या इस कार्य का राज्यों को चावल के नियतन की हमारी नीति पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2100/68]**

(ख) 22.9 लाख मीटरी टन ।

(ग) 1967–68 में चावल की वास्तविक अधिप्राप्ति अब 3211 हजार मीटरी टन तक पहुँच गयी है जो कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा अभिस्तावित लक्ष्य का लगभग 63 प्रतिशत हैं । कमी के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :–

(1) सितम्बर और दिसम्बर, 1967 के बीच मौसम की प्रतिकूल स्थिति जिससे विशेषकर उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में फसल को क्षति पहुंची थी,

(2) कुछ राज्यों में अनिश्चित राजनैतिक स्थिति जिससे अधिप्राप्ति नीतियां तैयार करने और उनकी कार्यान्विति में विलम्ब हुआ, और

(3) 1967-68 में अच्छी फसल का पर्याप्त भाग जो कि लगातार दो खराब फसलों के बाद हुई थी, उत्पादक स्तर पर स्टाक तैयार करने में प्रयुक्त होना ।

(घ) जी नहीं । अधिप्राप्ति की मात्रा में कमी होने से निस्सन्देह सप्लाई की जाने वाली मात्रा में कमी हुई है लेकिन इससे आवंटन की नीति पर प्रभाव नहीं पड़ा है । पहले की भांति, केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की सप्लाई केन्द्र के पास उपलब्धि और विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं के आधार पर की जाती रहेगी ।

इण्डियन टेलीफ़ोन इंडस्ट्रीज का दूसरा कारखाना

650. **श्री दामानी :** क्या संचार मंत्री 22 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 618 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे : कि

(क) क्या इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिए स्थान के बारे में निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) स्थान का चयन करने के लिए क्या कसौटी निर्धारित की गई है ;

(ग) क्या इस परियोजन के लिए यह बात ध्यान में रखी गई है कि उद्योगों को विभिन्न स्थानों में स्थापित होना चाहिए ; और

(घ) इस कारखाने में कब तक निर्माण कार्य आरम्भ हो जायेगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इं० कु० गुजराल) : (क) लम्बी दूरी के पारेषण उपस्कर के निर्माण के लिये प्रस्तावित कारखाने के स्थान के विषय में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) : स्थान का चयन करने में विभिन्न बातों का विचार किया जायेगा जैसे पानी, बिजली, सड़क, और रेल-परिवहन दक्ष और अदक्ष श्रमिकों की उपलब्धि तथा साथ ही प्रमुख उद्योगों का विभिन्न स्थानों में समुचित वितरण ।

(घ) इस नये कारखाने के अपनी स्थापना के दूसरे वर्ष में उत्पादन आरम्भ कर देने की संभावना है ।

राजस्थान में दूर-संचार उपकरणों का निर्माण का कारखाना

651. **श्री मीठा लाल मीना:** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से राजस्थान में दूर संचार उपकरण बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई अनुरोध किया गया है ;

(ख) स्थान का चयन करने की क्या कसौटी है ; और

(ग) क्या इस कार्य के लिये राजस्थान में उपयुक्त स्थान के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इं० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) स्थान का चयन करने में विभिन्न बातों का विचार किया जायेगा जैसे पानी, बिजली, सड़क और रेल-परिवहन, दक्ष और अदक्ष श्रमिकों की उपलब्धि तथा साथ ही प्रमुख उद्योगों का विभिन्न स्थानों में समुचित वितरण ।

(ग) जी नहीं ।

वनस्पति की बिक्री तथा वितरण

652. **श्री मीठा लाल मीना :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति की बिक्री तथा वितरण पर हाल में कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार ने वनस्पति की बिक्री और वितरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है । तथापि, वनस्पति के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले कच्चे वनस्पति तेलों की कम उपलब्धि और उसके मूल्य ऊंचे होने के कारण अगस्त-सितम्बर, 1968 में अस्थायी तौर पर वनस्पति के उत्पादन में गिरावट आयी थी । कुछ राज्य सरकारों ने वनस्पति की बिक्री विनियमित करने के लिए कदम उठाए थे ताकि उपलब्ध माल का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके । अक्तूबर में सप्लाई स्थिति में नरमी आने से ये प्रतिबन्ध या तो उठा लिए गए हैं या उनमें ढील दे दी गयी है ।

राजस्थान में चारे की कमी

653. **श्री मीठा लाल मीना**
श्री महाराज सिंह भारती

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी राजस्थान में चारे की अत्यन्त कमी है ;

(ख) किन-किन जिलों में चारे की बहुत अधिक कमी है ; और

(ग) प्रभावित क्षेत्रों में चारे की अनुमानतः कितनी आवश्यकता है तथा केन्द्रीय सरकार ने इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) राजस्थान सरकार ने बीकानेर, जैसलमेर, बारमेर, जैलोर और जोधपुर जिलों में चारे की कमी की सूचना दी है ।

(ग) राजस्थान सरकार ने लगभग 2.50 लाख टन चारे की आवश्यकता का अनुमान लगाया है । इस विषय में केन्द्रीय सरकार ने निम्न-लिखित कार्यवाही शुरू कर दी है :-

(1) राजस्थान सरकार को अत्यावश्क पदार्थ अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राज्य के भीतर भन्डारों, कीमतों एवं चारे के संचलन को नियंत्रित करने के लिये शक्तियां दे दी हैं ।

(2) पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे राजस्थान सरकार को अपने राज्यों से चारे की खरीद और मुहैया करने में आवश्यक सुविधायें प्रदान करें।

(3) रेलवे मन्त्रालय राजस्थान में सूखा से प्रभावित क्षेत्रों को चारा अग्रता के आधार पर परिवहन कर रहा है और रिआयती किराये की दरें लागू कर दी हैं। रेलवे मन्त्रालय गायों को इन क्षेत्रों से भारत में किसी अन्य स्थान पर भेजने के लिये 20 प्रतिशत रिआयत के लिये भी राजी हो गया है।

(4) भारत सरकार के कहने पर अधोलिखित राज्य सूखा से प्रभावित इन क्षेत्रों से गायों को चराने की सुविधा देने के लिये राजी हो गये हैं:-

मध्य प्रदेश	1,00,000	गाय
उत्तर प्रदेश	60,000	गाय
पंजाब	10,000	गाय

(5) सूखा से दुष्प्रभावित क्षेत्रों में गो-सहायता कार्य के लिये भारत सरकार ने गो-सम्बर्द्धन परिषद को 2.50 लाख रुपये का एक अनुदान मुक्त कर दिया है।

खाद्यान्नों को गोदामों में रखना

654. श्री मधु लिमये :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में गेहूं की अच्छी फसल की उपज को गोदामों में रखने की उचित व्यवस्था नहीं थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गोदामों की उचित व्यवस्था न होने के कारण बड़ी मात्रा में अनाज खराब हो गया था ;

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) इस प्रकार खराब हुए अनाज का मूल्य लगभग कितना है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। पंजाब की मंडियों में ऊपर-ऊपर का केवल लगभग 80 मीटरी टन गेहूं वर्षा से प्रभावित हुआ था। प्रभावित स्टाफ को साफ करने तथा सुखाने की तत्काल व्यवस्था की गई थी।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिप्राप्त स्टाफ गोदामों अथवा अन्य ढके स्थानों में यथा शीघ्र तत्परता से भेजा जाय, राज्य सरकारों और अधिप्राप्ति से संबंधित अन्य एजेंसियों ने पग उठाये थे और विवशतापूर्ण स्थिति में जो थोड़ी सी मात्रा बाहर खुले में रह गई थी उसे तिरपाल से अच्छी प्रकार ढक दिया गया था ।

(घ) अनुमान है कि क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का मूल्य 39,000 रुपये के आस-पास होगा ।

Cashewnut Industry

655. Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri M. N. Reddy :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Cashewnut industry in the country is facing a crisis on account of shortage of raw cashew resulting from the rapid development of cashewnut industry in other countries;

(b) whether it is also a fact that the cashew oil and shell is not being utilised in making alochol or for extracting oil as a result of which cashew cultivation has become unremunerative;

(c) whether it is also a fact that inadequate supply of rice to Kerala has also resulted in switching over to cultivation of paddy and tapoica in place of cashew,

(d) if so, whether the cashewnut industry has requested Government to start cashew plantations on a large scale; and

(e) if so, the details of the scheme formulated by Government in this regard ?

The Minister of State In the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (e): The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Development of a Particular Variety of Paddy

656. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the progress made so far in developing such a variety of paddy which may resemble Basmati and give yield equal to that of I.R.8; and

(b) the time by which that seed is likely to be supplied to the farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Crosses have been made at the Indian Agricultural Research Institute, and at a few other centres, between the Basmati varieties and Taichung Native I and I.R.8. Some selections with a dwarf and fertiliser-responsive character and possessing fine grains like Basmati are now under regional testing under the All-India Coordinated Rice Improvement Project. Under the above Project, and at the Central Rice Research Institute, research has been in progress for breeding rice varieties with fine grains of good quality and with yielding ability as high as Taichung Native I or IR.8. A number of such lines are already under test at experiment stations throughout the country.

(b) The Andhra Pradesh Agricultural University has recently released a variety, "Hamsa" for that State which has excellent grains and which yields about as high as

Taichung Native 1. It is expected that by 1969 some strains combining yield and quality would become available for release to the farmers.

आसाम में सूखे के कारण खाद्य फसलों की क्षति

657. **श्री हेम बरुआ :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम में आई बाढ़ और सूखे के कारण खाद्य फसलों को हुई कुल क्षति का अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और राज्यों में अनाज की अत्यधिक कमी की स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख): असम सरकार से असम में बाढ़ तथा सूखे से हुई क्षति के बारे में ब्यौरा मांगा गया है । ये अभी प्राप्त नहीं हुआ है और प्राप्त होने पर लोक-सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

सप्लाई में अस्थायी रूप में विघ्न पड़ने के अलावा, राज्य सरकार से खाद्य की कुल मिलाकर भारी कमी के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । राज्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये लगभग 20,000 मीटरी टन गेहूं का कोटा आवंटित किया जा रहा है । असम को हाल ही में 200 मीटरी टन चावल प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवंटित किया गया था ।

दिल्ली में वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि

658. **डा० सुशीला नैय्यर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में वनस्पति के मूल्य फिर बढ़ा दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार पुनः वनस्पति के मूल्य घटाने के बारे में विचार करेगी ताकि निर्धन लोग सस्ते मूल्य पर वनस्पति खरीद सकें ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क), (ख) और (ग): वनस्पति के मूल्यों की समय-समय पर इसके बनाने में में प्रयुक्त होने वाले कच्चे तेलों के चल रहे मूल्यों के सन्दर्भ में समीक्षा की जाती है और जैसी स्थिति हो तदनुसार उसमें कमी अथवा बढ़ोतरी की जाती हैं । अतः जनवरी, 1968 से दिल्ली सहित उत्तरी क्षेत्र में मूल्यों में सात बार कटौती और पांच बार बढ़ोतरी की गयी है । पिछली बार 8 नवम्बर, 1968 से मूल्यों में जो संशोधन किया गया है वह उत्तरी क्षेत्र में 17 पैसे प्रति किलोग्राम मूल्य में कमी की गयी है ।

Tara Cooperative House Building Society, New Delhi

659. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Tara Cooperative House Building Society, Shankar Market, New Delhi, has been formed;

(b) the number of members of the above Society and the number out of them who are Members of Lok-Sabha and Rajya-Sabha separately;

(c) the names and addresses of the office-bearers of the said Society; and

(d) the Cooperative work done by this Society since its inception. the total capital of the Society at present and the amount of interest included in that ?

The Minister of State in the Ministry of Food. Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) The total number of members is 256, out of which 102 are Members of Lok Sabha and 40 are Members of Rajya Sabha.

(c) A statement is laid on the Table. **[Placed in Library. See No. LT-2101/68]**

(d) The Society after its inception in 1961 has been making attempts to get land from the Government for allotment to members for the construction of houses. The society was offered 9 acres of land in Shahdara area across Jamuna in March, 1964 but this offer was rejected by the society. Subsequently, the proposal of the society for allotment of land in New Delhi area was accepted by the Government and it has been decided by the Government to offer land to the society near Munirka village South of R. K. Puram.

The working capital of the society is Rs. 1,61,870.97 (as on 20.6.1968) which includes Rs. 5,150.97 on account of interest.

कृषि मूल्य आयोग

660. **श्री रा० कि० अमीन :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि मूल्य आयोग का न तो कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष है और न गैर-सरकारी सदस्य;

(ख) क्या भारत सरकार का पदकारी ही इस आयोग का लगातार सदस्य चला आ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस आयोग की प्रतिष्ठा तथा कार्य संचालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख): आयोग का एक पूर्ण कालिक अध्यक्ष है । आयोग के अन्य दो

सदस्यों में से एक अंशकालिक सदस्य तथा दूसरा पूर्ण कालिक सदस्य-सचिव है। आयोग के सदस्य सरकारी तथा गैर-सरकारी श्रेणियों में विभाजित नहीं है क्योंकि वे प्रदत्त कर्मचारी हैं। फिर भी, कृषकों का एक प्रैनल, जिसमें राज्यों के प्रगतिशील कृषक तथा संसद् के दो सदस्य शामिल हैं, आयोग की सहायता करता है।

(ग) और (घ): प्रश्न ही नहीं होते।

सघन खेती तथा पैकेज कार्यक्रम

661. श्री हेमराज : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सघन खेती तथा पैकेज कार्यक्रमों में तेजी से आने से बड़े किसानों को बहुत लाभ हुआ है तथा छोटे किसानों को अधिक लाभ नहीं हो पाया है तथा दोनों के बीच विषमता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सघन खेती तथा पैकेज कार्यक्रमों से क्रमशः कितने प्रतिशत बड़े और छोटे किसानों को लाभ हुआ है; और

(ग) इस बढ़ती हुई खाई को पाटने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं, सघन कृषि तथा पैकेज कार्यक्रम के तीव्र होने के कारण दोनों बड़े और छोटे किसानों को लाभ हुआ है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं होते।

डाक व तार विभाग में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे

662. श्री बाबू राव पटेल :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक व तार विभाग में पिछले दो वर्षों में कर्मचारियों ने चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के कितने दावे राज्यवार प्रस्तुत किये और वे दावे कितनी राशि के थे;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश डाक व तार सर्किल में अकेले एक कर्मचारी को 26,000 रुपये तक प्रतिपूर्ति के रूप में दिये गये और यदि हां, तो उसका नाम एवं पदनाम क्या है;

(ग) किस तरीके से और किस रूप में कर्मचारियों द्वारा अपने चिकित्सा सम्बन्धी बिल प्रस्तुत किये जाते हैं और डाक व तार विभाग में किस प्रकार उनकी जांच की जाती है;

(घ) अब तक कितने झूठे दावों का पता लगा है और अपराधी व्यक्तियों को क्या-क्या दण्ड दिया गया है; और

(ङ) इस जालसाजी को रोकने के लिये क्या व्यवहारिक कार्यवाही की गई है और यदि ऐसी कार्यवाही नहीं की गई, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उचित समय में सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) पौड़ी डिवीजन के क्लर्क श्री के० बी० लाल को दो वर्षों अर्थात् 1966-67 और 1967-68 के दौरान लगभग 44077 रुपये की रकम चिकित्सा खर्च प्रतिपूर्ति के रूप में अदा की गई।

(ग) चिकित्सा खर्च प्रतिपूर्ति के दावे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रणाली के अनुसार निर्धारित फार्म में भेजे जाते हैं, जिनके साथ अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये अनिवार्यता प्रमाणपत्र और रोग निदान परीक्षणों, इंजेक्शनों और अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित औषधियां इत्यादि पर हुए खर्च के वाउचर लगे रहते हैं और उस चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होते है। इनकी जांच स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उक्त विषय पर समय-समय पर ऐसे दावों की जांच सम्बन्धी जारी किये गये नियमों के सन्दर्भ में की जाती है।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसको समय पर सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ङ) चिकित्सा खर्च प्रतिपूर्ति की बढ़ती हुई खर्च की प्रवृत्ति को रोकने के लिए पहले से ही बहुत से रोक-थाम के कदम उठाये जा चुके हैं और यह मामला आगे भी विचाराधीन है।

अनाज का आयात

663. श्री स० चं० सामन्त :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री प्र० के० देव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री हेम राज :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री मधु लिमये :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री सीताराम केसरी :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बेणीशंकर शर्मा :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कई राज्यों में सूखे की स्थिति के फलस्वरूप उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में खाद्य फसलों के उत्पादन में अनुमानतः अनाज-वार कितनी कमी हुई है;

(ख) क्या आगामी फसल अब भी खाद्य की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगी;

(ग) यदि नहीं, तो 1968-69 में कितना अनाज तथा अन्य पदार्थों का आयात किया जायेगा;

(घ) किन-किन देशों ने भारत को अनाज तथा अन्य पदार्थ देना स्वीकार कर लिया है और वर्ष 1968-69 में उन्होंने कितनी-कितनी मात्रा देने का वचन दिया है अथवा कितनी मात्रा मिलने की सम्भावना है; और

(ङ) आयात किये जाने वाले अनाज की प्रस्तावित मात्रा का रुपये में तथा विदेशी मुद्रा में कुल कितना मूल्य होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1968-69 में खाद्य की फसलों के उत्पादन के पक्के अनुमान चालू कृषि वर्ष के अन्त तक अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1969 तक उपलब्ध होने की सम्भावना है। 1968-69 के लिए खाद्य की फसलों के सम्भावी उत्पादन सम्बन्धी अस्थायी अनुमान तैयार करना भी अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी रबी फसल की बुवाई जारी है और बहुत से राज्यों में खरीफ फसल की कटाई भी शुरू नहीं हुई है।

(ख) और (ग): खाद्यान्नों की मांग बहुत सी बातों पर जसे कि जनसंख्या की वृद्धि, शहरीकरण की रफतार, आय का स्तर, खाद्यान्नों तथा अन्य वैकल्पिक खाद्य पदार्थों तथा उनके तुलनात्मक मूल्यों पर आधारित होती है। खाद्यान्नों के उत्पादन और उनकी मांग सम्बन्धी पक्के अनुमानों के अभाव में इस समय इस बात की ओर संकेत करना सम्भव नहीं है कि खाद्यान्न का कुल उत्पादन खाद्यान्नों की मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त होगा अथवा नहीं। तथापि, हमारे वर्तमान अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 1968-69 के दौरान लगभग 53 लाख मीटरी टन खाद्यान्न आयात किए जाएंगे।

(घ) अभी तक हुई वास्तविक/प्राधिकृत खरीदारी जिसका 1968-69 में लदान होने की सम्भावना है, को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2102/68**]। इसके अलावा, अमरीका से नये पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत लगभग 23 लाख मीटरी टन खाद्यान्न सप्लाई करने के लिए बातचीत अब अन्तिम दौर में पहुँच चुकी है और औपचारिक करार पर निकट भविष्य में हस्ताक्षर हो जाएंगे।

(ङ) 1968-69 में प्रस्तावित खाद्यान्नों के आयात पर कुल रुपये और विदेशी मुद्रा में कुल व्यय के सम्बन्ध में जानकारी वर्ष के अन्त में प्राप्त हो जाएगी जबकि कुल आयात किया जा चुका होगा। तथापि, 1968-69 के दौरान खाद्यान्न आयात करने के सम्बन्ध में निम्न-लिखित प्राविधान बजट में पहले से ही है :--

		(करोड़ रुपयों में)
(1)	रुपयों में खर्च	268.40
(2)	विदेशी मुद्रा के रूप में खर्च	122.18
	जोड़	390.58

मैसर्स रिलायेन्स कन्सट्रक्शन (प्राइवेट) लिमिटेड की कर्मचारी भविष्य निधि

664. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स रिलायेन्स कन्सट्रक्शन (प्राइवेट) लिमिटेड, बाल्केश्वर रोड, बम्बई को अपने कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि की राशि काटने के लिये सर्वप्रथम कब कहा गया था;

(ख) यह निर्णय किस अधिकारी ने किया था तथा इसका आधार क्या था;

(ग) पहले आदेश पर पुनर्विचार करने के लिये इस कम्पनी ने कब और किसको अभ्यावेदन दिया था तथा किन आधारों पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना की गई थी;

(घ) इस कम्पनी को भविष्य निधि अधिनियम के क्षेत्र से बाहर रखने का आदेश कब और किसने पास किया था;

(ङ) इस मामले में कम्पनी के कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) 4 दिसम्बर, 1965

(ख) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र ने सम्बद्ध भविष्य निधि इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया ।

(ग) कम्पनी ने कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 19 के अधीन फरवरी, 1967 में एक अभ्यावेदन केन्द्रीय सरकार को दिया था कि कम्पनी उस समय पूर्ण रूप से भवन और निर्माण कार्य में व्यस्त थी और इसलिये अधिनियम के अन्तर्गत पाये जाने के लिये प्रतिष्ठान की श्रेणी में नहीं आती थी । "इंजीनियर और इंजीनियरिंग ठेकेदार जो पूर्ण रूप से भवन निर्माण कार्य में लगे हों ।"

(घ) केन्द्रीय सरकार ने पाया कि कम्पनी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आती थी और इसलिये उसने 19 मार्च, 1968 को अधिनियम की धारा 19–ए के अधीन एक निदेश जारी किया ।

(ङ) जी हां ।

(च) यह मामला भविष्य निधि अधिकारियों की सलाह से विचाराधीन है ।

हट्टी स्वर्ण खान कर्मचारी संस्था की मांगें

665. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त तथा दिल्ली में मुख्य श्रम आयुक्त को हट्टी स्वर्णखान कर्मचारी संस्था से जुलाई, 1968 में कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या कहा गया है;

(ग) सरकार ने उनकी मांगों पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

हट्टी स्वर्ण खान कर्मचारी संस्था की मांगें

(i) संस्था को मान्यता।

(ii) कर्मचारियों को दिनांक 31-3-1968 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लाभ-बोनस की अदायगी।

(iii) कारीगरों को विशेष वेतन-वृद्धि की अदायगी।

(iv) मजूरी-बोर्ड का गठन।

(v) शिक्षा सुविधाओं का दिया जाना।

(vi) खान-क्षेत्रों से दूर रहने वाले कारीगरों को पानी की सप्लाई।

मांगों के बारे में स्थिति

केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था के एक अधिकारी ने इस मामले पर प्रबन्धकों तथा संघ के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया। जहां तक मांग संख्या (i) का सम्बन्ध है। संघ को इसलिये मान्यता नहीं दी जा सकी क्योंकि जांच पर यह संघ अल्प-संख्यक पाया गया। मांग संख्या (ii) के बारे में; दिनांक 31-3-1968 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लाभ-बोनस कर्मचारियों को 20% की अधिकतम् दर पर पहले ही वितरित किया जा चुका है। मांग संख्या (iii) को दिनांक 9 नवम्बर, 1967 को हुए आपसी समझौते में वापस लिया जा चुका है और यह समझौता दिनांक 30 सितम्बर, 1969 तक लागू है। मांग संख्या (iv); इन स्वर्ण खानों के लिये मजूरी बोर्ड गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मांग संख्या (v) के बारे में प्रबन्धकों ने हाई स्कूल के भवन हेतु मार्च, 1969 के बाद किसी समय 70,000 रुपये देना स्वीकार कर लिया है--जहां तक मांग संख्या (vi) का सम्बन्ध है; प्रबन्धकों ने हट्टी गांव निवासियों को अपने नलों से पानी ले लेने की अनुमति दे रखी है। हट्टी गांव के लिये ग्राम्य जल सप्लाई के सन्दर्भ में चल रहे कार्य में प्रगति हो रही बताई जाती है।

हड़ताल में भाग लेने वाले डाक तथा तार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

666. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री दे० अमात :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री गु० च० नायक :
श्री क० लकप्पा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार और टेलीफोन विभागों के उन कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें 18 सितम्बर के पश्चात् गिरफ्तार अथवा मुअत्तिल किया गया था, अथवा जिन्हें उनकी सेवा समाप्त करने के आदेश दिये गये थे और जिन्हें अन्य तरीकों से दण्ड दिया गया था;

(ख) सेवा समाप्त करने, मुअत्तिल करने, बर्खास्त करने के कितने मामलों में आदेश मंसूख किये गये हैं अथवा वापस लिये गये हैं;

(ग) क्या ऐसे सभी आदेशों को वापस लेने अथवा मंसूख करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) (i) गिरफ्तार–3677

(ii) निलम्बित–3756

(iii) जिनकी सेवाएं समाप्त की गई––
बर्खास्त–49

अस्थायी कर्मचारी जिनकी सेवाएं समाप्त की गई–1171

अस्थायी कर्मचारी जिनको नोटिस जारी किये गये–27224

(iv) अन्य प्रकार के दण्ड–862

(ख) अस्थायी कर्मचारियों को जारी किये गये सभी नोटिस वापिस ले लिये गये हैं। अन्य मदों सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है और इकट्ठी की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सरकारी आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

गेहूँ का मूल्य

667. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1968 में गेहूं का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वसूली मूल्य से भी कम हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकों द्वारा गेहूँ खरीदने के लिये ऋण न देने का निर्णय भी मूल्य कम होने का एक कारण था;

(ग) क्या बैंकों द्वारा गेहूँ खरीदने के लिये ऋण देने के निर्णय के बाद गेहूँ तथा अन्य पदार्थ के मूल्य तेजी से बढ़ रहे हैं; और

(घ) बैंकों ने गेहूं खरीदने के लिये अप्रैल-अगस्त तथा सितम्बर–अक्तूबर, 1968 में क्रमशः कुल कितना ऋण दिया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की कुछ मंडियों को छोड़कर, अप्रैल

से अगस्त, 1968 में खुले बाजार में गेहूँ के मूल्य अधिप्राप्ति मूल्य के स्तर पर या उससे अधिक थे।

(ख) अप्रैल-अगस्त, 1968 की अवधि में गेहूँ की प्रतिभूति पर वाणिज्य बैंक ऋण देने पर नियन्त्रण कड़े नहीं थे।

(ग) गेहूँ की प्रतिभूति पर दी जाने वाली बैंक पेशगियों पर न्यूनतम गुंजाइश और उच्चतम सीमा के बारे में रिजर्व बैंक द्वारा अगस्त, 1968 में सीमान्त ढील देना इसलिए घोषित की गयी थीं ताकि सुगम सप्लाई स्थिति से उत्पन्न प्रत्याशित मांग को पूरा किया जा सके और इसे मानने में कोई कारण नहीं दिखाई देता है कि इससे गेहूँ के मूल्यों में कोई वृद्धि हुई है।

(घ) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा गेहूँ की प्रतिभूति पर दिया गया बैंक ऋण 17 मई, 1968 को 35.72 करोड़ रुपये था। बाद की अवधि की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

अनाज का संग्रह करने, अनाज के उतारने चढ़ाने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में होने वाली हानि सम्बन्धी समिति

668. **श्री के० रमानी :**
श्री ई० के० नायनार :
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री नारायण रेड्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 22 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4888 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज का संग्रह करने, अनाज को उतारने चढ़ाने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में होने वाली हानि सम्बन्धी समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।

(ख) और (ग): अन्तरिम रिपोर्ट में दी गयी समिति की सिफारिशों और सरकार द्वारा उन पर की गयी कार्यवाही का ब्यौरा विवरण में दिया जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2103/68**]

औद्योगिक कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

669. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री नम्बियार :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 25 जुलाई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 111 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो यह प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत हो जाने की सम्भावना है; और

(ङ) विलम्ब के क्या कारण है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है, जिसमें कार्यकारी दल की सिफारिशें/सुझाव दिए गए हैं; **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2104/68]**

(ग), (घ) और (ङ): रिपोर्ट सरकार को 31 अक्टूबर, 1968 को प्रस्तुत की गई थी और इस पर विचार किया जा रहा है ।

अन्दमान फारेस्ट यूनियन और पी० डब्ल्यू० डी० वर्कर्स यूनियन की मांगें

670. **श्री ई० के० नायनार :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री उमानाथ :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 25 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्दमान फारेस्ट यूनियन और पी० डब्ल्यू० डी० वर्कर्स यूनियन की मांगों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो कब तक इस पर विचार कर लिये जाने की सम्भावना है; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2105/68]**

(ग) और (घ): विचार करने पर कुछ और समय लगने की सम्भावना है क्योंकि प्रस्तावों पर अन्तर्मंत्रालय परामर्श होना है ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह सम्बन्धी न्यूनतम मजूरी सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

671. **श्री के० एस० अब्राहम :**
श्री के० रमानी :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 5 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1460 और 25 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 781 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह सम्बन्धी न्यूनतम मजूरी सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं तो कब तक इसका परीक्षण पूरा हो जाने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क), (ख) और (ग) : इस रिपोर्ट पर अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जायगी । यह मामला अभी भी प्रशासन के विचाराधीन है ।

केरल में मत्स्य पालन उद्योग का विकास

672. **श्री आदिचन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये, मत्स्य पालन उद्योग विकास, विशेषकर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां तो उसके अन्तर्गत प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा तथा अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) केरल सरकार ने राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मीन विकास के लिये कुल 1726 लाख रुपये के व्यय का प्रस्ताव रखा है । योजना का ब्यौरा देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2106/68**]

(ग) योजनाओं पर केरल सरकार के साथ विचार-विमर्श किया गया है और सिद्धान्त रूप में इन्हें स्वीकार कर लिया गया है । परन्तु राज्य योजना के अन्तर्गत होने वाली वित्तीय

व्यवस्था के बारे में जांच की जा रही है और योजना की क्रियान्विति उन संसाधनों पर निर्भर करेगी जिन्हें राज्य सरकार इस क्षेत्र के लिये बचा सकती है।

वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि

673. **श्री अडिचन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन समाचारों के बारे में विचार किया है कि देश में वनस्पति तैयार करने वाले कारखानों ने या तो अपने उत्पादन को कम कर दिया है अथवा बिल्कुल बन्द कर दिया है और सितम्बर 1968 में केन्द्रीय सरकार द्वारा वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि की घोषणा किये जाने के बाद भी उन्होंने पहले जितना उत्पादन नहीं किया; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) फायर मैन की हड़ताल और/अथवा बाढ़ों के कारण रेल यातायात में विघ्न पड़ने के परिणामस्वरूप कच्चे तेलों की कम उपलब्धि के कारण अगस्त और सितम्बर, 1968 में वनस्पति के उत्पादन में गिरावट आयी थी। कुछ कारखाने जुलाई में खरीदारी से अगस्त के लिए अपनी तेल सम्बन्धी जरूरतें पूरी करने में असफल रहे थे। अगस्त में अप्रत्याशित रूप से तेल के दाम चढ़ गए थे।

(ख) कच्चे तेलों की सप्लाई स्थिति में सुधार हो गया है और कारखानों ने अब सामान्य स्तर पर उत्पादन शुरू कर दिया है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कर्मचारियों को जबरी छुट्टी देना

674. **श्री नहाल सिंह :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री ज्योतिर्मय बसु के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कर्मचारियों को जबरी छुट्टी दिये जाने के बारे में शिकायत करने के लिये तथा तोड़ फोड़ के कथित मामले में अदालती जांच की मांग के लिये 24 सितम्बर, 1968 को आप से, उप-प्रधान मंत्री से तथा औद्योगिक विकास मंत्री से मिला था;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मण्डल का स्पष्टतः मामला तथा उसकी मांग क्या है; और

(ग) सरकार की इस मामले के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : जी नहीं, ऐसा कोई प्रतिनिधि-मण्डल 24 सितम्बर, 1968 को मुझे, उप-प्रधान मंत्री और औद्योगिक विकास मंत्री को नहीं मिला।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठते।

मैसूर में अकाल

675. **श्री क० लकप्पा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का मैसूर राज्य के कुछ भागों में अकाल की स्थिति को देखते हुए उन अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिये कोई स्थायी उपाय करने का विचार है;

(ख) क्या योजना आयोग को इस सम्बन्ध में कोई सुझाव दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो वह क्या सुझाव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क), (ख), (ग) और (घ) : दीर्घकालिक अकाल ग्रसित क्षेत्रों का विकास एक अनेक देशीय पहुँच चाहता है। समस्त राज्य सरकारों (मैसूर सहित) को सलाह दी गई थी कि अधोलिखित पंक्तियों पर कार्यक्रम बनायें :--

1. (क) इस आधार पर कि क्या प्रत्येक तीन साल में, या 6 साल में या दस साल में एक बार फसल पूर्णतया नष्ट हो जाती है, दीर्घकालिक अकाल ग्रसित क्षेत्रों को 'क' 'ख' और 'ग' श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाये। वे क्षेत्र जिनको 'क' श्रेणी दी गई है उन्हें कड़ी तह के रूप में दीर्घ-कालिक अकाल ग्रसित क्षेत्र माना जाये और उन्हें प्रथम उपचार के लिये लिया जाये।

   (ख) नमी संधारण के लिये संनयनीय उपायों को चालू करना।

   (ग) क्षेत्रों में बड़े और माध्यम सिंचाई कार्यों की सम्भवता।

   (घ) भूमि का अधिकतर सक्षम प्रयोग, वनसम्पदा के साथ कृषि का मिलाप और चारा उत्पादन, और

   (ङ) उप संगी कृषि पेशा, ग्राम उद्योग आदि पर आधारित रोजगार की किस्मों को प्रदान करना।

2. निधि की कमी के कारण योजना आयोग के साथ परामर्श करके यह निश्चय किया गया कि मार्गदर्शी प्रायोजनाओं को लेकर शुरु किया जाये जो दीर्घ-कालिक अकाल ग्रसित 'कड़ीवह' में एक ओसत जिले से बड़े अधिक क्षेत्र को आवरित न करते हों। इस पहुँच के अन्तर्गत धरातल जल औ खनिज साधन, लघु सिंचाई परियोजनायें भूमि एवं जल संधारण कार्य, वनोरोपण और चरागाहों का विकास की जांच पड़ताल को हाथ में लेने का सुझाव है।

3. मैसूर सरकार ने अधोलिखित क्षेत्रों को "कड़ीतह" के रूप में उस राज्य में चिंहित किया है :--

जिले का नाम	तालुके का नाम
चित्रदुर्ग	1. चित्रदुर्ग
	2. चलाकेरा
	3. जागलूर
	4. मोल कालमुरु

बीजापुर

1. मुड्डेविहल
2. हुनागुन्ड
3. बादमी

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) के विशेषज्ञों के एक केन्द्रीय दल ने राज्य सरकार को उनकी आवश्यकताओं का आंकन और उनके प्रस्तावों की रूपरेखा बनाने में सहायता देने के लिये, राज्य का दौरा किया। दल के प्रतिवेदन की लिपियां राज्य सरकार को भेज दी गई हैं और उनसे प्रार्थना की गई है कि दल द्वारा की गई सिफारिशों को दृष्टि में रख कर ठोस योजनाओं की रूपरेखा बनायें।

3. जहां तक 1969–74 के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है कोई भी निधान, जो कमी वाले क्षेत्रों के विकास के लिये आवश्यक है मैसूर राज्य के चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का भाग बनेगा। दीर्घकालिक अकाल ग्रसित क्षेत्रों के विकास के लिये केन्द्र संचालित वर्तमान योजना, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध है, इसकी पद्धति के अनुसार, राज्य योजना के बाहर 31–3–1969 को समाप्त हो जायेगी।

Graduates in Agricultural Science

676. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Graduates in Agricultural Science coming out of Agricultural Colleges at present prefers service to agriculture ; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken by Government to attract such gradutes towards agriculture ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community-Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes.

(b) Most of the agricultural graduates lack adequate land and capital to takeup farming as a profession. Some states are formulating proposals to allot newly developed land to agricultural graduates for taking up farming. Availability of agricultural credit through institutional finance is being expanded during the 4th Plan, which agricultural graduates would be able to avail of.

Cow Protection Committee

677. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the members of Go-Raksha Mahabhiyan Samiti have boycotted the Cow Protection Committee appointed by Government ;

(b) whether it is also a fact that most of the representatives of the people have refused to give evidence before the said Committee as a protest ;

(c) if so, whether Government have taken any steps to solve the problems that have cropped up consequent to the said boycott and refusal for giving evidence :

(d) if so, the details thereof ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community-Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The representatives of Sarvadaliya Goraksha Mahabhiyan Samiti on the Cow Protection Committee informed that they had decided to withdraw from the Committee.

(b) No, Sir.

(c) A letter had been sent to Shri Jagatguru Shankaracharya on 5.10.68, that the Government would welcome the further participation actively of the representative of the Samiti in the business of the Committee. His reaction to the letter is awaited.

(d)and(e) Does not arise in view of 'c' above.

टेलीफोन के सामान और उपकरण का उत्पादन

678. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बढ़ाई गई टेलीफोन सुविधाओं के लिए अपूर्ण मांगों को पूरा करने के लिए (केबल के अतिरिक्त) देश के सामान और उपकरण के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है और

(ग) इस बारे में भविष्य के लिए क्या लक्ष्य है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इं० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) इण्डियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलोर ने विद्यमान सुविधाओं का विस्तार करके दूर संचार उपस्कर की विभिन्न मदों के उत्पादन में क्रमश: वृद्धि के लिए कदम उठाये है । इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लम्बी दूरी के पारेषण-उपस्कर के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से, इस उपस्कर के निर्माण के लिए एक नया कारखाना स्थापित करने का भी प्रस्ताव है ।

(ग) इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजन अवधि में 15 लाख टेलीफोनों और 28.5 करोड रुपए मूल्य के पारेषण-उपस्कर का उत्पादन करने की आशा है । इस अवधि में, इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड में क्रासबार स्विचिंग उपस्कर की एक लाख लाइनों की विद्यमान वार्षिक निर्माण क्षमता को बढ़ाकर 1.5 लाख लाईन प्रतिवर्ष कर देने का प्रस्ताव है । लम्बी दूरी के पारेषण उपस्कर के निर्माण के लिए प्रस्तावित नये कारखाने द्वारा, अपनी स्थापना के प्रथम पांच वर्षो में 15.5 करोड़ रुपये मूल्य के पारेषण उपस्कर का निर्माण किये जाने की सम्भावना है ।

Gift of Fertilizers to India from U. K.

679. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that U. K. has made a gift of fertilizers to India this year ; and

(b) if so, the quantity thereof ?

The Minister of state in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes. Fertilisers have been gifted to the National Campaign Committee of FFHC in India under the FAO/FF HC Fertilizer Project for two pilot schemes in Districts of Unnao and Lucknow in Uttar Pradesh for popularising effective methods of fertilisers distribution, marketing and credit.

(b) 1050 tonnes of Urea.

Shops in old Lajpat Rai Market, Delhi

680. **Shri Ram gopal Shalwale** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the shopkeepers of old Lajpat Rai Market, Delhi have demanded that they may be allowed to purchase the said shops on hire purchase system ;

(b) if so, the decision taken by Government in the matter ;

(c) if not, the reasons therefor ;

(d) whether it is also a fact that the consrtuction work of the passages before the shops has again come to a standstill ; and

(e) if so, the reasons for the stoppage of this construction work ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes.

(b and c The shops constructed in the Lajpat Rai Market are not being sold to the allottees as unlike the case of other similar markets, the land on which the Lajpat Rai Market has bean built does not belong to the Department of Rehabilitation.

(d)and(e) : The work of paving the passages in certain parts of the market could not be taken up as the shops were still under construction. The work is likely to be taken in hand and completed soon.

जोधपुर तार इन्जीनियरी डिवीजन में यात्रा भत्ता बिल

681. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जोधपुर तार इंजीनियरी डिवीजन में यात्रा भत्ता बिलों का अप्रेल, 1968 से भुगतान नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इन यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान करने के लिए क्या प्रयत्न किये गये थे ;

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री, (श्री इं० कु० गुजराल) : (क) जी हां। केवल पांच बिल बकाया है।

(ख) कर्मचारियों से पूरी सूचना की कमी तथा आवश्यक प्रमाणपत्रों और सर्कल कार्यालयों से मंजूरी प्राप्त न होने के कारण।

(ग) सर्कल को लगातार निगाह रखने और यात्रा भत्ता बिलों को शीघ्र निपटाने के लिए अनुदेश जारी किये जा चुके हैं।

जोधपुर तार इंजीनियरी डिवीजन

682. **श्रीमती सावित्री श्याम : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर तार इंजीनियरी डिवीजन के राजपत्रित तथा अराजपत्रित इंजीनियरी कर्मचारियों में कोई असन्तोष है ;

(ख) यदि हां, तो मामले की जांच के लिए तथा समस्याओं का सामना करने के लिए जयपुर के पोस्ट मास्टर जनरल ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या डिवीजनल इंजीनियर टेलीग्राफ जोधपुर के विरुद्ध बहुत शिकायतें प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री, (श्री इं० कु० गुजराल) :

(क) जोधपुर तार इंजीनियरी डिवीजन के राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों में असन्तोष के किसी मामले की ओर ध्यान नहीं दिलाया गया ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जोधपुर के डिवीजनल इंजीनियर, टेलीग्राफ के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं मिली ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में छोटी सिंचाई की सुविधाएं

683. **श्री बाल्मीकि चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में खेती के योग्य कुल कितनी भूमि है तथा इसमें से कितनी भूमि को अभी भी प्रकृति की अनिश्चितता पर निर्भर रहना पड़ता है और उसके लिये अब तक सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं की गई है;

(ख) बिहार की अनेक छोटी सिंचाई परियोजनाओं में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा प्रत्येक के कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है और इससे कितनी अतिरिक्त भूमि में सिंचाई हो सकेगी ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में, बिहार में, खेती योग्य कितनी भूमि सिंचाई के बिना रहेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) (क) से (ग) : जानकारी बिहार सरकार से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभापटल पर रख दी जाऐगी ।

अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों की खेती

684. श्री बाल्मीकि चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक उपज देने वाली किस्म के अनाजों के बीजों की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा तथा लागत क्या है ; और

(ग) अब तक बिहार में कितनी भूमि अधिक उपज देने वाली किस्म के अनाजों की खेती के अन्तर्गत लायी जा चुकी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) ; (क) जी हां ।

(ख) देश में अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम को 1966–67 के शुरू में सुनिश्चित सिचाई एवं वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रारम्भ किया गया था । 1966–67 की अवधि में धान, मक्की, ज्वार-बाजरा तथा गेहूं की विभिन्न अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत लगभग 46.6 लाख एकड भूमि का क्षेत्र लाया गया था । 1967–68 के दौरान इन किस्मों के अन्तर्गत अनुमानतः 149.2 लाख एकड़ क्षेत्र था । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खरीफ 1968 की अवधि में लगभग 90.0 लाख एकड़ क्षेत्र के आने की आशा है और रबी / ग्रीष्म 1968–69 के लिए 144.3 लाख एकड़ का लक्ष्य स्वीकार किया गया है ।

यह कार्यक्रम कृषि उत्पादन सम्बन्धी सामान्य कार्यक्रम का एक भाग है । खाद्यान्नों की अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए व्यय का कोई अलग खाता नहीं रखा गया है ।

(ग) 1966–67 के दौरान बिहार में अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.46 लाख एकड़ का क्षेत्र लाया गया था । 1967–68 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र को 12.18 लाख एकड़ तक बढ़ा दिया गया था और 1968–69 के लिए 15.31 लाख एकड़ का (जिसमें रबी ग्रीष्म की अवधि का 6 लाख एकड़ का क्षेत्र भी शामिल है) लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

अधिक उपज देने वाली किस्म के अनाजों के बीजों की खेती

685. श्री बाल्मीकि चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के अन्तर्गत कार्यान्विति के लिए अधिक उपज देने वाली किस्म के अनाजों के बीजों की खेती के बारे में कोई योजना बना ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा तथा अनुमानित लागत क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अनाज की अधिक उपज वाली किस्मों की खेती सन् 1966–67 की खरीफ फसल से चालू है और चौथी पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखने का प्रस्ताव है। अस्थायी रूप से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सन् 1973–74 तक 6 करोड़ एकड़ भूमि लाने का प्रस्ताव है। इसमें 2.5 करोड़ एकड़ धान के लिये, 1.5 करोड़ एकड़ गेहूं के लिये, 40 लाख एकड़ ज्वार के लिए, 70 लाख एकड़ बाजरे के लिए तथा 50 लाख एकड़ मक्का के लिये है। इस लक्ष्य के अन्तर्गत आने वाले राज्यवार ब्यौरे को अन्तिम रूप प्रदान करने के लिए आजकल सम्बन्धित राज्यों से बातचीत चल रही है।

(ख) अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम सामान्य कृषि कार्यक्रम का ही एक अंग है। इसमें किसी भी प्रकार का शोध-कार्य या विस्तार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए अधिक उपज वाली किस्मों के खाद्यानों की अनुमानित लागत बताना सम्भव नहीं है।

Procurement Prices of Foodgrains

686. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Chief Ministers of many States have asked for enhancement in the procurement prices of foodgrains ; and

(b) if so, the decision taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b): The question of procurment prices for kharif foodgrains 1968-69 season was discussed in the recent Chief Ministers Conference in the light of the recommendations of the Agricultural Prices Commission. The consensus was to maintain last years prices. However, in the case of two state viz. Mysore, and Maharashtra a slight increase was asked for and agreed to in respect of specified foodgrains.

उत्तर प्रदेश में चावल मिलें

687. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितनी चावल मिलें स्थापित की जा रही है ;

(ख) फैजाबाद डिवीजन में कितनी चावल मिलें स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या सरकार डिवीजन के जिलों की पिछड़ी हुई अर्थ व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस डिवीजन में कम से कम दो चावल मिलें स्थापित करने के बारे में विचार करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) यह मामला विचाराधीन है।

(ख) और (ग) : भारतीय खाद्य निगम के सर्वेक्षण से पता चलता है कि फैजाबाद डिवीजन में पर्याप्त धान नहीं है, जिससे कि चावल मिल की सिफारिश की जा सके। अतः निगम इस डिवीजन में किसी चावल मिल के लगाने पर विचार नहीं कर रहा है।

F. A. O. aid to India for digging of wells

680. **Shri Valmiki Choudhary :**
Shri B. K. Das Choudhury :
Shri D. V. Singh .

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Food and Agriculture Organisation of the United Nations Organisation have made recommendations to the World Bank to give massive aid to India for the scheme of digging wells in a large number ;

(b) if so, the nature of that scheme and the number and places where these wells would be dug under this scheme in each state ; and

(c) the amount of aid likely to be received from the World Bank according to the recommendations of the Food and Agriculture Organisation ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community-Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) and (c): Do not arise,

कुक्कुट टीकों के लिए हिमीकरण शुष्कन (फ्रीज ड्राइंग) मशीने

689. **श्री वे० वि० सिंह** : क्या खाद्य, तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों को सप्लाई करने के लिए कुक्कुट टीकों (पोल्ट्री वैक्सीन) के उत्पादन के लिए हिमीकरण शुष्कन (फ्रीज ड्राइंग) मशीनों का आयात किया है अथवा कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं और कितनी मशीने मंगाई जा रही है ; अब तक कितनी मशीने मंगाई गई हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष केन्द्रीय सरकार को ऐसी मशीनों की सप्लाई करने के लिए निवेदन किया था ;

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या और विशिष्ट विवरण क्या है ; और

(ङ) क्या मध्य प्रदेश सरकार की प्रार्थना को स्वीकार किया गया है अथवा किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिंदे) : (क) जी नही।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) मध्य प्रदेश ने स्पष्टतः कुक्कुट टीकों के लिए हिमीकरण शुष्कन मशीनों की सप्लाई के लिए कोई प्रार्थना नहीं की। फिर भी, भारत सरकार ने रिन्डरपेस्ट वैक्सीन के उत्पादन के लिए हिमीकरण शुष्कन मशीनों तथा फालतू पुर्जों के आयात के लिए 1967-68 के दौरान 3.5 लाख रुपयों तक की विदेशी मुद्रा निर्मुक्त की है। यही मशीन कुछ कुक्कुट टीकों के उत्पादन के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। मध्य प्रदेश सरकार को एक मशीन तथा कुछ फालतू पुर्जों के लिए विदेशी मुद्रा में 85,000 रुपये की एक राशि निर्मुक्त की गई थी।

(घ) प्रमुख तथा सहायक शुष्कन उपस्कर एवं उपकरणों से परिपूर्ण एक हिमीकरण शुष्कन मशीन माडल 30 पी० एस०।

(ङ) प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया है।

मत्स्य-पालन विकास का जोरदार कार्यक्रम

690. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य मध्य प्रदेश में एक विशेष (जोरदार) मत्स्य पालन विकास कार्यक्रम करने के लियें केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना आरम्भ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य 2 बातें क्या है ;

(ग) उसको कार्यान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है तथा उस पर कितना खर्चा हुआ है ;

(घ) क्या राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में भी कोई ऐसी ही अन्य योजना शामिल की जा रही है और यदि हां तो उसका ब्यौरा तथा लागत क्या है ;

(ङ) क्या यह सच है कि इस योजना तथा ऐसी ही दूसरी योजनाओं के लिये मंजूरी तत्सम्बन्धी वित्तिय वर्ष के अन्त में दी जाती है ; और

(च) यदि हां, तो मंजूरी देरी से जारी करने के क्या कारण है तथा मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिये आवश्यक मंजूरी समय पर प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1964-65, 65-66 तथा 66-67 की अवधि में अनेक राज्यों में (जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल हैं) मात्स्यकी के लिये एक विशेष विकास का कार्यक्रम (कैश प्रोग्राम) शुरू किया गया था।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत मतस्य पालन विकास के चुनिन्दा क्षेत्रों के लिये एक निश्चत प्रतिमान में अनुसार केन्द्रीय सहायता देने की व्यवस्था है।

इस योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में निम्न लिखित कार्य शुरू किये गये थे :—

(1) नर्सरी तथा सूखे बांधों का निर्माण :

(1) इस योजना के अन्तर्गत बीज मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिये 125 एकड़ भूमि में नर्सरी के निर्माण, 10 सूखे बांधों के निर्माण तथा

चुनिन्दा प्रजनन हेतु फ्राई व फिंगरलिंगज़ बढ़ाने के लिए 20 मत्स्य पालन तालाबों के निर्माण की व्यवस्था मौजूद है।

(2) पहुंच-मार्गों का निर्माण :

चूंकि मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र निकटतम सड़क से भी काफी दूर पड़ते थे, अतः राज्य सरकार ने 13 मील लम्बे असफालन्ट पहुंच-मार्गों के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(3) गांधी सागर बांध पर बहुद्देश्यीय जलाशय का विकास :

इस योजना के अन्तर्गत छः 30' नाप की यांत्रिक किश्तियां, एक 3 टन की क्षमता के बर्फ के कारखानों के निर्माण तथा अपरेशनल कर्मचारियों के लिये जाल व यन्त्र देने की भी व्यवस्था की गई थी।

(ग) राज्य सरकार ने निम्न लिखित प्रगति की सूचना भेजी है :

(1) (क) 76 एकड़ भूमि में नर्सरियों का निर्माण।

(ख) 10 सूखे बांधों का निर्माण।

(ग) 26 स्टोरेज तालाबों का निर्माण।

(2) डामर की चार मील लम्बी सड़क का निर्माण।

(3) (क) दो मशीनी नावों का क्रम।

(ख) एक बरफ संयन्त्र का क्रम।

राज्य सरकार ने 7.35 लाख रु० व्यय किया, केन्द्रीय सहायता द्वारा पूर्ण रूप से आवरित थे। जो ऋण और अनुदान के रूप में पूर्ण रुप से केन्द्र ने वहन किया।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कंश प्रोग्राम की कोई योजना शुरु करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च): नवम्बर 1964 में पेश किये गये प्रस्तावों पर जनवरी 1965 में ऋण सम्बन्धी स्वीकृती देदी गई थी। यह योजनाएं सन् 1964-65 में आरम्भ की गई थी। 1965-66 की अवधि में क्रियान्वित करने के लिये योजनाओं की स्वीकृति का जून, 1965 में नवीकरण किया गया था। यह नवीकरण इस शर्त पर किया गया था कि योजनायें मार्च 1966 के पहले-पहले पूर्ण की जाये। कार्यक्रम को 1966-67 में जारी रखने का विचार नहीं था। परन्तु पश्चात में इस मामले पर फिर विचार किया गया और पहले से जारी हुये कार्यों को 1966-67 में पूरा करने के लिये मार्च, 1967 में स्वीकृति प्रदान की गई। सामान्यतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर योजनाओं के लिये प्रशासकीय स्वीकृति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

मध्य प्रदेश में बेरोजगार व्यक्ति

692. श्री दे० वि० सिंह : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ तथा अन्त में शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की पृथक-पृथक संख्या क्या थी तथा रोजगार कार्यालय के चालू रजिस्टर के अनुसार उनकी वर्तमान संख्या क्या है ; और

(ख) राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध कराने की सम्भावना है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में कितने शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्ति बेरोजगार रह जायेंगे ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) विवरण समा पटल पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 2107/68]**

(ख) राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना का आकार अभी निश्चित नहीं हुआ है । अतः योजना के दौरान उपलब्ध सम्भावित रोजगार अवसरों की संख्या और बाकी रहे बेरोजगार व्यक्तियों सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती ।

हड़ताल में भाग लेने वाले डाक व तार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

693. **श्री सूरज भान :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामसिंह अयरवाल :
श्री भारतसिंह चौहान :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांकेतिक हडताल के आरम्भ होने से पूर्व, हड़ताल के समय तथा उसके बाद क्रमशः डाक व तार विभाग के कितने कर्मचारी गिरफ्तार किये गये ;

(ख) प्रत्येक सर्किल में डाक व तार के कुल कितने कर्मचारी तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के है और 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में कितने कर्मचारियों ने भाग लिया था ;

(ग) कितने अस्थायी कर्मचारियों को एक महिने का नोटिस दिया गया है और कितने कर्मचारियों को नोटिस के स्थान पर एक महीने का वेतन देकर सेवा मुक्त किया गया है ; और

(घ) 20 सितम्बर से 31 अक्तूबर 1968 तक की अवधि में तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कितने कर्मचारियों को उनके वर्तमान स्टेशन से बाहर स्थानांतरित किया गया है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री, (श्री इं० कु० गुजराल) : (क) सांकेतिक हड़ताल शुरू होने से पूर्व गिरफ्तार हुए डाकतार कर्मचारियों की संख्या 1458 थी, जो कि करीब-करीब निषेधात्मक आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप थी, सांकेतिक हड़ताल के दौरान गिरफ्तार हुए कर्मचारियों की संख्या 955 और सांकेतिक हड़ताल के बाद गिरफ्तार हुए कर्मचारियों की संख्या 939 थी ।

विवरण

सर्कल का नाम	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कुल संख्या	दिनांक 19 सितम्बर, 68 को हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की संख्या
1. आंध्र	21421	7484
2. आसाम		9594
3. बिहार	17691	11663
4. गुजरात	17311	13
5. केरल	13664	9201
6. मद्रास	34012	6355
7. मैसूर	15340	1934
8. महाराष्ट्र	40942	16484
9. मध्य प्रदेश	17511	7279
10. उड़ीसा	8026	3166
11. पंजाब	22020	7792
12. राजस्थान	11116	5267
13. उत्तर प्रदेश	37084	8328
14. पश्चिमी बंगाल	36581	27917
15. दिल्ली	17247	7277

(ख) प्रत्येक सर्कल में डाकतार कर्मचारियों (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी) की कुल संख्या एवं जिन्होंने 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लिया उनकी संख्या उपर्युक्त विवरण में दिखलाई गई है।

(ग) ऐसे अस्थायी कर्मचारियों जिन्हें एक महिने का नोटिस दिया गया तथा ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिन्हें आवश्यक नोटिस के बदले बकाया राशि की अदायगी करके नौकरी से विमुक्त कर दिया गया, क्रमश: 25183 तथा 991 थी।

(घ) ऐसे तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या, जिनका 20 सितम्बर, 68 से 31 अक्तूबर, 68 के बीच उन स्थानों से स्थानान्तरण किया गया जहां वे पदस्थ थे, 240 थी। यह नहीं कहा जा सकता कि ये सभी स्थानान्तरण हड़ताल से सम्बन्धित थे।

पोस्टमास्टर जनरल, अम्बाला का कार्यालय

694. **श्री सूरज भान** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब सर्किल अम्बाला के कार्यालय में तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी हैं ; और

(ख) 19 सितम्बर, 1968 को 9.30 बजे से 10,30 बजे के बीच तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कितने कर्मचारी कार्यालय में आये थे ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री, (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तीसरी श्रेणी 266, चौथी श्रेणी 64 ।

(ख) तीसरी श्रेणी 151, चौथी श्रेणी 49 ।

Violations of Factory Act

695. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to USQ No. 6394 on the 29th August, 1966 regarding Violations of Factory Act and state :

(a) the reasons for which punishment was not awarded to any proprietor or officer of any factory for violation of Factory Act, 1948 and the rules made thereunder during the period from September, 1967 to March, 1968 ;

(b) whether his Ministry have framed any liberal policy for mill owners and managerial personnel who violate the provisions of the Factory Act, 1948 and the rules made there under and if so, since when such policy has been adopted ; and

(c) if not the other considerations due to which proper action has not been taken ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No factory owners and the officials of factories under this Ministry have been prosecuted during the period from September, 1967 to March, 1968, as no violation of the Factory Act, 1948 and the rules framed thereunder was involved.

(b and (c) Do not therefore arise.

Illegal Occupation of Land

696. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to USQ No. 4928 on the 22nd August, 1968 regarding illegal occupation of land and state ;

(a) the reasons for which states other than West Bengal, Uttar Pradesh and Delhi have not furnished the information as asked for in part (a) of the said Question ; and

(b) the reasons for which State-wise and district-wise information has not been furnished as asked for in part (b) of the said question in respect of those individuals who have got cultivable lands registered as ponds, orchards, religious places and charitable trusts and have got such property transferred in their own names ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde):(a)(i) In addition to the States/Union Territories mentioned, Bihar, Goa, Daman and Diu, Pondicherry, Dadra and Nagar Haveli, Laccadiv and Minicoy, and Chandigarh Administrations had also furnished "nil" information in reply to part (a) of Unstarred Question No. 4928 on 22.8.68.

2. The remaining States/U·Ts. have not furnished information as follows :-

1.	Manipur	As the provisions of Chapter XI of Part IV of the Manipur Land Revenue and Land Reforms Act, 1960, relating to cei-

ling on land holding have not yet been enforced, the information is 'Nil'

2. Andaman and Nicobar Islands. No ceiling on land holding in Andamans is applicable in Andamans. Hence the information is "Nil".

Information from Himachal Pradesh and Tripura is still awaited.

(b) The reasons for not furnishing the information are as follows:-

i) West Bengal : Information is still being awaited from State Government.

ii) Uttar Pradesh. No complaints regarding un-authorised occupation of surplus land, or evasion of ceiling Act by registering land under religious and charitable trusts, or by changing individual inheritance have come to the notice of the Government of Uttar Pradesh.

iii) Bihar — The particulars were not known to the State Government of Bihar.

iv) Manipur. — Information is NIL.

v) Himachal Pradesh. — Information awaited.

vi) Tripura. — Information awaited.

vii) Andaman & Nicobar Islands. — Information is Nil.

Information about the other Union Territories have already been given in reply to question No. 4928 on 22nd August, 1968.

Damage of Foodgrains

697 : **Shri Molahu Parsad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 603 on the 22nd August, 1968 regarding damage to foodgrains and state :

(a) the time, quantum of labour and amount of money spent on collecting the information asked for in parts (a) and (b) of the question referred to above; and

(b) the reasons for which the arrangements envisaged five years ago could not be made with a view to protecting grains kept in Government godowns from rates and brids ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) : The statistical information furnished in reply to parts (a) and (b) of Starred Question No. 603 answered on 22nd August, 1968 is collected as a matter of routine and, therefore, no additional time, labour or money was spent in collecting the information specifically for answering that Question.

(b) There is no damage to grains from rats in Government owned godowns. The arrangements as stated in the answer to part (c) of Question No. 603 answered on 22.8.68 have always been made in hired godowns to minimise damage due to rats & birds.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in U. P.

698. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 884 on the 25 July, 1968 and state:

(a) whether the requisite information regarding the Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in U. P. has since been collected from the State Government, and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons for the delay in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) : Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table. **[Placed in Library. see No. L.T. 2108/68]**

Scheduled Castes and Scheduled Tribes M. Ps.

699. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of LAW be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2172 on the 29th February, 196 and to state :

(a) the reasons for which information regarding the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Members in Lok Sabha is not available;

(b) the reasons for which there is no provision for reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes members in Rajya Sabha and Legislative Councils; and

(c) to whom the seats reserved for Scheduled Tribes in Uttar Pradesh, Delhi and Himachal Pradesh and for Scheduled Castes in Manipur are allotted ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem) : (a) The information regarding the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Members, as available in the Lok Sabha Secretariat's publication 'Who's Who', 19 7, is given in Annexure 'A' **[Placed in Library. See No. LT 2109/68]**

(b) The ostensible and obvious reason fot not reserving any seat for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Rajya Sabha and the State Legislative Councils is that there is no specific constitutional provision for such reservations as there is in the case of Lok Sabha and the State Legislative Assemblies, vide articale 330 and article 332 of the Constitution. But the real reason for this non reservation of seats in the Upper Houses is that reservation can be made only in the popular Houses of the Legislatures for the backward sections of the people and not in the federal Upper House, namely, the Council of States because the very principle upon which it is founded in different in nature from the principal upon which is a popular House is fonnded in a federation. A popular House like the Lok Sabha or the State Legislative Assembly is founded upon the principle of popular Government whereas an Upper House of a federal Legislature such as the Council of States is based upon the federal principal, that is to say, the Upper House represents the component units of the union of India, namely, the States. So for as the Upper Houses in some States are concerned (All the States have not bicameral Legislatures), the very mode of composition provided for in article 171 does nit admit of any reservation for any section of the people.

(c) This information is not available either in the Election Commission or in this Ministry.

Closure of Hindustan Vehicles Co. Ltd.

700. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hindustan Vehicles Co. Ltd. at Phulwari Sharif near Patna has been closed due to lay-off of the workers ;

(b) if so, since when the factory has been closed ;

(c) whether the workers have been given salaries for the period of lay-off ;

(d) if so, for how many days; and

(e) the time by which Government propose to disburse arrears of salaries to the workers?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) to (e) : Information has been called for from the State Government and will be laid on the Table of the House.

बिलों का भुगतान न किये जाने के कारण टेलीफोन कनेक्शन का काट दिया जाना

701. श्री रामावतार शास्त्री : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ऐसा नियम है जिसके अन्तर्गत यदि टेलीफोन के मालिक द्वारा टेलीफोन के बिल का 15 दिनों के अन्दर भुगतान नहीं किया जाता, तो टेलीफोन का कनेक्शन काट दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पटना में ऐसे दर्जनों टेलीफोन मालिक हैं जिनसे कि टेलीफोन बिलों की हजारों रुपये की राशि कई वर्षों से बकाया है और जिनके टेलीफोन कनेक्शन अभी भी बने हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनके टेलीफोन कनेक्शन न काटने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री, (श्री इं० कु० गुजराल) : (क) जी हां। वशर्ते कि 15 दिन के भीतर और टेलीफोन पर स्मरण दिला देने पर भी टेलीफोन शुल्क अदा नहीं किया जाए।

(ख) तथा (ग) : कभी-कभी टेलीफोन कनेक्शन, बिलों में यदि कोई गलती रह जाए और उनका भुगतान न हो तो नहीं काटे जाते। ऐसे मामलों में वसूली के लिए पत्र-व्यवहार द्वारा तथा व्यक्तिगत सम्पर्क से और जहां जरूरी हो वहां कानूनी कार्रवाही द्वारा वसूली की कारवाही की जाती है। ऐसे न काटे जाने वाले टेलीफोनों की संख्या अभी उपलब्ध नहीं है।

हड़ताल के कारण डाक तथा तार विभाग के काम पर प्रभाव

702. श्री सीताराम केसरी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की हड़ताल के कारण बड़ी संख्या में डाक तथा तार कर्मचारियों की सेवा समाप्त किये जाने या निलम्बित किये जाने से डाक तथा तार विभाग के काम पर विशेष कर दिल्ली में गम्भीर प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो सेवाओं को पुनः सामान्य रूप से चलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इं० कु० गुजराल) : (क) देश भर में लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों में से ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनको निलम्बित किया गया है या जिनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं, कुल 4976 है। तथापि दिल्ली में नई

दिल्ली के मुख्य डाकघर और दिल्ली रेलडाक व्यवस्था में कुल 8,000 कर्मचारियों में से लगभग 1,400 गिरफ्तार किये गये थे। इससे कर्मचारियों की एकाएक कमी हो गई और डाक सेवाओं को चलाने में थोड़े समय के लिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(ख) इस कमी को पूरा करने के लिए नये उम्मीदवार भर्ती करके काम पर लगाए गए हैं।

सालनपुर कोयला खान में दुर्घटना

703. **श्री सीताराम केसरी :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 सितम्बर, 1968 को धनवाद के निकट नार्थ सालनपुर कोयला खान में खान के धंस जाने के कारण एक दुर्घटना में छः व्यक्ति मर गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोयला खान के मालिक खतरनाक घोषित किये गये क्षेत्रों में अवैध रुप से कोयला निकाल रहे थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या दुर्घटना की कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है ; और

(घ) मृत व्यक्तियों के परिवारों को कितना प्रतिकर दिया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क), (ख) और (ग) : 27 सितम्बर, 1968 को नार्थ सालनपुर कोयला खान में हुई दुर्घटना की जांच खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा की गई। जांच अधिकारी के जांच परिणाम नीचे दिए गए हैं :—

जब कि खान के पार्श्व भाग को आठ खनिक काट रहे है, कोयले आदि का एक बड़ा टुकड़ा जिसकी ऊंचाई 12.6 मीटर, चौड़ाई 6.7 मीटर और मोटाई 1 37 मीटर थी, लगभग 1.8 मीटर की ऊंचाई से पार्श्वभाग से गिर पड़ा, जिसके कारण 6 खनिक दब कर तत्काल मर गए।

विनियमन, 98(1ए) तथा 98 (3) के उपबन्धों के अन्तर्गत अगर खान के पार्श्व ढलवा तथा सीढ़ीदार बने होते तथा सुरक्षा को ध्यान में रख कर एक निश्चित कोण के अनुसार होते या विनियमन 98(5) के उपबन्धों के अनुसार खान को नीचे से काटने की आज्ञा न दी गई होती, या कोयला खान विनियमन 112(5) के उपबन्धों के अनुसार खान के खतरनाक भाग को चारों तरफ से तारों से बन्द किया गया होता, जिससे कोई भी व्यक्ति प्रवेश न कर सकता, तो यह दुर्घटना न होती।

(घ) यह सूचना मिली है कि मृतकों की अंतेष्टि के खर्च के लिए प्रबन्धक की ओर से 150 रु० नकद और वस्तु के रूप में दिए गए है। प्रबन्धक की ओर से मुआवजे की रकम के बारे में विवाद उठाया गया है। उनका यह कहना है कि यह दुर्घटना अवैध रूप से कोयला निकालने के कारण हुई है। किन्तु जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार यह सही नहीं है। अतः यह मामला उपयुक्त अधिकारियों की आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंप दिया गया है।

कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन द्वारा 150 रु० प्रसादेन प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिवार को दिये गए हैं।

विद्यापति की स्मृति में डाक टिकट

704. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मैथिल कवि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री, (श्री इ०० कु० गुजराल) : (क),(ख) तथा (ग): मैथिल कवि विद्यापति के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट काफी समय पहले 17 नवम्बर, 1965 को निकाला गया था।

अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

705. **श्री लोबो प्रभु :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष अनाज तथा दालों की पृथक पृथक निर्यात सहित प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी थी ;

(ख) कानूनी राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में, जहां गैर सरकारी व्यापार पर प्रतिबंध था, अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी थी ;

(ग) कानूनी राशन व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले लोगों तथा उनको होने वाली सप्लाई को निकालने के बाद शेष जनसंख्या को अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी थी ; और

(घ) क्या वयस्कों तथा बच्च की सामान्य आवश्यकताओं का पोषाहार सम्बन्धी काई अध्ययन किया गया है, और यदि हां, तो प्रति व्यक्ति आवश्यकता कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)

	1967 के प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष किलोग्राम में उपलब्धि।
अनाज	13.2
दालें	14.2
कुल खाद्यान्न	144.4

(ख) तथा (ग) : राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों और गैर राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों के लिये अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धि का ब्योरा अलग से प्राप्त नहीं है क्योंकि सभी अनाजों का राशन नहीं है और गैर राशन के अनाजों को गैर सरकारी व्यापारी बेचते हैं।

(घ) भारतीय औषध अनुसंधान संस्थान समय समय पर अध्ययन करता है। उनकी सिफारिश 400 से 650 ग्राम अनाज प्रति वयस्क पुरुष, जिस किस्म का वह कार्य करता है, के अनुसार है।

बढ़ी हुई डाक दरों से आय

706. **श्री लोबो प्रभु** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के पहले छः महीनों तथा गत वर्ष की इसी अवधि में डाक टिकटों की बिक्री से कितनी आय हुई है ;

(ख) गत वर्ष की तुलना में छः महीनों में से 4½ महीनों की बढ़ी हुई दरों से पत्रों की बिक्री आदि से कितनी आय हुई ; और

(ग) गत वर्ष की तुलना में समाचार पत्रों के डाक-भार से चालू वर्ष के प्रथम छः महीनों में कितनी आय हुई ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इं०कु० गुजराल) : (क) चालू वर्ष के पहले 6 महीनों (अर्थात अप्रैल, 1968 से सितम्बर, 68) के दौरान डाक टिकटों की बिक्री से 26.68 करोड़ रुपयों की आमदनी हुई, जबकि 1967 की इसी अवधि में यह आमदनी 22.15 करोड़ रुपये हुई।

(ख) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

बेरोजगार व्यक्ति

707. **श्री लोबो प्रभु** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष रोजगार कार्यालयों में कितने व्यक्तियों के नाम रजिस्टर किये गये और कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया ;

(ख) बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को देखते हुए क्या योजना आयोग का ध्यान चौथी पंचवर्षीय योजना को बेरोजगार व्यक्तियों की श्रेणियों पर आधारित करने की ओर दिलाया गया है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि अनेक बेरोजगार व्यक्ति, भूखे मरने के स्थान पर काम कर रहे श्रमिकों से आधी मजूरी पर काम करने के लिये तैयार हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में कम मजूरी पर नये स्थानों में उन लोगों को रोजगार देने के लिये योजना बनाने का है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) (क) :

रजिस्टर किये गये	39,11,748
रोजगार दिलाया गया	4 30,588

(ख) योजना आयोग को इसकी जानकारी है। चौथी पंचवर्षीय योजना बनाते समय अधिक मात्रा में रोजगार-अवसर जुटाने के उद्देश्य को ध्यान में रखा गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल ही पैदा नहीं होता।

मजूरी बोर्डों तथा न्यायाधिकरणों को स्थापित करने के लिये कसौटी

708. श्री लोबो प्रभु : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मजूरी निर्धारित करने के लिये मजूरी बोर्ड तथा न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए कोई कसौटी बनाई है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मजूरी सामान्य मजूरी ढांचे पर आधारित होनी चाहिये और मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बढ़ने की प्रवृति से 1870 लाख श्रमजीवी वर्ग को बचाने के उपायों की व्यवस्था होनी चाहिए, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक प्रगति पर आधारित कसौटी निर्धारित करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग को अनुदेश दिए हैं कि वह अपनी सिफारिशें देते समय इन पहलुओं को ध्यान में रखे ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : मजूरी बोर्डों के विचारार्थ विषयों के अनुसार उन्हें उचित मजूरी सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट जिसमें ऐसे विचार जैसे श्रमिक उत्पादकता, मजूरी की प्रचलित दरें, राष्ट्रीय आय स्तर तथा उसका वितरण और राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में उद्योग का स्थान शामिल है, में दिये गये उचित मजूरी के सिद्धांतों के आधार पर मजूरी ढांचा बनाना है। इसके अतिरिक्त उन्हें विकासशील अर्थव्यवस्था में उद्योग की आवश्यकताओं और सामाजिक न्याय की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना पड़ता है।

(ग) आयोग को अपने विचारार्थ विषयों के अनुसार श्रमिकों के वेतन स्तर, मजूरी से सम्बन्धित व्यवस्थायें, न्यूनतम मजूरी जिसमें राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी भी सम्मिलित है, निर्धारित करने की आवश्यकता, उत्पादन बढ़ाने के साधन जिसमें श्रमिकों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था शामिल है, का अध्ययन करना तथा रिपोर्ट देनी है। इस बारे में सरकार ने और कोई आदेश जारी नहीं किये है।

देश में नलकूपों का खोदा जाना

709. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1967 से 1968 तक देश में कितने नलकूप खोदे गये तथा कितने नलकूपों के लिये बिजली सप्लाई की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

डाक तथा तार विभाग में चिकित्सा सम्बन्धी व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे

710 **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में डाक तथा तार विभाग के उत्तर प्रदेश सर्किल के एक कर्मचारी को चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति के रूप में 26,000/रुपये दिये गये थे और एक अन्य कर्मचारी डाकिये को इसी मद के अन्तर्गत 8000/रुपये दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार के किसी कर्मचारी को चिकित्सा व्यय दिये जाने के लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित है ; और

(ग) क्या ये इक्के-दुक्के मामले है अथवा डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के चिकित्सा बिलों की राशि प्राय: इतनी अधिक होती है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इं० कु० गुजराल) : (क) जी हां । 1967-68 के दौरान एक क्लर्क को 21,013 रुपये की रकम की प्रतिपूर्ति की गई है और एक डाकिये को 12,120 रुपये की रकम की अदायगी की गई थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) ये इक्के-दुक्के मामले हैं ।

Bungling of votes in Mertha Vidhan Sabha Constituency in Rajasthan

711. **Shri Narain Swarup Sharma** :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Hardayal Devgun :

Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the judgment of the Rajasthan High Court that the Returning Officer of Mertha Vidhan Sabha constituency with the collusion of an ex-Minister of Rajasthan bungled in respect of about 1376 votes ; and

(b) if so, the effective steps taken so far or proposed to be taken to stop such bungling ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M Yunus Saleem) : (a) Yes, Sir.

(b) In the judgment of the High Court of Rajasthan dated 22. 8. 67 in Election Petition No. 1 of 1967–Nathu Ram Mirdha Vs Gordhan Soni and S. D. Arya (the Returning Officer), severe strictures were passed against the Returning Officer. On appeal by the Petitioner, Shri Mirdha, to the Supreme Court, serious irregularities were noticed by the Supreme Court also and the petition was remanded to the High Court for recounting of the ballot papers. After the disposal of the case by the Supreme Court, the Commission had directed that in the Character Roll of the officer the following remarks may be recorded :—

"Unfit to be entrusted with any election work involving responsibility."

The Commission also decided that in future this officer would not be appointed in connection with any election work, and the appointment, if any, held by him as returning officer, assistant returning officer or electoral registration officer should be cancelled forthwith.

In pursuance of the above decision of the Commission, the officer has been relieved of his election duties. The State Government has also informed that Shri Arya who was posted as Additional District Magistrate and Additional Collector, Nagaur, is at present neither Returning Officer, Assistant Returning Officer nor Electoral Registration Officer. He has since been relieved of his duties as Additional District Magistrate and Additional Collector, Nagaur and action is being taken to initiate diseiplinary proceedings against him.

रूसी ट्रेक्टरों का आयात

712. **श्री कृ० गु० देशमुख** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में देश में कितने रूसी ट्रेक्टरों का आयात किया गया था ;

(ख) क्या इन ट्रेक्टरों की बिक्री के समय वास्तविक किसानों के लिए कोई प्राथमिकता निर्धारित की जाती है ; और

(ग) किसानों को इन ट्रेक्टरों के फालतू पुर्जे तथा 'व्हील' टायर सप्लाई करने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिंदे) : (क) 4,500 ।

(ख) ट्रेक्टर किसानों को "जो पहले आये सो पहले पाये" के सिद्धान्त पर सप्लाई किये जाते हैं । ट्रेक्टरों की बिक्री में अलग अलग किसानों को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई ।

(ग) व्हील्ड रूसी ट्रेक्टरों के फालतू पुर्जों के आयात को वर्ष 1967-68 के लिये रोक दिया गया था क्योंकि रूसी सम्भरण कर्त्ताओं ने मूल्यों को असामान्य रूप से बढ़ा दिया था । राज्य व्यापार निगम द्वारा लम्बे पत्र व्यवहार के बाद इस मामले को उनके साथ उठाया गया । 43.1 लाख रुपये की कीमत वाले आयात लाइसेंस विभिन्न व्यापारियों के लिये नियुक्त किए गए । साथ ही 20 लाख रुपये की कीमत के फालतू पुर्जों के आयात के लिए भी बिहार कृषि उद्योग निगम के हक में सिफारिश की गई है । जहां तक टायरों और ट्यूबों का सम्बन्ध है, व्हील्ड रूसी ट्रेक्टरों के लिए विभिन्न साइजों के 1700 टायर के आयात के लिए लाइसेंस रूसी सम्भरण कर्त्ताओं के एजेन्टों के हक में नियुक्त किए गए । इसके अतिरिक्त राज्य व्यापार निगम ने भी किसानों की तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा मैसूर कृषि-उद्योग निगमों के हक में 4,600 टायरों तथा ट्यूबों को रूस से आयात करने का प्रबन्ध किया है ।

दिल्ली दुग्ध योजना

713. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली दुग्ध योजना के कार्य संचालन को असंतोषजनक समझती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसे 1959 से, जबकि यह चालू की गई थी, निरन्तर घाटा हो रहा है, जो कि 1.95 करोड़ रुपए हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कैरा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड, आनन्द के महाप्रबन्धक की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल ने दिल्ली दुग्ध योजना के कुशल कार्यकरण के लिए अपनी सिफारिशें दे दी हैं ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इन सिफारिशों को किस हद तक क्रियान्वित किया गया है ; और

(ङ) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिंदे) : (क) जी नहीं ।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना नगर निगम को एक अनिवार्य सेवा प्रदान कर रही है । हानि का मुख्य कारण दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा खरीदे जाने वाले दूध के ऊंचे भाव तथा उपभोक्ताओं से वसूल होने वाले विक्रय मूल्य के बीच का अन्तर है ।

(ग) जी हां ।

(घ) विशेषज्ञ दल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें तथा उन पर की गई कार्यवाही विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए, संख्या एल० टी० 2110/68]**

(ङ) विशेषज्ञ दल की सिफारिशों को कार्यरूप देने के परिणामस्वरूप योजना के कार्य संचालन में काफी सुधार हुआ है ।

कृषि ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पी० एल० 480 के धन का प्रयोग

714. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पी० एल० 480 में रुपयों में जमा अमरीका की राशि के प्रयोग सम्बन्धी योजना इस समय किस स्थिति में है ;

(ख) यह योजना कब लागू होगी ; और

(ग) इस योजना की क्रियान्विति में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिंदे) : (क) मामला विचाराधीन है। अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) तथा (ग): प्रश्न ही नहीं होते।

भण्डागार क्षमता का निर्माण

715. श्री एम० नारायण रेड्डी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यानों के लिए 30 लाख टन की और भण्डार क्षमता के निर्माण कार्य को, जैसा कि सरकार का प्रस्ताव है, हाथ में लेने की सम्भावनाओं पर विचार किया गया है तथा अन्तिम रूप दिया गया है ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व इसकी किस हद तक क्रियान्विति हो जायेगी ;

(ग) इन गोदामों के निर्माण पर कितना पूंजीगत परिव्यय होगा ; और

(घ) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाण्डागार सुविधाओं के न होने के कारण बहुत सा अनाज़ खराब हो जाता है, इस कार्य को पूरा करने को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिंदे) : (क) सरकार ने अब तक केवल 9.65 लाख मीटरी टन अतिरिक्त क्षमता का निर्माण पूरा कर लिया है, इसमें चौथी योजनावधि के प्रस्ताव जो कि विचाराधीन हैं, शामिल नहीं हैं।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के अन्त से पूर्व 1.80 लाख मीटरी टन क्षमता के पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) 9.65 लाख मीटरी टन क्षमता के निर्माण पर लगभग 15.36 करोड़ रुपये पूंजीगत परिव्यय होने की आशा है।

(घ) मण्डारण में खाद्यानों की बर्बादी नाममात्र है। तथापि, और भण्डारण गोदामों के बनाने की योजना तथा उसकी कार्यान्विति को उच्च अग्रता दी जा रही है।

श्रीलंका को टेलीप्रिन्टरों का निर्यात

716. श्री एम० नारायण रेड्डी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका को 2.4 लाख रुपये के मूल्य के टेलीप्रिंटर सप्लाई करने में, जिनका उसने 1965 में आर्डर दिया था, असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से टेलीप्रिन्टरों का निर्माण बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या भविष्य में निर्माण कार्यक्रम के बारे में कोई उचित समय सीमा रखी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इं० कु० गुजराल) : (क) श्रीलंका द्वारा 2.4 लाख रुपये मूल्य के दूरमुद्रकों (टेलीप्रिण्टरों) की खरीद, भारत और श्रीलंका सरकारों के बीच हुए, 5 करोड़ रुपये के उधार संविदा के अधीन की जानी थी, जिस पर 16 अगस्त, 1967 को हस्ताक्षर हुए। हिन्दुस्तान टेलिप्रिण्टर्स लिमिटेड द्वारा इन दूरमुद्रकों की पूर्ति इस बीच श्रीलंका सरकार को कर दी गई है।

(ख), (ग) और (घ) : आन्तरिक और निर्यात मांगों को पूरा करने के लिये एक नियोजित उत्पादन-कार्यक्रम के अनुसार हिन्दुस्तान टेलिप्रिण्टर्स लिमिटेड की क्षमता में वृद्धि की जा रही है। इस कम्पनी का उत्पादन 1967-68 में 3500 अदद दूरमुद्रक प्रतिवर्ष से बढ़कर 1970-71 तक 8300 अदद दूरमुद्रक प्रतिवर्ष हो जाने की आशा है।

इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज

717. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन टेलिफोन इण्डस्ट्रीज, बंगलोर स्थित कारखाने में निर्मित टेलीफोन उपकरणों की विदेशी बाजारों में बिक्री करने में सफल हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ; और

(ग) 1967 की तुलना में चालू वर्ष 1968 में कितने मूल्य के आर्डर प्राप्त किये गये हैं ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इं० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) अफगानिस्तान, बहरीन, ब्राजील, बेल्जियम, बर्मा, भूटान, लंका, ग्रीस, आयर लैंड, ईरान, ईराक, कीनिया, कुवैत, मलयेशिया, मारिशस, नेपाल, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, पोलैंड, सिंगापुर, सिक्किम, दक्षिणी वियतनाम, सूडान, सीरिया सोमाली-गणराज्य, तांजानिया, थाइलैण्ड, ब्रिटेन, युगांडा, संयुक्त अरब गणराज्य तथा तुर्की।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रेल 1968 से 4 नवम्बर, 1966 तक प्राप्त हुए आदेशों (आर्डरों) का कुल मूल्य 74.55 लाख रुपये है। पिछले वित्तीय वर्ष में अर्थात 1 अप्रेल, 1967 से 31 मार्च, 1968 के बीच प्राप्त हुए आदेशों का कुल मूल्य 98 लाख रुपये था।

गुड़ की कीमतों पर नियन्त्रण

718. **डा० अ० ग० सोनार** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा गुड़ के मूल्यों पर नियन्त्रण न किये जाने के परिणामस्वरूप लगभग 70 प्रतिशत ऐसे व्यक्ति जो गुड़ का उपयोग करते हैं, उन्हें गुड़ को चीनी की अपेक्षा अधिक मूल्यों पर खरीदना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या गुड़ पर नियन्त्रण करने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिंदे) : (क) जी हां, गुड़ के मूल्य पर कोई नियन्त्रण नहीं है । गुड़ का चालू बाजार भाव खुले बाजार में बिक रही चीनी के भाव से अपेक्षाकृत कम है ।

(ख) जी नहीं,

Oil India (Ltd.), Duliajan

719. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a dispute is going on between the Management and the Staff Union of Oil India (Ltd,) Duliajan, Upper Assam ;

(b) wherher it is also a fact that the management is taking action against the staff in contravention of the provisions of the Industrial Truce Code and the Industrial Disputes Act ;

(c) whether it is also a fact that there is no regional language or Hindi Medium school there for the education of the children of employees in Duliajan Branch of the Company ;

(d) whether it is also a fact that all the necessary facilities under the rules are not available to the employees of the company ; and

(e) if so, whether Government would initiate talks with the management of the Company on the subject and consider the demands of the staff Union and ensure their acceptance by them according to the rules ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) to (e) : The information is being collected from the concerned authorities and will be placed on the Table of the House as soon as possible.

Strike in Oil India, Ltd.

720. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently a three day strike was observed in Oil India Ltd. Company Duliajan, Upper Assam;

(b) whether it is also a fact that as a result of the strike the management dismissed 23 officers and employees of the Company ; and

(c) if so, the causes of the strike and the reasons for which the said employees were removed from the service of the Company ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Yes, on January 17-19, 1968.

(b) Yes, but one of the 23 workers was dismissed for reasons not connected with the strike ; one worker has since been reinstated.

(c) To press the management to recognise a union, negotiate with it and accept its demands which were of a general nature and mainly related to service conditions etc. of all the workmen.

They were dismissed from service for inciting workmen to take part in an allegedly illegal strike.

Defective working of Telephone and Telegram Arrangements in Monghyr

*721. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether Government have received receantly any complaint about the defective working of the telephone and telegram communication arrangements in Monghyr;

(b) whether it is a fact that Government had received such complaints earlier also about the defective working of the telephone and telegram services in Monghyr and Patna :

(c) if so, the action taken by Government thereon ; and

(d) whether Government contemplate to take steps to improve the working of the telephone and telegram services in Monghyr and Patna ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The disruption of telecommunication links is mainly due to copper wire thefts between Monghyr and Patna. The Government is taking necessary steps to replace the copper wire with Copper Weld or aluminium wire on priority basis.

(d) Every possible effort is being made by the Government to keep up the efficiency of the telecommunication circuits in Patna-Monghyr region. A teleprinter curcuit has been provided between Monghyr and Patna.

There is also a proposal to instal a 3 channel carrier system between Patna and Monghyr which will provide additional circuits and help in speeding up the trunk traffic. The mannal exchange at Monghyr is also proposed to be canverted into an auto Exchange.

मध्य प्रदेश में नर्मदा बेसिन में भूमि पर खेती

722. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में नर्मदा बेसिन में कितने एकड़ भूमि पर खेती होती है ;

(ख) पिछले 15 वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में नर्मदा बेसिन में बोये गये क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ; और

(ग) पिछले 15 वर्षों में समस्त देश में बोये गये क्षेत्र में औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिंदे) : (क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खोसला समिति को दी गई जानकारी

के अनुसार मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तटीय प्रदेश में कृषि के अन्तर्गत 82.2 लाख एकड़ भूमि थी।

(ख) प्रत्येक तटीय प्रदेश में बुवाई के क्षेत्र का वर्षवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) 1964-65 को समाप्त होने वाले 15 वर्षों की अवधि में (जो ऐसा वर्ष है जिसके बारे में भूमि उपयोग सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध हैं) बुवाई के क्षेत्र में औसतन 1.4 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से वृद्धि हुई है।

नजरबाग कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, लखनऊ

723. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नजर बाग कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, लखनऊ में चल रही असन्तोषजनक स्थिति के बारे में सरकार को बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम या श्रम और नियोजन विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय

724. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी योजना की अवधि में आंध्र प्रदेश में किन-किन स्थानों पर कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय स्थापित करने का है ;

(ख) इन स्थानों को चुनने के लिए क्या कसौटी होगी ;

(ग) इन पर कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(घ) प्रत्येक औषधालय के अन्तर्गत लगभग कितने कर्मचारियों के आने का अनुमान है।

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। आंध्र प्रदेश सरकार की चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित केन्द्रों में जहां औषधालय स्थापित किये जाने की सम्भावना है, योजना को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है :—

स्थान	कर्मचारियों की संख्या
सिमेन्टनगर	550
हिन्दुपुर	650
कोठागुडम्	8,0
मन्चरियाल	650
प्रोदातुर	500
रथादुर्ग	600
श्रीरामनगर	850
विजयपुरी	850
विजयवाडा (बाहरी भाग)	600
यम्मीगानुर	600

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 500 व उससे अधिक बीमा योग्य जनसंख्या वाले सारे केन्द्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। उपरोक्त केन्द्रों में जहां 500 व उससे अधिक बीमा योग्य जनसंख्या है, योजना को क्रियान्वित करना शेष है।

(ग) कच्चे अनुमान के अनुसार बीमा शुदा व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का वार्षिक आवर्ती खर्च लगभग 3.25 लाख रुपये है।

(घ) जैसा कि उपरोक्त (क) में है।

उत्तर प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय

725. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय स्थापित करने का है ;

(ख) इन स्थानों को चुनने के बारे में क्या कसौटी होगी ;

(घ) इन पर कितना खर्च होने का अनुमान है ; और

(घ) प्रत्येक औषधालय के अन्तर्गत लगभग कितने कर्मचारियों की चिकित्सा की जायेगी।

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत डाक्टरी इलाज का प्रशासन राज्य सरकार की सांविधिक जिम्मेदारी है। चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित केन्द्रों पर इस योजना को लागू करने का विचार करती है। इन केन्द्रों पर औषधालय स्थापित किए जाने की सम्भावना है :—

स्थान	कर्मचारियों की संख्या
अकबरपुर (टांडा समेत)	800
बइजोई	500
बगरौली (केन्द्र इलाहाबाद)	2,250
मादोई	900
एतमादपुर	800
फैजाबाद (सोहावल समेत)	800
फतेहगंज	1,400
गोरखपुर	1,650
हल्दवानी	900
हरद्वार	6,350
लोहाता (केन्द्र वाराणसी)	500
मखनपुर	1,100
नजीबाबाद	750
पुरनीगढ़	900
ऋषिकेश	2,650
सरदार नगर	500

एवं चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान ऐसे सभी केन्द्रों में से सरकारी राज्य बीमा योजना क्रियान्वित किए जाने का विचार है जिनमें 500 और अधिक बीमा योग्य व्यक्ति हों। उपर्युक्त ऐसे केन्द्रों में जहां बीमा योग्य आबादी 500 या अधिक है, यह योजना अभी क्रियान्वित करनी है।

(ग) मोटे अनुमान के तौर पर बीमाशुदा व्यक्तियों और उनके परिवारों को डाक्टरी इलाज की व्यवस्था करने पर वार्षिक आवर्ती खर्च 11 लाख रुपये होने की सम्भावना है।

(घ) जैसा कि ऊपर (क) में है।

राज्यों की चीनी की आवश्यकताएं

726. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा राज्यों को पृथक पृथक कुल कितनी मात्रा में चीनी की आवश्यकता होगी ;

(ख) उन राज्यों में चल रही चीनी मिलों के क्या नाम हैं और उक्त अवधि के दौरान उन्होंने कितने समय तक काम किया और उन्होंने कितनी मात्रा में चीनी का उत्पादन किया ; और

(ग) 1967-68 के दौरान इन राज्यों ने पृथक-पृथक कुल कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिंदे) : (क) राज्यों को नियन्त्रित चीनी उपलब्धि के अनुसार आवन्टित की जाती है। तथापि, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा राज्यों द्वारा अपेक्षित चीनी का मासिक कोटा इस प्रकार था :—

	सूचित करने की तारीख	अपेक्षित मासिक कोटा (मी० टन)
उत्तर प्रदेश	13-3-68	15,603
	8-8-68	21,000
बिहार	1-3-68	6,832
हरियाणा	13-6-68	3,294

(ख) उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा राज्यों में चीनी मिलों के नाम, उनके कार्य शुरू तथा बन्द करने की तारीख और 1967-68 में उनकी उत्पादित चीनी की मात्रा बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2111/68**]

(ग) इन राज्यों से भारत से बाहर चीनी का निर्यात नहीं किया गया था। इन राज्यों से अक्तूबर, 1967 से सितम्बर, 1968 तक की अवधि में अन्य राज्यों को चीनी की भेजी गई मात्रा इस प्रकार थी—

	(लाख मीटरी टन में)
उत्तर प्रदेश से	5.83
बिहार से	0.62
हरियाणा से	0.20

Kaushalpuri Farm, Achhalda, Etawah

727. **Shri Ram Gopal Shalwale** ; Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5' 90 on the 22nd August, 1968 and state :

(a) whether State Government had issued any order to the then District Officers to forcibly take into possession the Kaushalpuri farm near Achhalda (Etawah) established by landless Harijans in 1949-50 and to send the members and manager of the society to Jail and to confiscate the property ;

(b) if so, whether a copy of the order would be laid on the Table ;

(c) the number of cases filed by officers against the members and manager of the Kaushalpuri Societiy, the amount spent by State Government thereon and whether the expenditure was duly authorised ; and

(d) whether any action has been taken against the officers concerned in view of the strictures passed by the courts against them

The Minister of State in the Ministry of Food. Agriculture. Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Expenditure on Communication messages by District authorities of Etawah

*728. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Communication** be pleased to state :

(a) the number of trunk calls, telegrams and wireless messages booked by the District Magistrate and Superintendent of Police Etawah for Lucknow from the 2nd September to the 14th September. 1968 and the names of the places and officers to whom they were addressed ;

(b) the number of trunk calls, telegrams and wireless messages received by the officers mentioned in Part (a) above from the Home Secretary, Chief Secretary and Inspector General Police, Lucknow ; and

(c) the total expenditure incurred thereon ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c) : In view of Section 26 of the Indian Telegraph Act, it would not be in public interest to place the information before the Sabha.

Reservation of Class II and III Posts for Persons Belonging to Scheduled Caste in the Employees State Insurance Corporation

729. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3208 on the 7th March, 1968 and state :

(a) the reasons for not filling up 4 class II posts and 212 class III posts reserved for Scheduled Caste candidates which have been lying vacant in the Regional Office of Employees State Insurance Corporation ;

(b) whether Government are aware that the officers of the Corporation have indulged in favourtism and nepotisms in the matter of appointments against the said posts ; and

(c) if so, the reasons for not instituting an enquiry into this malpractice, so far ; and

(d) the time by which Scheduled Caste candidates would be appointed against the said posts ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Non-availability of suitable qualified candidates belonging to the Scheduled Castes.

(b) There is little room for favourtism and nepotism in the matter since recruitment to Class II posts in the Corporation is made through the Union Public Service Commission while selection for most of the class III posts follows written tests.

(c) Doet not arise.

(d) As and when suitable qualified candidatets belonging to the Scheduled Castes are available.

विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार

730. **श्री को० सूर्य नारायण :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1968 तक किन-किन राज्यों ने भूमि सुधार लागू किये थे और प्रति व्यक्ति भूमि की अधिकतम सीमा क्या निर्धारित की गई थी तथा प्रत्येक राज्य सरकार ने निर्धारित सीमा से अधिक कितनी भूमि अपने अधिकार में लेकर भूमिहीन निर्धन लोगों में अब तक बांटी है ।

(ख) क्या इन राज्य सरकारों ने उन किसानों की कोई संयुक्त सहकारी, सामूहिक समितियां बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या है

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिंदे) : (क) राज्य सरकारों ने भूमि सुधार के लिये बहुत से उपाय अपनाये हैं जो कि संक्षेप में नीचे वर्णित है :--

1. कुछ राज्यों में एक थोड़ी सी छोटी भूमि-धृतियां जैसे धार्मिक और दान देने योग्य इनामों को छोड़कर मध्यवर्ती भूमि-धृतियां जैसे जमींदारी, जागीर और इनाम समस्त राज्यों में क्रियात्मक रूप से समाप्त कर दी गई हैं ।

2. असम (अधियारों के विषय में) हरियाणा, पंजाब, मद्रास, पश्चिमी बंगाल (बरगरदारों के विषय में) को छोडकर जहां पर भूमि स्वामी द्वारा पुनर्ग्रहण का अधिकार अभी भी जारी है, सब राज्यों में काश्तकारों को पट्टा-स्थिरता प्रदान कर दी गई है । आंध्र प्रदेश, बिहार जहा विशद विधान नहीं बनाये गये हैं, बेदखलियां जारी हैं ।

3. सभी राज्यों में लगानों का विनियमन किया गया है, तथापि आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मद्रास, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, (बरगरदारों के विषय में) और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों के सांविधिक लगान अब भी अधिक हैं ।

4. अनेक राज्यों में काश्तकारों को भू-स्वामी बनाने के लिए व्यवस्था की गई है । इसके परिणामस्वरूप 30 लाख काश्तकार तथा बटाई पर खेती करने वाले 70 लाख एकड़ से अधिक भूमि के स्वामी बन गये हैं ।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	काश्तकारों की संख्या (हजारों में)	क्षेत्र जिसका स्वामित्व दिया गया है। (हजार एकड़ों में)
गुजरात	462	1408
मध्य प्रदेश	420	—
महाराष्ट्र	740	2138

पंजाब	22	147
राजस्थान	199	944
उत्तर प्रदेश	1500	2000
पश्चिम बंगाल	--	800
तेलंगाना क्षेत्र	33	202
दिल्ली	29	39
हिमाचल प्रदेश	24	28
त्रिपुरा	10	12

5. भूमि की जोतों की अधिकतम सीमा निश्चित करने के लिए लगभग सारे राज्यों में कानून बनाये गये हैं। जोतों की अधिकतम सीमा सम्बन्धी उपबन्ध प्रत्येक राज्य में और यहां तक कि उसी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में और भूमि की विभिन्न श्रेणियों के विषय में भी भिन्न हैं।

राज्य का नाम	वर्तमान जोतों पर अधिकतम सीमा का स्तर
आंध्र प्रदेश	27-324 एकड़
असम	50 ,,
बिहार	20-60 ,,
गुजरात	19-132 ,,
जम्मू एवं काश्मीर	$22\frac{3}{4}$,,
केरल	15-36 ,,
मध्य प्रदेश	25-75 ,,
मद्रास	24-120 ,,
महाराष्ट्र	18.120 ,,
मैसूर	27-216 ,,
उड़ीसा	20-80 ,,
पंजाब	30 स्टेण्डर्ड एकड़
राजस्थान	22-336 एकड़
उत्तर प्रदेश	40-80 ,,
पश्चिम बंगाल	25 ,,
दिल्ली	24-60 ,,
हिमाचल प्रदेश	30 स्टेण्डर्ड एकड़
मनीपुर	25 एकड़
त्रिपुरा	25-75 ,,

विभिन्न राज्यों में वितरित फालतू भूमि का नीचे उल्लेख दिया गया है :–

राज्य/संघ क्षेत्र	फालतू क्षेत्र एकड़	वितरित क्षेत्र
आंध्र प्रदेश	73692	....
असम	67934	466
गुजरात	41030	6267
हरियाणा	182250	54981
जम्मू एवं कश्मीर	450000	450000
मध्य प्रदेश	75581	12114
मद्रास	24469	17412
महाराष्ट्र	246619	87141
पंजाब	191527	60333
उत्तर प्रदेश	233939	117744
पश्चिम बंगाल	794410	182338
हिमाचल प्रदेश	6525	292
त्रिपुरा	42	....

(ख) और (ग) : जोतों पर अधिकतम सीमा को लागू करने के लिये विभिन्न राज्यों में निर्मित कानूनों एवं उनके अन्तर्गत बने नियमों में सहकारी फार्मिंग सोसाइटीज को भूमि बांटन में अधिमान देने के लिये, उपबन्ध बना दिया गया है ।

केरल में बेरोजगार बीड़ी कर्मचारी

731. **श्री ई० के० नायनार :**
श्री प० गोपालन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बीड़ी उद्योग के केरल से मैसूर, मद्रास तथा अन्य निकटवर्ती राज्यों में ले जाये जाने के परिणामस्वरूप केरल में और विशेषकर कन्नानोर जिले में अक्टूबर, 1968 में हजारों बीड़ी कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं ;

(ख) इन बेरोजगार व्यक्तियों को सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि मैसूर तथा मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार के बीड़ी सिगार कर्मचारी अधिनियम को क्रियान्वित नहीं किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने बीड़ी सिगार कर्मचारी अधिनियम के उपबन्धों को सभी राज्यों में क्रियान्वित करने के लिये कोई उचित कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) राज्य से उद्योग के सम्भाव्य स्थानान्तरण के कारण केरल के बीड़ी श्रमिकों में आशंकित बेरोजगारी के बारे में सूचनाएं प्राप्त हुई ।

(ख) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा बीड़ी और सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966, मद्रास में 1 सितम्बर, 1968 से लागू किया गया । मैसूर में, मैसूर बीड़ी औद्योगिक कारखाना (कार्य की शर्तों के विनियमन) अधिनियम, 1964,1 जून, 1967 से लागू है । परन्तु राज्य सरकार ने केन्द्रीय अधिनियम को चालू करने का निर्णय किया है तथा नियमावली का आवश्यक मसौदा टिप्पणियों के लिए पहिले ही प्रकाशित कर लिया है ।

(घ) अधिनियम की धारा 1 (3) के अन्तर्गत केवल राज्य सरकारों को ही यह अधिकार प्राप्त है कि वे इसे ऐसी तारीखों से लागू करें जो उनके द्वारा निश्चित की जाएं ।

Area of land under Gram Samaj Co-operative Societies and Forest Department in U. P.

732. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to reffer to the reply given to Unstarred Question No. 4873 on the 22nd August, 1968 and state :

(a) whether information in regard to the land under the control of Gram Samaj, Co-operative Societies and Forest Department has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, why ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperatoin (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The information since collected is given below :

The Government of Uttar Pradesh has reported that the area of land under Control of the Forest Department etc. is as under :

(i)	Forest Department	99,16,691 acres.
(ii)	Gaon Sabhas (Gram Samaj)	17,00,000 (Approximately)
(iii)	Cooperatives Socities.	The information is not available at the State Headquarters.
(iv)	Area lying barren :	26,31,000 acres.

An area of 3,57,655 acres has been allotted to landless persons including ex-Servicemen, by Gaon Sabha in 48 Districts of Uttar Pradesh during the 3 years 1963-64 to 1965-66. Gaon Sabha lands do not exist in the 6 hill districts of Almora, Garhwal. Tehri-Garhawal, Chamoli, Pithorgarh and Uttar Kashi.

(c) Does not arise.

Allotment of Land to landless Labourers of Shergarh and Nauhjhil in Mathura District

733. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleas to state :

(a) whether Government are allotting forest land and the land which was brought under consolidation to landless labourers and other people of Shergarh and Naubjhil in Mathura District of U. P, and if so, the basis thereof ;

(b) whether land has been allotted or is proposed to be allotted to Harijans, backward classes and ex-servicemen in the said area ;

(c) whether it is also a fact that power for allotting the said land has been delegated to Gram Pradhans who indulge in malpractices and nepotism in allotment of said land ; and

(d) if so, the action taken by Government for checking these malpractices ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture. Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The information is being collected from the Government of U. P. and will be placed on the table of the Lok Sabhaas soon as possible.

(b), (c) and (d) : Lands which vest in Gram Sabha in accordance with the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 are allotted to landless agricultural labourers and others in accordance with the provisions of Section 198 of the Act and rules made thereunder. Persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and ex-servicemen are given preference in allotment of land under the rules. With a view to preventing irregularities in allotment of such lands by the Land Management Committees of the Gram Sabha, a provision has been made by the President's Act 17 of 1968 for verification of such allotments by Revenue Authorities.

जापान से चावल का आयात

734. **श्री ई० के० नायनार** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस प्रेस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि जापान न बिके चावल के जमा भारी स्टाक के बारे में बहुत चिंतित है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत के चावल की कमी वाले राज्यों के लिये जापान से चावल आयात करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : चावल के आयात की व्यवस्था करते समय जापान से चावल उपलब्ध करने की बात को ध्यान में रखा जाएगा बशर्ते, उसका मूल्य प्रतियोगिता मूलक हो ।

मैसूर के जंगलों में रिंडरपेस्ट (पशु प्लेग) की महामारी

735. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है और यदि हां, तो कहां तक कि रिंडरपेस्ट (पशु प्लेग) के कारण "बिसन" तथा "सांभर" की संख्या लगभग समाप्त हो गई है, जैसा कि 1 अक्टूबर, 1968 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित एक समाचार में कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

(ग) क्या शिकार सम्बन्धी कार्यवाहियों में अफ्रिका में उपयोगी प्रमाणित हुई नींद लाने वाले तीरों के आयात की अनुमति न देने से, आयात में लगने वाली विदेशी मुद्रा की तुलना में कई गुनी हानि हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आसाम में अनाज की कमी

736. **श्री हेम बरुआ** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि आसाम को जाने वाली रेल गाड़ियों के बन्द हो जाने तथा उत्तर बंगाल में बाढ़ों के कारण आसाम में अनाज की भारी कमी हो गई है और उपलब्ध अनाज मूल्यों में असामान्य वृद्धि हुई है, और

(ख) यदि हां, तो इन परिस्थितियों में आसाम में कीमतों को सन्तुलित रखने और मूल्य वृद्धि पर नियन्त्रण रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिंदे) : (क) और (ख) : यद्यपि सप्लाई में कुछ स्थानीय विघ्न पड़ा है, लेकिन व्यापक रूप से कोई गम्भीर कमी अथवा मूल्यों में असाधारण बढ़ोत्तरी नहीं हुई है । राज्य सरकार ने अपने स्थानीय अधिकारियों को निदेश दिया है कि वे अत्यावश्यक वस्तुओं के स्टाक का अनुमान लगाएं उसे सुरक्षित रखें और स्टाक स्थिति के अनुसार उपभोक्ताओं को उसकी बिक्री करें । उन्होंने सिलीगुड़ी में जब तक रुके हुए बैगनों को नहीं नौका से असम नहीं भेजा जाता तब तक के लिए उसकी देख-भाल करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया है ।

Ban on Strike in Public Undertakings

737. **Shri Ram Avatar Sharma :**
Shri Hem Raj :
Shri Y. A. Prasad :

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a statement made by the Secratary of the Department of Labour and Employment in I. L. O. seminar in Jamshedpur in which he has suggested that the employees working in the public sector should not have the right to go on strike ;

(b) whether Government contemplate to accept this suggestion ; and

(c) if so, whether Government have under consideration any scheme to ban strikes in the private sector also ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) A statement giving a relevent extract from the Labour Secretary's inaugural address at the seminar is laid on the Table of the House. **[Placed in Library, See No. LT 2112/68]**

(b) No proposal is under consideration at present for imposing a ban on strikes in public undertakings beyond the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 and of the Essential Services Maintenance Ordinance, 1968, under which strikes can be banned under certain circumstances.

(c) The question does not arise.

अनाज का मंडी में पहुँचना

738, **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य खाद्यानों जैसे गेहूं, चांवल और ज्वार की मंडी में पहुंचने में निश्चित तौर पर कमी होने का पता लगा है;

(ख) इस बारे में मुख्य अनाज केन्द्रों में क्या प्रवृत्ति हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रवृत्ति के कारणों के बारे में पता लगाने का प्रयास किया है; और

(घ) इस प्रवृत्ति के कारण निकट भविष्य में अनाज के मूल्य कहां तक बढ़ जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क), (ख) और (ग): जी नहीं । इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में मंडियो में आमद अपेक्षाकृत अधिक हुई हैं । जहां तक ज्वार का सम्बन्ध है, पूर्व के सीजन की तुलना में अक्टूबर, 1967 से सितम्बर, 1968 की अवधि में गिरावट आयी थी । तथापि ज्वार खरीफ की एक फसल है और उसका विपणन सीजन अभी शुरू हुआ है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आस्ट्रेलिया से गेहूं

739. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया की सरकार भारत को 70,000 टन गेहूँ उपहार रूप में दे रही है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार देश में बाढ़ और सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को गेहूँ की विशेष सप्लाई करने का है, और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) जी हां। आस्ट्रेलिया सरकार ने अनुदान के रूप में भारत को 70,000 मीटरी टन गेहूँ आस्ट्रेलिया की बन्दरगाहों तक निष्प्रभार देना मान लिया है।

(ख) जी नहीं। यह गेहूं केन्द्रीय स्टाक में जाएगा जहां से कमी वाले राज्यों तथा बाढ़ और सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को आवंटन किया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) राज्यों को मासिक आवंटन करते समय बाढ़ तथा सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को सदैव ध्यान में रखा जाता है, भले ही उपहार गेहूँ उपलब्ध हो या न हो।

भूमिहीन तथा खेती हर मजदूरों की आवश्यकता पर आधारित मजूरी

740 श्री जे० मुहम्मद इमाम : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिहीन और खेतीहर मजदूरों के लिये आवश्यकता पर आधारित मजूरी के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली उपलब्धियों की तुलना में यह कितनी है; और

(ग) क्या उनको दी जाने वाली मजूरी और वेतन का देश की राष्ट्रीय आय से कोई सम्बन्ध है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खेतीहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की जाती है। राज्य सरकार विभिन्न बातों को ध्यान में रखती है।

विधायकों की गोष्ठी

741 श्री हेमराज : क्या संसद-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने अक्टूबर में शिमले में एक विधायकों की गोष्ठी का उद्घाटन किया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें मुख्यतया किन-किन विषयों पर चर्चा की गई तथा उसमें क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) क्या उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

संसद-कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभगसिंह) (क) जी हां। इस विचार गोष्ठी का आयोजन संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान द्वारा किया गया था।

(ख) और (ग) संस्थान द्वारा प्रस्तुत 'कार्यक्रम' तथा 'गोष्ठी में भाग लेने वालों में परिचालित पत्रों' की पांच पांच प्रतिलिपियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गई है ।

मंदसौर के स्लेट पेंसिल निर्माण कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी

742. **डा० सुशीला नैय्यर :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मंदसौर में स्लेट पेंसिल बनाने वाले कारखानों की संख्या क्या है;

(ख) प्रत्येक कारखाने में कितने कर्मचारी काम करते हैं; और

(ग) वहां गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष कितने मजदूरों की क्षयरोग के कारण मृत्यु हुई?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

Wage Board for Hotels

743. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Wage Board for Hotels and Resturants which was appointed by the Delhi Administration has made its recommendations and whether these recommendations have been accepted by the Delhi Administration; and

(b) if so, the nature of these reecommendations and the time by which they would be implemented ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) The recommendations relate to wage structure, wage benefits, levy of service charges, gratuity, creation of welfare fund etc. The recommendations are not statutory. The Labour Department of the Delhi Administration has taken up the matter with the respresentatives of employers and emplo ees and it is expected that implementation will start in the near future.

भगतसिंह के सम्मान में स्मृति टिकट

744, **श्री हेम बरुआ :**
श्री बालमीकि चौधरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी शासकों से भारत को स्वतन्त्र कराने के लिए भगत सिंह द्वारा किये गये भारी त्याग की स्मृति में सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि टिकट में छपी भगतसिंह की फोटो में कुछ अपूर्णतायें होने के कारण टिकट को वापिस लेने की मांग की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो वे अपूर्णतायें क्या थीं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इं० कु० गुजराल) : (क) जी हां, 19 अक्टूबर 1968 को

(ख) जी नहीं, लेकिन कुछ संगठनों द्वारा टिकट को वापिस लेने की इस कारण मांग थी कि टिकट पर भगतसिंह का चित्र बिना दाढ़ी और पगड़ी के चित्रित किया गया था।

(ग) टिकट में कोई अपूर्णता नहीं थी, क्योंकि इस पर भगतसिंह को बिना दाढ़ी और टोप पहने हुए एक क्रांतिकारी के रूप में चित्रित किया गया है, और उनका यही स्वरूप अत्यधिक लोक प्रिय है।

साहित्यार्थी एल० एन० बेजबरुआ की जन्म शताब्दी पर स्मृति टिकट

745 **श्री हेम बरुआ** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम साहित्य सभा द्वारा आयोजित साहित्यार्थी एल० एन० बेजबरुआ की जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर एक स्मृति डाक टिकट जारी किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि बेजबरुआ के नाम की स्पेलिंग में कुछ अशुद्धियां आ गई थी और आसाम में कुछ डाकखानों द्वारा जारी किये गये निरसन-पत्र में बेजबरुआ के स्थान पर गगेन्द्र नाथ गोर का नाम लिखा था; यदि हां, तो निरसन-पत्र में यह गलती किस प्रकार रह गई थी;

(ग) क्या इसकी जांच करा ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री, (श्री इं० कु० गुजराल) : (क) जी हां, 5 अक्टूबर, 1968 को।

(ख), (ग) तथा (घ): पहले दिन के लिफाफों पर डाक टिकटों को रद्द करने के लिए भारत में शिलांग सहित सभी डाक टिकट संकलन केन्द्रों को एक विशेष निरसन-टिकट जारी किया गया था जिस पर 'लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ' लिखा था। शिलांग के डाक टिकट संकलन केन्द्र द्वारा पहले दिन के लगभग 100 लिफाफे 17 सितम्बर, 1968 को गगनेन्द्रनाथ ठाकुर के सम्मान में जारी किये गये स्मारक डाक टिकट को रद्द करने के लिए दिये गये निरसन-टिकट से गलती से रद्द कर दिये गये। इस प्रकार गलती से रद्द किये पहले दिन के लिफाफे 5 अक्तूबर, 1968 को गोहाटी डाकघर द्वारा गलती से जनता को बेचे गये। ज्यों ही इस गलती का पता चला, इस प्रकार जारी किये गये सभी पहले दिन के लिफाफों के जनता द्वारा पेश किये गये जाने पर उनके बदले में सही लिफाफे देने के लिए अनुदेश जारी किये गये और जनता को समाचारपत्रों द्वारा इस आशय की सूचना भी दे दी गई। डाक तार विभाग इस गलती पर उचित कार्रवाई कर रहा है।

नारियल, सुपारी और इमारती लकड़ी का वितरण

746. **श्री जो० ना० हजारिका** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्पादकों को सहकारिता तथा अन्य तरीकों से नारियल, सुपारी और इमारती लकड़ी के विपणन की विशेष सुविधाएं दी गई हैं; और

(ख) क्या छोटे उत्पादकों की स्थिति में सुधार करने के लिए किसी प्रभावकारी सहयोग प्रणाली का आश्वासन दिया गया है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सकाहर मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) (क) तथा (ख) : जी हां। छोटे उत्पादकों को उनकी सहकारी समितियों के माध्यम से वित्तीय तथा तकनीकी सहायता के रूप में नारियल तथा सुपारी के विपणन / विधायन की विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। वित्तीय सहायता नारियल तथा सुपारी उत्पादकों की सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय उपदान, अंश पूंजी तथा ऋणों के रूप में दी जाती है। इस समय 34 सहकारी समितियां नारियल का और 26 सुपारी का विपणन। विधायन करती हैं।

जहां तक इमारती लकड़ी का सम्बन्ध है, वन श्रमिक सहकारी समितियों को वन ठेकेदारों का स्थान लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सहकारी समितियों को भी अंश पूंजी, प्रबन्धकीय उपदान और अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।

अनाज के मूल्य में गिरावट

747. **श्री जो० ना० हजारिका** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कुछ भागों जैसे पंजाब, हरयाणा में अनाज के मूल्यों में आशय से अधिक गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण व्यापारियों द्वारा जमा किया हुआ स्टाक मंडी में ले आना है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि पिछले वर्ष अनाज के जमा करने वालों के विरूद्ध प्रभावकारी कार्यवाही की गई होती तो खाद्य स्थिति इतनी शोचनीय नहीं होती ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहब शिन्दे) : (क) और (ख) : पंजाब और हरियाना सहित देश भर में खाद्यानों के मूल्यों में जो मौजूदा गिरावट आई है उसका कारण बहुत कुछ हद तक मौसमी प्रभाव और मंडी में नयी खरीफ की फसल की आमद है।

(ग) गत वर्ष देश की खाद्य स्थिति देश के बहुत से भागों में सूखे की स्थिति होने के कारण उत्पादन में कमी होने के नाते बहुत ही कठिन थी।

Harijan Voters in U. P.

+748. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Harijan voters in villages connected with Abhuva, Karhuli, Pidaran, Shamshudinpur, Bhadehdu, Umarhani, Sartha, Nilathu, Palhari polling

centres in Baberu Assembly constituency, district Banda (U. P.) were prevented from casting their votes during the 1967 General Elections;

(b) whether it is also a fact that complaints were made in this regard to Polling officers at District and State level;

(c) whether it is also a fact that a petition was filed by the Harijan candidate about the undue pressure exerted on the Harijan voters and recounting of votes in regard to election to Assembly seat from this constituency; and

(d) if so, the steps taken to ensure that such injustice is not done in the said area during the mid-term elections ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem) : (a), (b), (c) and (d) : An election patition has been filed by Shri Durjan, calling in question the election of Shri Desh Raj Singh from Baberu Assembly Constituency in Uttar Pradesh in the election held in February, 1997 and the same is pending before the High Court at Allahabad. The question, therefore, attracts the provisions contained in clause (xvii) of rule 41 (2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

Parasram Pond in District Banda

749 Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether there is a big Parasram pond in Khasra No. 1855, district Banda U.P. which contains water all the year round;

(b) whether a part of the embankment of Parasram pond lies in Khasra No. 1856 in District Banda;

(c) whether there is a big colony of harijans, dyers and other poor people living by the side of the said pond and whether they and their cattle and hundred of washerman depend on this pond;

(d) whether it is a fact that this pond has been allotted for irrigation purposes to an individual who has demolished the embankment and the water is flowing out regarding which a complaint has been made by the villagers; and

(e) if so, what action is being taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (e) : The information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों से प्लाटों के आवंटन पर पंजीयन शुल्क लिया जाना

750 **श्री प्र० रं० ठाकुर:**
श्री शिद्धय्या :

क्या श्रम, तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिल्ली में विभिन्न पुनर्वास बस्तियों में आवासी मकानों के प्लाटों के आवंटन हेतु पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों से उन्हें प्लाटों का कब्जा देते समय, अलाटियों से सामान्य दर पर कोई पंजीयन-शुल्क नहीं लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कालकाजी के निकट प्रस्तावित पुनर्वास बस्ती में पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के प्लाट देने के मामले में भी उसी नीति का पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इस भेद-भाव के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के साथ किये गये कई प्रकार के भेद-भाव पूर्ण व्यवहार के बारे में पुनर्वलोकन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) (क) जी नहीं।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

752. श्री सिद्धय्या : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायलय अथवा देश के उच्च न्यायालयों में दायर किये गये किन्हीं ऐसे विशिष्ट मामलों की जानकारी है, जिनमें न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में संविधान के अधीन व्यक्तियों को प्रत्याभूत मूल अधिकारों के संदर्भ में गोपनीय चरित्र पंजी (कांफीडेन्शियल रिपोर्टस) के प्ररूप ये कार्य निष्पादन के वर्गीकरण तथा उपयुक्तता के मूल्यांकन की वर्तमान प्रक्रिया की उपयुक्तता के बारे में चर्चा या टिप्पणी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों तथा उनमें दिये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में सुसंगत नियम बनाते तथा उनको पुनरीक्षित करते समय सरकार ने अब तक इस आधारभूत प्रश्न पर विचार किया है ?

विधि मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमि उच्चतम सीमा विधान की सफलतायें

753 श्री सिद्धय्या : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिये कोई ऐसा विशिष्ट अध्ययन अथवा सर्वेक्षण किया गया है कि भूमि की उच्चतम सीमा विधान से विभिन्न राज्यों में भूस्वामियों के एकाधिकार को समाप्त करने में कितनी सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या मुख्य-मुख्य परिणाम निकले हैं;

(ग) उच्चतम विधान को क्रियान्वित करने से अब तक प्रत्येक राज्य में कुल कितनी भूमि फालतू घोषित की गई है; और

(घ) प्रत्येक राज्य में इस में से कितनी भूमि वितरित की गई है और कितने प्रतिशत भूमि भूमिहीन श्रमिकों को दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख): सेवनटीन्थ राउन्ड आफ नेशनल सेम्पिल सर्वे, 1953-54 और 1959-61 के मध्य के कृषिय जोतों के आकार एवं वितरण की तुलना करने वाला डाटा उपलब्ध करता है। यह स्पष्ट करता है कि यद्यपि वितरण की विषमता में कुछ ह्रास हुआ था, समस्त चित्र प्रशसंनीय सीमा तक नहीं बदला है।

जोत का आकार (एकड़)	कृषिय जोतें			
	आठवां चक्र		सत्रहवां चक्र	
	संख्या	क्षेत्र	संख्या	क्षेत्र
नीचे 0.50	11.71	0.30	8.55	0.38
,, 1.00	19.72	1.07	17.13	1.27
,, 2.50	39.14	5.43	39.07	6.86
,, 5.00	60.00	15.44	61.69	19.18
,, 7.50	72.17	25.24	74.59	22.91
,, 10.00	79.73	34.06	81.49	39 88
,, 20.00	91.81	56.53	93.19	63.66
,, 30.00	95.73	69.19	96.79	76.35
सब आकार	100.00	100.00	100.00	100.00

क्योंकि उच्चतम सीमा कानूनों के सघात को, अनेक राज्यों में, केवल 1961 के बाद ही अनुभव किया गया है, समस्त ढाँचे में और भी सुधार हुआ होगा।

(ग) और (घ) :

राज्य / संघ क्षेत्र	फालतू क्षेत्र (एकड़)	वितरित क्षेत्र (एकड़)	प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	73692	....	....
आसाम	67934	466	0.69
गुजरात	41030	6267	15.27
हरियाणा	182250	54981	30.20
जम्मू और काश्मीर	450000	450000	100.00
मध्य प्रदेश	75581	12114	16.02

मद्रास	24469	17412	71.15
महाराष्ट्र	246619	87141	35.33
पंजाब	191527	60333	31.50
उत्तर प्रदेश	233939	117744	50 33
वेस्ट बंगाल	794410	182328	22.95
हिमाचल प्रदेश	6525	292	4.47
त्रिपुरा	42	....	....

भूमिहीन कृषि श्रमिकों की संख्या जो फालतू भूमि के वितरण से लाभान्वित हुये हैं, उप लब्ध नहीं है। 1961 की गणना के अनुसार कृषि श्रमिकों की कुल संख्या 315 लाख है। मोटे तौर से 2.5 एकड़ प्रति परिवार के आधार पर फालतू भूमि के वितरण से अब तक लग भग 5 लाख परिवार शायद लाभान्वित हो पाये हैं, अर्थात कृषि श्रमिकों की कुल संख्या का 1.28 प्रतिशत। जैसा कि तृतीय पंच वर्षीय योजना में संकेत किया गया, यह अनुभव किया गया है कि कृषि जोतों के वितरण की वर्तमान पद्धति और अधिकतम सीमा के किसी भी दिये हुये स्तर की अधिकता में भूमि के पुनर्वितरण में लघु फार्मों की प्रबलता फालतू भूमि के आकार में भूमिहीन कृषि श्रमिकों की एक बड़ी संख्या को अधिक परिमाण में शायद प्राप्त नहीं हो सकी। भूमि का ऐसा वितरण जो सम्भव होगा, अन्य उपायों के साथ जो अपभूमि के वन्योवस्त के लिये अपनाये गये थे, आबादी के भूमिहीन अनुभाग को सुअवसर का मार्ग प्रदान करेगा।

सरकारी भूमि का आवंटन

754 श्री प्र० रं०ठाकुर : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली पंच वर्षीय योजना के आरम्भ में राज्यवार विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत कितनी सरकारी भूमि थी और इस समय कितनी है;

(ख) इसमें से अब तक कितनी भूमि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को दी गई है तथा कितनी भूमि उद्योगपतियों, बडे किसानों तथा उच्च सिविल तथा सैनिक अधिकारियों को बेची अथवा हस्तान्तरित की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के तिराई क्षेत्र में ही बिड़ला उद्योग समूह ने लखीमपुर, सीतापुर तथा बिजनौर में कुल 40,000 एकड़ भूमि के तीन फार्म लिये हैं और एक अन्य उद्योगपति ने ऐसी ही सरकारी भूमि का 11,000 एकड़ का एक फार्म लिया है;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में ऐसे सौदों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस बारे में वर्तमान नीति को समाप्त करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) प्रथम भाग में पूछी गई जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है। परती

भूमि को प्रदर्शित करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2113/68**]

(ख) विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को भूमि की अलाटमेंट राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों के अनुसार की जाती है। संविधान के अनुसार भूमि राज्य सरकारों का विषय है। अतः उद्योगपतियों, बड़े कृषकों और उच्च असैनिक और सैनिक अधिकारियों को बेचे गये या हस्तान्तरित किये गये क्षेत्र के बारे में केन्द्रीय सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसलिये इस प्रकार के सौदों का संबंध राज्य सरकारों से है।

(ङ) तथा (च): केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों की नीतियां बदलने का प्रश्न ही नहीं होता।

ग्रामीण परिवारों के पास खेती योग्य भूमि

755 श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब भी समस्त ग्रामीण परिवारों में से 2.43 प्रतिशत परिवारों के पास 28.5 प्रतिशत खेती योग्य भूमि है जबकि भूमिहीन श्रमिकों और निर्धन किसानों के पास, जिनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या की 82.5 प्रतिशत है, केवल 27.45 प्रतिशत खेती योग्य भूमि है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में वास्तविक स्थिति क्या है।

(घ) अब तक इस सम्बन्ध में क्या विशेष कार्यवाही की गई है और चौथी योजना की अवधि तक स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) से (घ): राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणालय ने सोलहवें और सत्रहवें चक्र क्रम में अनुमानित खेती की जोतों की संख्या उनके द्वारा जोता जाने वाला क्षेत्र और जोत के आकार के विषय में संचयागत प्रतिशत वितरण निम्न प्रकार है :—

जोतों का आकार (एकड़ों में)			खेती की जोतें (सोलहवें और सत्रहवें क्रम में)	
			संख्या	(औसत) क्षेत्रफल
1	नीचे	0.50	9.71	0.35
2	,,	1.00	18.25	1.29
3	,,	2.50	39.87	6.79

4	,, 5.00	62.31	19.04
5	,, 7.50	74.67	30.35
6	,, 10.00	81.65	39.37
7	,, 15.00	89.44	53.39
8	,, 20.00	93.14	62.89
9	,, 25.00	95.37	70.19
10	,, 30.00	96.70	75.60
11	,, 50.00	98.95	88.11
12	सब आकार	100.00	100.00

भूमि पर आबादी का अत्याधिक दबाव होने के कारण और सामान्य अर्थ व्यवस्था काम करने वाली जनता के अधिकांश भाग को कृषि स्तर व्यवसायों में न समा सकने और पट्टेदारी प्रथा के कारण स्वामिगत और खेती योग्य भूमि पर अत्यधिक दबाव है। आर्थिक विकास के लिये उठाये गये अनेक कदमों में से विशेषकर कृषि सुधारों द्वारा मध्यवर्ती पट्टेदारों की समाप्ति कृषि करने वाले काश्तकारों, सहयोगी फसल उत्पादकों को स्वामित्व के अधिकार, कृषि जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारण, भूमि के स्वामित्व और उस पर अत्यधिक दबाव को कम करने के लिये है। चतुर्थ योजना के लिये इस सम्बन्ध में प्रस्ताव विचाराधीन है।

संचार विभाग से सम्बद्ध सलाहकार बोर्ड तथा समितियां

756 श्री जुगल मंडल : क्या संचार मंत्री 22 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4969 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार विभाग से सम्बद्ध सलाहकार बोर्ड तथा समितियों के बारे में जानकारी एकत्रित करली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इं० कु० गुजराल) (क) से (ग): जी हां।

एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जा रहा है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सख्या एल० टी० 2114/68]**

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी

757 श्री जुगल मण्डल : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री 22 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5111 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बारे में आवश्यक जानकारी अब प्राप्त करली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में युनाइटेड आयरन एण्ड स्टील वर्कर्स यूनियन, बर्नपुर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां। इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि०, वर्नपुर और असन्सोल आयरन एण्ड स्टील वर्कर्स यूनियन के बीच दिनांक 3 मार्च,1966 को एक समझौता हुवा, समझौते की मुख्य बातें यह हैं :

1 लौह तथा इस्पात उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न वेतन दरों में वेतन निश्चित करना।

2 मजूरी बोर्ड की सिफारिशों से पहले चालू मजूरियों के अनुसार उत्पादन बोनस।

3 सेवाकालीन उपदान।

4 कार्यकारी भत्ता।

6 अवकाश, और

6 समयोपरि भत्ता।

(ख) यूनाइटेड आयरन एण्ड स्टील वर्कर्स यूनियन, बर्नपुर द्वारा बोनस योजना के बारे में कई विवाद उठाये गये।

(ग) राज्य सरकार द्वारा इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

केम्पों में रहने वाले मजदूर

758 **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री 29 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6554 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन 12 कोयला खानों में से प्रत्येक खान क्षेत्र में खनिक शिविर और होस्टल में रहने वाले कर्मचारियों की संख्या के बारे में सूचना एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : यह मालूम हो गया है कि लोयाबाद (उत्तर) कोयलाखान और खरखारी कोयलाखान में कोई अनधिकृत केम्प नहीं हैं। इन कोयला खानों में स्थित तीन कम्पों में जितने श्रमिक रहते हैं, उनकी संख्या प्रत्येक खान के नाम के सामने नीचे दी गई है :

पोरसकोल कोयला खान	268
सामला मण्डुरबानी कोयला खान	107
मधुजोर कोयला खान	344

शेष कोयला खानों के केम्पों के सम्बन्ध में सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

उद्योगों में न्यूनतम मजूरी

759 **श्री काशीनाथ पाण्डे** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री 29 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6566 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उद्योगों में न्यूनतम मजूरी के बारे में जानकारी अब प्राप्त करली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ।

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) क) जी हां ।

(ख) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट और धारा 27 के अन्तर्गत अनुसूची में जोडे गए रोजगारों के बारे में न्यूनतम मजूरी दरें निर्धारित की जाती हैं । इस प्रकार निर्धारित की जाने वाली न्यूनतम मजूरी दरें रोजगार वार निर्धारित की जाती हैं, न कि कारखानाबार । सम्बन्धित रोजगारों में न्यूनतम मजूरी पाने वाले अकुशल मजदूर के लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मजूरी दरें विवरण में दी गई हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2115/68]**

मजूरी की न्यूनतम दरें अधिनियम के अन्तर्गत लागू होती हैं । इस अधिनियम में इनके क्रियान्वित न किये जाने पर दण्ड की भी व्यवस्था है । इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन न किए जाने पर समुचित कार्यवाही करने के लिये निरीक्षकों द्वारा सम्बन्धित प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उत्तर प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालयों में छात्रों द्वारा व्यापक आन्दोलन

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूं तथा उनसे इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने की प्रार्थना करता हूँ

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश के अन्य विश्व-विद्यालयों में छात्रों द्वारा व्यापक आन्दोलन तथा शान्ति भंग किया जाना ।

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में ये हाल ही के उपद्रव दिनांक 30 अगस्त, 1968 से, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से आरम्भ हुए । दिनांक 25 सितम्बर, 1968 को छात्रों के एक दल ने उप-कुलपति तथा अधिशिक्षक (खैयर) की कार को रोक लिया तथा उन दो व्यक्तियों को भी पीटा जिन्होंने उपकुलपति को आक्रमण से बचाया था । उपकुलपति ने तीन छात्रों को विश्वविद्यलाय से निकाल दिया । 28 अक्तूबर, 1968 को आन्दोलनकारियों ने लाउडस्पीकर लेकर विश्वविद्यालय के अहाते में घुसने का प्रयास किया तथा जब उन्हें प्रबन्धकों द्वारा रोका गया तो वे ईंटें मारने लगे तथा लाठियां चलाने लगे । 6 नवम्बर को विश्वविद्यालय के अहाते में उन्होंने जलूस निकाला तथा उन तीन छात्रों को वापस लेने की मांग की । उन्होंने विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कार्यालय पर हल्ला बोला तथा उप-कुलपति को मार डालने की धमकी दी । इस पर उप-कुलपति ने पुलिस की सहायता मांगी तथा जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस-अधीक्षक उनके निवास-स्थान पर पहुंचे । छात्रों की भीड़ ने उप-कुलपति के निवास स्थान के द्वार तोड़ डाले तथा इस झड़प में काफी पुलिस अधिकारी तथा छात्र घायल हुए । विश्वविद्यालय में 15 दिन के लिये धारा 144 लागू की गई । 7 नवम्बर को विद्यार्थियों ने कृषि कालेज की फसल तथा एक ठेकेदार के लकड़ी के माल में आग लगा दी तथा जब वे पास की इमारतों में भी आग लगाने जा रहे थे तो पुलिस और आग बुझाने वाले कर्मचारियों ने समय पर आकर उनके प्रयत्न को विफल किया ।

अब 9 नवम्बर से स्थिति सामान्य होती जा रही है तथा उप-कुलपति के निवास स्थान, बिजली घर तथा जल वितरण केन्द्र एवम् विश्वविद्यालय के मुद्रणालय पर वर्दीधारी पुलिस तैनात रही है । छात्रों ने विभिन्न बैठकें की तथा हड़ताल की । कुछ छात्रों ने भूख-हड़ताल भी की जो कि बाद में तोड़ दी; परन्तु 7 नवम्बर से उन्होंने फिर आन्दोलन आरम्भ कर दिया । 9 नवम्बर को छात्रों ने पत्थर फेंके तथा विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को हानि पहुंचाई । पुलिस ने आकर छात्रों को तितर-बितर किया । 11 नवम्बर को कुछ छात्रों ने पंजीकार के कार्यालय पर भी आक्रमण किया तथा कुछ फाईलों को जला डाला । पुलिस फिर आई तथा उसने भीड़ को तितर-बितर किया । 12 नवम्बर को भी इसी प्रकार की घटनायें हुईं । हम पिछली रात्रि से उप-कुलपति से सम्पर्क बनाने का प्रयत्न करते रहे हैं, ताकि ताजा जानकारी प्राप्त होती रहे, परन्तु टेलीफोन की लाईन खराब थी । आज प्रातः का समाचार है कि उप-कुलपति ने विश्व-विद्यालय को बन्द कर दिया है ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों ने 8 नवम्बर को हड़ताल की तथा अपनी मांगों पर जोर दिया जिनमें परीक्षा शुल्क की वृद्धि पर रोष भी शामिल था । उपकुलपति ने 16 नवम्बर तक के लिये विश्वविद्यालय में पढ़ाई बन्द कर दी ।

सदन को मालूम है कि छात्रों की अनुशासनहीनता देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों में भी बढ़ती जा रही है । यह दुर्भाग्य की बात है कि छात्रों ने कई बार कानून को भी अपने

हाथ में लिया है । मैं सदन के प्रत्येक वर्ग से प्रार्थना करूंगा कि विश्वविद्यालयों के कार्य में बाहरी हस्तक्षेप को प्रोत्साहन न दिया जाये ।

भारत में विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाएं हैं तथा अपने अपने निगमित अधिनियमों के अधीन कार्य करती हैं । सरकार का उत्तरदायित्व आर्थिक सहायता देने के साथ साथ वहां कानून और व्यवस्था बनाये रखने का भी है । यदि उप-कुलपति पुलिस की सहायता मांगते हैं तो यह सहायता उनको देनी पड़ती है । और वहां पर पुलिस विश्वविद्यालय अधिकारियों के कहने पर दी गई थी ।

मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि मुझे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उप-कुलपति से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने यह विचार व्यक्त किया है कि विश्वविद्यालय में अनुशासन तथा कानून और व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करने हेतु पूरी जांच कराई जानी चाहिये । इसके लिये उन्होंने सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद इस मामले में जांच करने तथा सिफारिशें देने हेतु एक समिति नियुक्त करें । मैंने यह सिफारिश स्वीकार करली है तथा मुझे आशा है कि शीघ्र ही विश्वविद्यालय द्वारा एक समिति की नियुक्ति कर दी जायेगी ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : हम मंत्री महोदय के यह कह देने मात्र से संतुष्ट नहीं हो सकते कि छात्रों की अनुशासनहीनता देश के अधिकतम भागों तथा विदेशों में भी है । उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों की घटनायें बड़ी दर्दनाक घटनायें हैं । यह एक गम्भीर बात है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रो० जी० आर० शर्मा तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो० पटवर्धन पर आक्रमण किया गया । इस प्रकार तो प्रोफेसरों का जीवन भी खतरे में पड़ गया है । ये भी समाचार मिले हैं कि छात्रों को कक्षा के कमरों से घसीट कर लाया गया था, अखिल भारतीय नेताओं को जूतों के हार पहनाये गये । यह बड़ी ही निन्दनीय स्थिति है । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में एक समिति नियुक्त करने के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कानून हीनता को सख्ती से दबाने हेतु क्या उपाय कर रही है ?

डा० त्रिगुण सेन : छात्रों के मध्य अनुशासनहीनता तथा कानून और व्यवस्था इन दोनों में कुछ अन्तर है । विश्वविद्यालयों में अनुशासन स्थापित करने हेतु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों से मिलें तथा वे लोग विद्यार्थियों की उचित मांगों के बारे में कोई प्रक्रिया चाहते थे, जिस पर विचार किया जा रहा है । जहां तक कानून और व्यवस्था की बात है, जो कई बार उप-कुलपतियों के लिये कानून और व्यवस्था बनाये रखना असम्भव हो जाता है और वे पुलिस की सहायता लेते हैं । हमें और कोई मार्ग नहीं दीख पड़ता ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Although there are many educational institutions in our country but the Aligarh, Shanti Niketan and the Banaras Universities have their own historical and culture significance. Mahamana Pandit Madan Mohan Malaviya wanted to establish the Banaras Hindu University on the pattern of Nalanda and Takshila Universities. But now this University has become a playground for the politicians and other Universities of Uttar Pradesh are also being badly affected by this factor.

I will not go into the details as to whether the Communist or Jan Sangh or S. S. P. parties etc. have their hands in these affairs. I only want that this should be curbed very strictly so that these temples of education could be saved from such state of affairs. It is the first time when petrol and phosphorus have been used in a Hindu University. Not only here, but other educational institutions are also facing such mishaps. A section of students has adopted this thing as their profession that they would deliberately fail in the examinations continously and remain there in the University. They get money for this from the vested interests outside. Universities have become the headquarters of their activities. Shri Jagjiwan Ram will recollect what happend with him. These were the same students who had said that the Prime Minister should be arrested with a rope in the neck and dragged to the court. They openly declare that the Education Minister is on their back.

I specifically want a clarification from the Education Minister whether some Cabinet man is on their back as the students claim ? If the Vice-Chancellors are removed from offices on account of students' agitations, who will then come over as Vice-Chancellors to these Universities and creat a sense of devotions and relief towards peace and studies.

Secondly, I want to know why did the Govt. not send any of their official for investigation, inspite of such serious incidents there. He may also state whether there is any conflict between him and the Vice-Chancellor which might adversely affect the future of educational institutions in Uttar Pradesh ?

डा० त्रिगुण सेन : माननीय सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री के इस सुझाव का मैं स्वागत करता हूँ कि विश्वविद्यालयों के प्रशासन में किसी राजनैतिक दल को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि राजनैतिक दल इस बात को मान लें तो देश की शिक्षा संस्थाओं के लिये यह एक अच्छा दिन होगा।

दूसरे, उन्होंने कहा है कि मैं उप-कुलपति को निकालना चाहता हूं। सो, यह एक सफेद झूंठ है। तीसरा प्रश्न है कि भूतपूर्व कुलपति तथा भूतपूर्व उप-कुलपति को वहां जाना चाहिये था। पिछले 36 वर्ष से मैं विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करता रहा हूं। जब वहां उप-कुलपति है तथा वह सन्तोषजनक ढंग से वहां का प्रशासन चला रहा है, तो मैं नहीं समझता कि हमें उसके काम में प्रतिदिन हस्तक्षेप क्यों करना चाहिये।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि छात्रों की अनुशासन-हीनता भारत तथा विदेशों में भी है। निस्सन्देह विश्व भर में आज का युवक आज के प्रतिष्ठित समाज के विरुद्ध आन्दोलन कर रहा है। युवक गण अपने पूर्वजों द्वारा निर्धारित प्रणालियों का विरोध कर रहे हैं। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि इस आन्दोलन के पीछे कोई निश्चित दिशा अथवा कोई ध्येय नहीं है। इससे हमें बड़ी हानि हुई है। विश्वविद्यालय आज अहिंसा तथा जाति भेद के अखाड़े बनते जा रहे हैं।

माननीय मंत्री महोदय ने ठीक कहा है कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये तथा उन्होंने इस सम्बन्ध में हमारी सहायता भी मांगी है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम सदा इस पक्ष में रहे हैं कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बनाई रखी जाये। परन्तु गत बीस वर्षों में उपकुलपतियों को उच्चतर पदों का प्रलोभ दिया जाता रहा है तथा

विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप किया जाता रहा है । अतः मुझे सन्देह है कि मंत्री महोदय ऐसी इन परिस्थितियों में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता कैसे बनाये रख सकेंगे । परन्तु इसके साथ साथ मैं इस सम्बन्ध में एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ । स्वायत्तता का यह अर्थ नहीं है कि उन्हें जो चाहें वही करने का लाइसेंस दिया जाये । हत्या, बलात्कार तथा हिंसा आदि के गंभीर आरोप भी लगाये गये हैं तथा स्वायत्तता के नाम पर जो चाहें वही करने का लाइसेंस देना घातक होगा ।

कहा गया है कि कार्यकारी समिति द्वारा एक समिति का गठन किया जा रहा है। माननीय मंत्री को शायद ज्ञात होगा कि समिति के एक सदस्य श्री अच्युत पटवर्द्धन ने त्यागपत्र दे दिया है । इस समिति में देश की जनता का विश्वास नहीं है । अतः मेरा सुझाव है कि न केवल हिंसा तथा साम्प्रदायिक घृणा अपितु बनारस, इलाहाबाद अथवा गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता के सब पहलुओं पर विचार करने के लिये एक स्वतन्त्र उच्च शक्ति-प्राप्त समिति का गठन किया जाये, जिसके सदस्य देश के प्रमुख शिक्षाविद हों ।

डा० त्रिगुण सेन : उपकुलपति ने भी यही सिफारिश की है । इस मामले की जांच करने के लिये उपकुलपति एक समिति नियुक्त कर रहे हैं । जहां तक छात्रों की अनुशासनहीनता का प्रश्न है, इसके विभिन्न कारण हैं । मैं केवल एक कारण का उल्लेख अवश्य करूंगा और वह यह कि इस सभा की दीर्घाओं में बैठकर छात्र यह देखते हैं कि हम किस प्रकार व्यवहार करते हैं तथा इसका उन पर प्रभाव पड़ता है । लड़कों को यह कहना बड़ा मुश्किल है कि वे अच्छा व्यवहार करेंगे, जब कि हम स्वयं अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : यहां बैठकर छात्र यह सीखते हैं कि जब शासन तन्त्र दमनकारी व्यक्तियों के हाथ में हो, तो प्रगतिवाद के लिये कैसे लड़ा जाता है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री त्रिगुन सेन का बहुत आदर करता हूँ । मैं उनका आदर उनके मंत्री होने के नाते नहीं, बल्कि इसलिये करता हूँ कि वह देश के एक प्रमुख शिक्षाविद हैं । परन्तु उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, वह एक तरफा बयान है तथा उसमें केवल वही बातें कही गई हैं, जो उपकुलपति ने कही हैं । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उपकुलपति ने बनारस विश्वविद्यालय के उस निर्वाचन में, जिसके कारण यह सारा विवाद हुआ है, एक विशेष उम्मीदवार को जिताने के लिये उसका पक्ष नहीं लिया है ? यह एक अनसुनी बात है कि एक उपकुलपति चुनाव में पक्षपात करे । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय पुलिस का कैम्प बन गया हैं और वहां इस समय 2000 से अधिक पुलिसमैन मौजूद हैं ।

फिर जहां तक इलाहाबाद का सम्बन्ध है, वहां छात्रों की मांगों को बहुत लम्बे समय से पूरा नहीं किया गया था । सेवा निवृति के पश्चात श्री आर० के० नेहरू को वहां का उपकुलपति नियुक्त किया गया , परन्तु वह इस समस्या को सुलझाने में असफल रहे हैं ।

जहां तक गोरखपुर विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, गोरखपुर विश्वविद्यालय को इसलिये बन्द कर दिया गया है क्योंकि वहां छात्रों ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों को पुलिस

द्वारा बेरहमी से पीटे जाने पर उनकी सहानुभूति में हड़ताल की थी। अब यदि कानपुर विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश के किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों की सहानुभूति के रूप में हड़ताल करते हैं, तो उ विश्वविद्यालयों को भी बन्द कर दिया जायेगा। यह है उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति जहां इस समय राष्ट्रपति का शासन लागू है।

माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि कार्यकारी परिषद् द्वारा तुरन्त एक समिति का गठन किया जाना चाहिये। उक्त कार्यकारी परिषद् के प्रधान स्वयं वही उपकुलपति हैं जिनके विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं तथा जिन्हें दोषी बताया गया है। अखिल भारतीय छात्र संघ ने 8 नवम्बर, 1968 को उनके विरुद्ध ज्ञापन पेश किया गया था। अतः यह एक विचित्र बात है कि वही व्यक्ति जिसके विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं, स्वयं समिति नियुक्त करें।

इसके अतिरिक्त मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या श्री स० कुण्डू के इस सुझाव को स्वीकार किया जायेगा कि उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति तक शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में सब राजनैतिक दलों के नेताओं का एक शिष्टमंडल अथवा सब ग्रुपों के एक एक प्रतिनिधि का एक शिष्ट मण्डल अथवा सब राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक संसदीय समिति वहां जाये, ताकि जो छात्र भी साक्ष्य देना चाहे वह उपकुलपति से भयभीत हुए बिना ऐसा कर सकें ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या शिक्षा मंत्री वहां ऐसी एक समिति भेजेंगे ?

डा० त्रिगुण सेन : माननीय सदस्य ने तीन प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न यह है कि क्या छात्र संघ के गत निर्वाचन में उपकुलपति ने पक्षपात किया था ? जहां तक मेरी जानकारी है, मैं समझता हूं कि गत निर्वाचन के समय उपकुलपति आस्ट्रेलिया में थे, क्योंकि वहां राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय सम्मेलन हो रहा था। परन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि जिस छात्र ने छात्र संघ के प्रधान का चुनाव लड़ा था, वह उस चुनाव में प्रधान पद के लिये चुनाव लड़ने के लिये निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता था। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उपकुलपति ने पक्षपात किया था।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे पास ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें मैं सभा पटल पर रखने को तैयार हूं जिनसे यह सिद्ध हो जायेगा कि उपकुलपति न केवल शिक्षा मंत्री को अपितु सारे देश को भ्रम में डाल रहे हैं। अतः उन्हें तुरन्त हटा दिया जाना चाहिये।

डा० त्रिगुण सेन : दूसरा प्रश्न यह है कि क्या विश्वविद्यालय प्रांगण में अभी भी पुलिस विद्यमान है ? इसका उत्तर मैं "हां" में देता हूँ। वहां धारा 144 लगाये जाने से, जिसे लगभग 15 दिन पहले लगाया गया था, अभी तक पुलिस विद्यमान है।

जहां तक कार्यकारी समिति द्वारा नियुक्त की जाने वाली समिति का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि उपकुलपति उस समिति का सदस्य नहीं होगा तथा इस मामले की जांच करने वाली समिति का सदस्य उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश तथा एक प्रमुख शिक्षाविद होगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Mr. Speaker, I would like to congratulate the students and Professors of Banaras Hindu University, who have foiled the attempt of

the few destructive elements, who wanted the University to be closed down. The majority of the students want to be taught and the majority of the professors want to teach. I hope that the students and teachers of other Universities too will follow the example of students and teachers of Banaras Hindu University and foil the attempts of creating disorder in the University. In this connection I would like to read a few lines from the report of a press correspondent, which appeared in "The Hindu" of Madras. This report is supposed to be impartial, because the press correspondent is a non-party person. The report says, "The present trouble in the University has a genesis in the unholy alliance between a section of the senior professors in the University who have a vested interest in removing the present Vice-Chancellor and the student bodies of the Leftists parties. Though their interests are different, yet they have combined on one objective, their antipathy towards the Vice-Chancellor, who has proved a tough administrator", So I would like to know whether the Committee which is being oppointed will also enquire into this unholy alliance of professors ?

डा० त्रिगुण सेन : इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I have asked a definite question as to whether the Committee will examine the conduct of the professors.

डा० त्रिगुण सेन : उपकुलपति के इस सम्बन्ध में असीमित अधिकार हैं । उन्होंने अपने पत्र में सुझाव दिया है कि कार्यकारी समिति द्वारा एक समिति का गठन किया जा रहा है । उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि अनुशासन तथा विश्वविद्यालय में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के प्रश्न की पूर्ण जांच कराना आवश्यक है । उन्होंने विश्वविद्यालय की वर्तमान गड़बड़ी के कारण भी बताये हैं । मैं समझता हूं कि इसमें सब बातें आ जाती है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

पश्चिम बंगाल औद्योगिक नियमों में कुछ संशोधन करने वाली अधिसूचना तथा कोयला खान भविष्य निधि के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा बोनस योजनायें इत्यादि ।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : मैं निम्न पत्र सभा-पटल पर रखता हूं : —

(1) (एक) पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 38 की उपधारा (4) के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल अधिसूचना संख्या 1582 आई० आर० दिनांक 18 मार्च, 1968 की एक प्रति जिसके द्वारा पश्चिमी बंगाल औद्योगिक विवाद नियम, 1958 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(दो) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2082/68]

(2) कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनायें अधिनियम, 1948 की धारा 7 क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) राजस्थान कोयला खान बोनस (चौथा संशोधन) योजना, 1968 जो दिनांक, 21 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1721 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान बोनस (तीसरा संशोधन) योजना, 1968 जो दिनांक 21 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1722 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कोयला खान बोनस (तीसरा संशोधन) योजना, 1968 जो दिनांक 21 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1723 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1968 जो दिनांक 21 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1724 में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) आसाम कोयला खान बोनस (तीसरा संशोधन) योजना, 1968 जो दिनांक 21 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1725 में प्रकाशित हुई थी।

(छः) कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1968 जो दिनांक 21 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1726 में प्रकाशित हुई थी।

(सात) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1968 जो दिनांक 21 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1727 में प्रकाशित हुई थी।

(आठ) नीवेली कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1968 जो दिनांक 21 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1728 में प्रकाशित हुई थी।

(नौ) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान बोनस चौथा संशोधन) योजना, 1968 जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1895 में प्रकाशित हुई थी ।

(दस) कोयला खान बोनस (चौथा संशोधन) योजना, 1968 जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1896 में प्रकाशित हुई थी ।

(ग्यारह) आसाम कोयला खान बोनस (चौथा संशोधन) योजना, 1968 जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1897 में प्रकाशित हुई थी ।

(बारह) राजस्थान कोयला खान बोनस (पांचवां संशोधन) योजना, 1968 जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1898 में प्रकाशित हुई थी । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2083/68]**

खाद्य निगम (चौथा संशोधन) नियम, इत्यादि

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं निम्न पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खाद्य निगम (चौथा संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 29 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1597 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2084/68]**

(2) बीज अधिनियम, 1966 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बीज नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 2 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1632 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2085/68]**

(3) पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कलकत्ता थिक्का पट्टेदारी कार्यवाहियां रोकना (अस्थायी उपबन्ध) संशोधन अधिनियम, 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 25) की एक प्रति जो दिनांक 25 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2086/68]**

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1966–67 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2087/68]**

मजूरी भुगतान (वायु परिवहन सेवायें) नियम

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : मैं मजूरी भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 26 की उपधारा (6) के अन्तर्गत मजूरी भुगतान (वायु परिवहन सेवायें) नियम, 1968 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 7 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3036 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2088/68]**

प्राक्कलन समिति

59वां तथा 62वां प्रतिवेदन

श्री शान्ति लाल शाह (बम्बई उत्तर-पश्चिम) मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन पेश करता हूं :—

(1) भूतपूर्व पुनर्वास मंत्रालय-दंडाकारण्य परियोग–के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक–सभा) के 72वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 59वां प्रतिवेदन।

(दो) शिक्षा मंत्रालय (एक) राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, और (दो) नेशनल गैलरी आफ माडर्न आर्ट्स, नई दिल्ली–के बारे में प्राक्कलन समिति के चौथे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 62वां प्रतिवेदन।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला
MATTER UNDER RULE 377

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में प्रधान मंत्री की विरोधी दल के नेताओं के साथ बैठक।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Mr. Speaker, yesterday we had a meeting in your Chamber at 1.50 p. m. Besides the leaders of the opposition parties, Dr. Ram Subhag Singh, Minister for Parliamentary Affairs and Shri Gujral were present at that meeting. It was decided in that meeting that Dr. Ram Subhag Singh would arrange a

meeting of the opposition leaders with the Prime Minister and in that meeting the matters relating to strike by Central Government Employees would discussed. At that time Dr. Ram Subhag Singh also said that in addition to that matter any other matters might also be discussed in that meeting in any body had no objection to discuss those matter. But it seems from the reports appearing in the newspaper that Dr. Ram Subhag Singh is not going to arrange any meeting of the opposition leaders immediately with the Prime Minister. So I would request to Dr. Ram Subhag Singh that he should dispel our doubts and arrange an early meeting of the opposition leaders with the Prime Minister.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हम में से कुछ सदस्यों ने कहा था कि इस बैठक की घोषणा सभा में की जानी चाहिये, परन्तु आपने कहा था चूंकि यह बात मेरे सामने हुई है, इसलिये इसे ऐसा ही समझना चाहिये जैसा कि सभा में हुई हो।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : डा० सिंह ने कहा है कि उन्होंने विरोधी दल के नेताओं के वक्तव्य की ओर अध्यक्ष महोदय का ध्यान दिलाया था तथा आप (अध्यक्ष महोदय) ने इस बात की पुष्टि की थी कि उन्होंने (डा० सिंह ने) प्रस्तावित बैठक की तिथि तथा उसके चर्चा के विषयों का उल्लेख नहीं किया था। अतः आपने अपनी स्थिति पूर्णतया स्पष्ट कर दी है।

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): I confirm that the statements of Shri Vajpayee and Shri Banerjee are correct. I will arrange a meeting and I stand by my commitment.

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति आदेश (संशोधन)विधेयक
SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL

श्री अनिल कु० चन्दा (भौलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में कतिपय जातियों तथा आदिम जातियों को सम्मिलित करने और उन्हें उनसे निकालने, उनके प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन तथा संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः सीमांकन, जहां तक यह पुनः समायोजन तथा पुनः सीमांकन करना कतिपय अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को सूचियों से निकालने अथवा उनमें सम्मिलित करने के परिणामस्वरुप आवश्यक हो, तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री अशोक मेहता के स्थान पर, जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया, श्री पन्नम पिल्लि गोबिन्द मेनन को नियुक्त करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में कतिपय जातियों तथा आदिम जातियों को सम्मिलित करने और उन्हें उनसे

निकालने, उनके प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन तथा संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः सीमांकन, जहां तक यह पुनः समायोजन तथा पुनः सीमांकन करना कतिपय अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को सूचियों से निकालने अथवा उनमें सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप आवश्यक हो, तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री अशोक मेहता के स्थान पर, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया, श्री पन्नमपिल्लि गोविन्द मेनन को नियुक्त करती है" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री मधुलिमये की गिरफ्तारी के बारे में

Re: Arrest of Shri Madhu Limaye

श्री नाथपाई (राजपुर) : खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : आपने 12 बजे चिट भेजी थी और अब खड़े हो गये । यदि आपको अनुमति दी जाती है तो प्रत्येक माननीय सदस्य 11.45 अथवा 12 बजे चिट भेजेगा और फिर खड़ा हो जायेगा ।

Shri Rabi Ray (Puri) : Mr. Speaker, yesterday I had written to you a letter about the arrest of Shri Madhu Limaye and Shri Arjun Singh Bhadoria. Both these hon Members are now in jail. You are, therefore, requested to ask the Home Minister to make a statement in this regard.

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका पत्र गृह मंत्री को भेज दिया है । मुझे उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । यदि मुझे उनका उत्तर प्राप्त हो गया होता, तो उसे सभा की कार्य-सूची में शामिल कर लिया जाता ।

Shri Rabi Ray : You ask him to give a statement by to-marow.

Mr. Speaker : Alright, I will do so.

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे चन्द शब्द कहने की अनुमति दी है । मैं आशा करता हूं कि अन्य दलों के माननीय सदस्य भी मुझे कुछ कहने का अवसर देंगे, क्योंकि अब इस सभा में कुछ कहने के लिये न केवल आपकी, बल्कि अन्य माननीय सदस्यों की अनुमति भी आवश्यक है । जो कुछ कल हुआ है, मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं । हमारी संसद् का सम्मान केवल देश में ही सीमित नहीं है, अपितु अन्य देशों में भी हमारी संसद् का सम्मान है । अब प्रश्न यह है कि हमें अपने इस सम्मान को कायम रखना है अथवा इसे कम करना है । इस सभा में मेरे भी अधिकार हैं तथा आपके भी अधिकार है ।

इन अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय न तो हमारे ही और न ही आपके अधिकार सुरक्षित हैं। प्रधान मन्त्री ने कल केवल एक ही शब्द कहा था कि वह किसी के दबाव में नहीं आयेंगी। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रीपक्ष के लिये और भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अतः यदि प्रधान मंत्री कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती, जो विपक्ष के लिये अपमानजनक समझा जाये, तो क्या हम ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मंत्री पक्ष के लिये अपमानजनक हों ? इस बात का निर्णय किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिये तो मैंने कल सामान्य प्रयोजन समिति की बैठक बुलाई है। वहां दलों के नेता भी होंगे। मैं समझता हूं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न किया जाना ही बेहतर है। मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि ऐसे शब्दों का उल्लेख न किया जाये।

Shri George Fernandes (Bombay South) : Mr. Speaker, my only submission is that if we talk about parliamentary conventions, then we should look at the conventions of the House of commons Here the Prime Minister has not been allowed to speak once only. whereas in the House of Commons in U. K. the Prime Minister has not been allowed to speak on hundreds of occasion. I fail to understand what is the breach of Parliamentary convenions in it ?

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : आपने कहा है कि कल सामान्य प्रयोजन समिति की बैठक होगी तथा उसमें कुछ बातों पर विचार-विमर्श किया जायेगा। मैं नहीं समझता कि उस बैठक का कुछ लाभ होगा, क्योंकि आपके सामने आप के कमरे में कुछ बातें कही जाती हैं और फिर इसके तुरन्त बाद उससे इन्कार कर दिया जाता है। यदि यही पद्धति चलती रही, तो बैठक का कोई लाभ नहीं होगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हमने अनुरोध किया था कि प्रधान मंत्री को कुछ विशिष्ट बातों पर चर्चा करने के लिये बैठक बुलानी चाहिये। आपने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है।

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** / **Mr. Deputy Speaker *in the Chair*** }

श्री नाथपाई (राजापुर) : इस संसद् के सम्मान के सम्बन्ध में कुछ कहा गया है। आज 14 नवम्बर है और आज से छ वर्ष पूर्व इस संसद् में सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित किया गया था, कि चीन ने हमारी जितनी भूमि पर कब्जा किया है, उसका एक एक इंच बलपूर्वक चीन से आजाद किया जायेगा। संसद् द्वारा इस संकल्प को पारित किये छः वर्ष हो गये। मैं जानना चाहता हूं कि इस संकल्प को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि जो संसद् सर्व सम्मति से पारित किये गये अपने संकल्प को पारित न कर सके, उसका सम्मान क्या होगा ?

जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण विधेयक (जारी)

REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS BILL–(Contd)

अध्यक्ष महोदय : अब इस सभा में जन्म तथा मृत्यु विधेयक पर खण्डवार चर्चा की जायेगी ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अपने संशोधन के सम्बन्ध में कुछ कहने से पूर्व तीन प्रश्नों पर आपका विनिर्णय लेना चाहूंगा : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि चूंकि यह विधेयक पांच वर्ष पुराना है तथा राज्य सभा द्वारा पारित किया जा चुका है, इसलिये वह कोई संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे । अतः मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या लोक सभा का काम केवल उस विधेयक पर रबड़ की मोहर लगाना है, जो राज्य सभा द्वारा पास किया जा चुका है ? इस वक्तव्य से इस सभा के सदस्यों तथा इस सभा के अधिकारों का हनन होता है । उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चूंकि यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किया जा चुका है और यदि वह संशोधन स्वीकार करते हैं, तो इसे पुनः राज्य सभा को भेजना होगा, और इसके पारित होने में विलम्ब होगा इसलिये वह संशोधन स्वीकार करने को तैयार नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सभा को इससे कोई सम्बन्ध नहीं है कि उस सभा में क्या कहा गया है ?

श्री लोबो प्रभु : इस विधेयक को पांच वर्ष तक विलम्बित किया गया है, यदि इसमें पांच दिन का और बिलम्ब हो जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा । परन्तु मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है उससे इस सभा के सदस्यों तथा इस सभा के अधिकारों का हनन होता है ।

दूसरी बात जो मैं इस सभा के समक्ष रखना चाहता हूं वह यह है कि इस वादविवाद के दौरान तीन बार गणपूर्ति के लिये घंटी बजानी पड़ी है । सभा में बहुत कम माननीय सदस्य उपस्थित रहे हैं तथा गणपूर्ति हमेशा संदिग्ध रही है । इस बात से मुझे कोई दुःख नहीं है कि माननीय सदस्य सभा में उपस्थित न होकर, केन्द्रीय हाल में बैठे रहे, परन्तु मैं आपसे एक विनिश्चित विनिर्णय इस सम्बन्ध में चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य वाद-विवाद में भाग ही नहीं लेते हैं तथा जिन्हें संशोधन की जो जानकारी नहीं है, क्या उनको उनके पक्ष अथवा विपक्ष में मत देने का अधिकार है ? क्या माननीय सदस्यों का काम केवल "हां" अथवा "नहीं" में मतदान करना ही है । ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्यों का काम केवल "हां" अथवा "नहीं" में मतदान करना ही रह गया है । संसदीय कार्य मंत्री को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये और उन्हें यह देखना चाहिये कि यह झूंठा नाटक न चले । यदि उनकी ओर से कोई विधेयक पेश किया जाता है, तो उनके दल के सदस्यों का काम केवल "हां" अथवा "नहीं" में मत देना ही होता है और इससे अधिक कुछ नहीं । यह विधेयक गृह कार्य मंत्रालय द्वारा लाया गया है तथा मंत्रालय चाहता है कि इसे यथाशीघ्र पारित किया जाये, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह इसके पक्ष अथवा विपक्ष में मत डलवा सकता है । गृह कार्य मंत्रालय को अपने इस रवैये पर पुनर्विचार करना चाहिये ।

यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। इस कानून को राज्य एवं जिला स्तर पर ही नहीं अपितु पंचायत स्तर पर भी लागू किया जायेगा। जन्म सम्बन्धी आंकड़ों में उन बच्चों के आंकड़े सम्मिलित नहीं किये जाने चाहिये जो पैदा होते ही मर जाये अथवा मरे हुए पैदा हों।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभा ने यह खण्ड पारित कर दिया है और वह इसी पर फिर चर्चा कर रहे हैं।

श्री लोबो प्रभु : मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये आंकड़े अलग अलग बनाए रखे जाने चाहिये। फिर इस विधेयक में यह बात पंचायत के मन्त्री पर छोड़ दी गई है कि वह इस बात को निश्चित करेगा कि अमुक बच्चे की मृत्यु पैदा होते ही हुई अथवा अमुक मामला गर्भ-पात का है या नहीं। इन सब बातों की आशा उससे नहीं की जानी चाहिये।

श्री रा० धो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब कोई माननीय सदस्य कोई ऐसी बात कह रहा हो जिसका विषय के साथ कोई सम्बन्ध न हो या ऐसे खण्डों पर बोल रहा हो जो सभा ने पहले पास कर दिये हों तो हम व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : It would have been better if the Minister of Home Affairs had accepted to have the Bill referred to a Select Committee.

Shri George Fernandes (Bombay-South) : I support the views expressed by Shri Vajpayee.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह विधेयक विवादास्पद है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि कोई माननीय सदस्य विषयान्तर बोलता है तो अध्यक्ष महोदय उसे बोलने से रोक सकते हैं, परन्तु इस विधेयक पर ठीक ढंग से चर्चा की जानी चाहिये। अतः इसे संयुक्त प्रवर समिति को भेज देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भण्डारे की यह बात बिल्कुल ठीक थी कि जिन खण्डों पर कल विचार किया जा चुका था, अब उन्हें नहीं दोहराया जाना चाहिये। जहां तक श्री वाजपेयी की बात का सम्बन्ध है कि इस विधेयक पर और आगे विचार किया जाना चाहिये, मैं श्री शुक्ल से वक्तव्य देने के लिये अनुरोध करता हूं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस उपबन्ध का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि अब जन-गणना होने वाली है। इसीलिये हम चाहते हैं कि यह कानून शीघ्र बन जाये। मैंने ऐसा सुझाव कभी भी नहीं दिया कि सभा इन बातों पर चर्चा ही न करे।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बज कर पांच मिनट म प. पर पुनः समवेत हुई।

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at five minutes past fourteen of the clock.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** / **Mr. Deputy Speaker *in the Chair*** }

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं खण्ड 10 के विषय में स्पष्टीकरण दे रहा था। हमारा विचार किसी ऐसे व्यक्ति को यह काम सौंपने का नहीं है जो अधिसूचित क्षेत्र में काम न कर रहा हो। नगरपालिका के वही कर्मचारी सूचना भेज सकेंगे जो किसी ऐसी घटना के समय घटना-स्थल पर उपस्थित हो, अन्यथा नहीं।

यह खण्ड क्षति पहुंचाने वाला बिलकुल नहीं है। अतः माननीय सदस्यों को इस पर अधिक उत्तेजित नहीं होना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इन संशोधनों को स्वीकार करना आवश्यक नहीं और सभा को इस खण्ड को उसी रुप में विचार करना चाहिये और पास करना चाहिये जिस रुप में वह विधेयक में उल्लिखित है।

श्री श्रीचंद गोयल (चन्डीगढ़) मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेज देना चाहिये। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि यह प्रस्ताव कुछ विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। परन्तु यदि यह प्रस्ताव न्यायोचित है तो मन्त्री महोदय को इसे आत्म-सम्मान का विषय न बना कर उसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संशोधन को स्वीकार करने में कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयां भी हैं। विचार करने के लिये प्रस्ताव को जब स्वीकार कर लिया जाता है और कुछ खण्ड भी पारित हो जाते हैं तो हमारे लिये एक ही रास्ता रह जाता है कि हम इस सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही करें। इस सम्बन्ध में नियम बिलकुल स्पष्ट हैं। यदि सरकार संशोधन स्वीकार करना भी चाहे तो भी यह कठिनाई है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम) : ऐसे बहुत से मामले हुए हैं। जहां विधेयक को विचारार्थ पास करने के बाद भी यदि सभा ने जैसा महसूस किया कि यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिये तो, ऐसा किया गया है। इसमें कोई रुकावट नहीं है। खण्ड 10 में या परस्पर विरोधी बातें कही गयी हैं या कुछ बातें फालतू हैं। फिर इस विधेयक में सजा देने की भी व्यवस्था है। सूचना देने वाले व्यक्तियों का भी एक क्रम है और इसी के अनुसार सजा देने की भी व्यवस्था है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस विधेयक में कुछ कठिनाइयां हैं अतः इसे प्रवर समिति को भेज देना अच्छा रहेगा।

Shri Deven Sen (Asansol): In accordance with Rule 109 at any stage of a Bill which is under discussion in the House, a motion that the debate on the Bill be adjourned may be moved with the consent of the Speaker. So, if you give me the consent, I would like to move the same.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखूंगा। जहां तक दूसरे प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैंने उसे पहले ही अस्वीकार कर दिया है।

श्री श्रीचन्द गोयल : पहले कई मामलों में प्रस्ताव पर विचार करने की अवस्था में और खण्ड–वार विचार के समय भी विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार का पहले कोई मामला नहीं हुआ है। विधेयक के प्रत्येक खण्ड पर सूक्ष्मता से विचार किया जा सकता है परन्तु इस अवस्था में संयुक्त प्रवर समिति को भेजने वाले प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

Shri Deven Sen : I beg to move :

"That the debate on the Bill be adjourned."

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा के मतदान के लिये रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि इस विधेयक पर चर्चा स्थगित कर दी जाय"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में = 44 विपक्ष में = 54

The Lok-Sabha divided : Ayes. 44 : Nees. 54

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : In spite of many lacunas in the Bill Government is adamant to get it passed just because of there party's majority in the House. Certain discrepancies are not being removed on the plea that there will be delay in passing the Bill. I want to point out that this Bill is against the secular policy of the Government. The sweeper has been entrusted the work of informant irrespective of the fact whether he is employed or not. This is injustice with the Harijan community as a whole. In my opinion it would have been better if 'purohit' the Brahmin had been entrusted with this work because he is supposed to perform religious ceremonies after the birth of a child but this fact has not been taken into consideration. The Government should remove the entire clause pertaining to 'sweeper' otherwise it is bound to hurt their feelings. The hon'ble Minister should accept this amendment.

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : मैं संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : मैं संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करता हूँ।

Dr. Sushila Nayar (Jhansi): I may point out that in certain case no midwife, nurse or doctor is present at the time of birth of a child and in such cases sweeper can give reliable information about the birth of a child because he is supposed to carry placenta. There is no question of their insult out on the other hand it makes them more responsible person.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : बच्चे के जन्म की खबर देने का काम बहुत जिम्मेदारी का काम है। इस प्रकार का काम किसी मेहतर आदि पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये।

जहां तक मृत्यु का सम्बन्ध है, अस्पताल में केवल चिकित्सा अधिकारी (मेडिकल आफिसर) ही प्रमाणित कर सकता है कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है अब सरकार इस काम को दाई या मेहतर आदि को सौंपना चाहती है, यह बात बिल्कुल अनुचित है। फिर उप खण्ड के अनुसार जिस व्यक्ति को यह काम सौंपा जाता है उसे घटनास्थल पर उपस्थित होना चाहिये परन्तु खण्ड 2 में लिखा है कि उसका उपस्थित रहना आवश्यक नहीं। फिर ये लोग किस आधार पर सूचना प्राप्त करेंगे और सूचना की प्रमाणिकता क्या होगी ? मेहतर तो सुनी-सुनाई बात भी कह सकते हैं। इस विधेयक की शब्दावली भ्रामक है।

शव-दाह के समय जो लोग शव को दाह संस्कार के लिये ले जाते हैं वे उस स्थान के मालिक को मरने वाले व्यक्ति के बारे में पूरी सूचना देते हैं। परन्तु खण्ड 3 में कुछ और ही बात कही गयी है। अतः यह विधेयक कठिनाइयों और परस्पर विरोधी बातों से भरा पड़ा है। सरकार को इस विधेयक को उपयुक्त रूप में पुरः स्थापित करने के सम्बन्ध में आगे और कार्यवाही करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे सामने नियम की समस्या है। हमने केवल इसी खण्ड और संशोधनों पर एक घन्टे का समय लगा दिया है। अब मैं संसद कार्य मन्त्री से अनुरोध करता हूँ कि वह इस स्थिति के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण दें क्योंकि माननीय सदस्य ने एक नई बात उठाई है। इसके बाद मैं यह चर्चा समाप्त करूंगा।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : आपने सब को बोलने की अनुमति दे दी है लेकिन प्रस्तावक को नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके कई पृष्ठ प्रस्तावक हैं।

श्री वेणी शंकर शर्मा : इस खण्ड के बारे में समस्त संशोधन मेरे थे।

श्री श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के लिये केवल एक घन्टे का समय निर्धारित किया गया है। यह समय किसने निर्धारित किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य-मंत्रणा समिति ने समय नियत किया था। उस समय विभिन्न ग्रुपों और दलों के साथ प्रतिनिधि मौजूद थे।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : कार्य-मंत्रणा समिति में इस सभा के 10 प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधि नहीं थे।

श्री श्रीचन्द गोयल (चन्डीगढ़) : मैं कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में आरम्भ से अन्त तक मौजूद था। इस विधेयक के लिये कोई नियत नहीं किया गया था। मैंने डा० राम-सुभग सिंह से विधेयक के लिये समय निर्धारित करने के लिये कहा था। इस विषय पर हम जब विचार करेंगे जब सभा में विधेयक पर विचार हो रहा होगा। वहां विधेयक पर चर्चा करने के लिये समय नियत नहीं किया गया था।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्र पाड़ा) : चूंकि उस समय यह अनुभव नहीं किया गया था कि यह विधेयक इतना पेचीदा है और इसका मसौदा इतना खराब है । अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विधेयक पर चर्चा करने के लिये और अधिक समय की अनुमति दी जानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक घन्टे की बजाये इस पर आगे ही चार घन्टे तक चर्चा की जा चुकी है । अब मैं इसके लिये और अधिक समय की अनुमति कैसे दे सकता हूं ।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है । यदि किसी ऐसे खण्ड का उल्लेख किया गया है जो व्यवहारिक नहीं है तो सरकार को इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये । सरकार यह क्यों सोचती है कि जो मसौदा इसने तैयार किया है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : सब सदस्यों को सुनने के बाद मेरा यह विचार था कि विधेयक पर और चर्चा की आवश्यकता है और इसलिये मैंने विधेयक पर एक घन्टे की बजाय चार घन्टे की चर्चा की अनुमति दे दी थी । लेकिन इस प्रकार कब तक समय को बढ़ाया जाता रहेगा ।

श्री श्रीकान्त नायर : 12 नवम्बर के सूचना–भाग 2 में सरकारी विधान कार्य तथा अन्य कार्य के लिये समय निर्धारित करने के बारे में उल्लेख किया गया है । लेकिन उसमें इस विधेयक का उल्लेख नहीं किया गया है । सभा को इस प्रकार गुमराह नहीं करना चाहिये ।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : I have got a point of order. The Bill cannot be introduced in the House as it is against the constitution. I am reading Article 13 of the Constitution. It says:--

"(1) All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this Part, shall, to the extent of such in consistences, be avoid.

(2) The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be avoid."

Then House refer to Article 17 : "Untouchability" is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of 'untouchability' shall be an offence punishable in accordance with the law.

Now please look at clause 10. Its Says :—

"It shall be the duty of the sweeper in the municipality, panchayat or any local authority....." etc.

There is no definition of the "Sweeper" in it. If the meaning of the sweeper had been a person performing the duty of the sweeper in the municipality, panchayat or any local authority, it would have been cleared. But here the word of sweeper is written on

the basis of tne religion, which is against article 17 of the Constitution. Everybody has opposed the word 'Sweeper'. You have yourself felt the use of this word 'Sweeper' is not proper.

We were of the view that this Bill would be referred to the Select Committee. But the Hon. Minister is adamant. Hon. Deputy Speaker should look into the matter and should try to stop something to be done against the rules.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि 'भंगी' शब्द को ऐसा ही लिया जाय तो इससे गलत फहमियां होंगी। मैंने कहा था कि 'इस संवेदनाशील शब्द को हटाया जाये'। इस पर विचार करना सरकार का कर्तव्य है। (व्यवधान)

Shri Shiv Charan Lal (Firozabad) : I have to raise a point of order. Who is sweeper Sweeper means 'Bhangi'. I think 'Bhangi' is that person who violets the rules.

Will it be possible for the sweepers to go to every house and ask about the births. You are killing humanity I am deadly against it.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं नियम 389 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। जब विधेयक में 'भंगी' शब्द शामिल किया गया था और इस पर चर्चा की जा रही थी तो इसके स्थान पर 'सफाई वाले' शब्द को रखने का सुझाव दिया गया था। अन्त में इसे 'सफाई कर्मचारी' में परिवर्तित कर दिया गया था।

नियस 389 के अनुसार :

"ऐसे सब विषय जिनका इन नियमों में विशिष्ट रूप से उपबन्ध न किया गया हो तो इन नियमों की विस्तृत क्रियान्विति से सम्बन्धित सब प्रश्न ऐसी रीति से विनियमित किये जायेंगे जैसा कि अध्यक्ष समय समय पर निर्देश दें।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हार) : भंगी वह व्यक्ति है जो झाड़ू देता है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक के हिन्दी संस्करण में कहा गया है "कि नगरपालिका, पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के भंगी का," उन्होंने 'सफाई कर्मचारी' शब्द का सुझाव दिया है वह शब्द अच्छा है।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : इसको वापिस लिया जाना चाहिये। यह स्पष्ट विभेद की भावना है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा में इतना क्षोभ है तो सरकार को नियम 110 पर विचार करना चाहिये। इस नियम के अन्तर्गत यदि सरकार चाहे तो विधेयक को वापिस ले सकती है। मैं अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। (व्यवधान)

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): We have no love for the word 'Sweeper'. When the demand of removing this word was

made we thought of substituting and appropriate word in its place. We have no objection even in referring the matter to the Select Committee. There is no religious or caste discrimination in this Bill. Government have no object if the Bill may be referred to the Select Committee under the rules. The Select Committee's amendments' have been declared out of order by you. Therefore, the amendments could not be discussed.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : If the Government have no objection, the Bill may be referred to the Select Committee.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : चूंकि नियमों में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये अब एक ही तरीका बाकी रह जाता है कि विधेयक सरकार विधेयक को वापिस लेली या सभा किसी तरीके से यह निर्णय ले कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : If there is any difficulty in referring the Bill to the Select Committe, the discussion on the Bill should be postponed and the Minister may be asked to resubmit the Bill with an appropriate substitute for the word "Sweeper"

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : विधेयक में प्रयोग किये गये विशेष शब्द के कारण प्रक्रिया का प्रश्न उठाया गया है । विधेयक के खण्ड 10 में 'भंगी' शब्द प्रयोग किया गया है । जहां तक भंगी शब्द का सम्बन्ध है संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये आदेश में 'भंगी' शब्द का क्रम नहीं दिया गया है । अतः 'भंगी' शब्द का प्रयोग किसी वर्ग या समुदाय से सम्बन्धित न होकर एक व्यक्ति के व्यवसाय से, जो झाड़ू देती है, सम्बन्धित है ।

इस बात का उल्लेख किया गया है कि हिन्दी के संस्करण में किसी और शब्द का प्रयोग किया गया है । इस समय हम अंग्रेजी में तैयार किये मसौदे पर विचार कर रहे हैं और यहां जो भी पास किया जायेगा वह विधेयक का अंग्रेजी संस्करण होगा (व्यवधान) इसके अधिनियम बन जाने के बाद भाषा आयोग विधेयक का हिन्दी में अनुवाद करेगा और इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति और प्रभावीकृत किया जायेगा । यदि विधेयक का उचित अनुवाद नहीं किया गया है तो इस बारे में आपत्ति करने का कोई कारण नहीं है । विधेयक के हिन्दी अनुवाद में भंगी शब्द गलत हो सकता है यह अलग बात है । हम उस विधेयक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं । इस समय जो विधेयक सभा के सामने है यदि उसका अनुवाद उचित नहीं किया गया है तो इस विधेयक के बारे में आपत्ति करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत हूँ कि इसका हिन्दी संस्करण प्रमाणीकृत नहीं है । फिर भी उसके अनुवाद के बारे में अपनी अपनी शंकाएं प्रकट की जा सकती हैं । आपको उनको समाधान करना चाहिये ।

चूंकि इसका हिन्दी अनुवाद भंगी किया गया है, अतः आपत्ति उठाना स्वभाविक हो गया है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I suggest that under Rule 109 the consideration on this Bill should be postponed. In my opinion Rule 388 should be suspended and my resolution should be accepted.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री वाजपेयी का प्रस्ताव स्वीकार कर रहा हूं ।

श्री रा० ढो० भण्डारे : मैं आपका ध्यान नियम 110 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसके अनुसार प्रस्तावक सभा की अनुमति से विधेयक को अन्य तरीके से प्रस्तुत कर सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन इस मामले में अन्य प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयां हैं । अतः सरकार और अन्य दलों को विचार का अवसर देने के लिये इस विषय पर चर्चा स्थगित की जाती है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : विधेयक राज्य सभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है । अब यह इस सदन से वापिस नहीं लिया जा सकता । विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है । यदि ऐसा करना नियमानुसार सम्भव नहीं है तो हम इस विधेयक पर फिर से विचार करने के लिये सहमत होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे नियम 338 को निलम्बित करना पड़ेगा । मैं इसे सभा का मत जानने के लिये रखूंगा । प्रश्न यह है कि:--

"कि राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 1968 पर वाद-विवाद स्थगित करने के प्रस्ताव पर लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 338 का लागू होना निलम्बित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री वाजपेयी के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है कि :--

"कि राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रुप में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 1968 पर वाद-विवाद स्थगित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि कतिपय औद्योगिक उपक्रमों के बेहतर संरक्षण तथा सुरक्षा के लिये केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नामक एक बल के गठन तथा विनियमन के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रुप में, विचार किया जाय।"

श्री श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैं इसका विरोध करता हूं। इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय को पहले बोल लेने दीजिये। मैं आपको भी बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह विधेयक सभा में चर्चा के लिये पहले 1967 में आया था। काफी चर्चा के बाद इसे दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को विचार के लिए सौंप दिया गया था।

हमारा मुख्य उद्देश्य सरकारी उपक्रमों के वाच एण्ड वार्ड संगठन को अधिक कुशल और अच्छा प्रशिक्षण देना है।

इस समय सारे उद्योगों के वाच एण्ड वार्ड कर्मचारियों की नियुक्ति बेतरतीबी से होती है। अत: सरकारी क्षेत्र में स्थिति उपक्रमों की देख-रेख के लिये हमें केन्द्रीय दल की स्थापना करनी पड़ी।

हम अग्नि रक्षा सेवाओं को भी औद्योगिक सुरक्षा बल में सम्मिलित करना चाहते हैं ताकि आग बुझाने का प्रशिक्षण और यन्त्र अच्छे स्तर के हों।

मैं विधेयक के खण्ड 3, 10 और 14 की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहूंगा। खण्ड 3 में उल्लेख किया गया है कि इस दल का गठन केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों की रक्षा और सुरक्षा के लिये किया जायगा। खण्ड 4 और 10 में दल के कर्त्तव्य के विषय में उल्लेख किया गया है। हम यह चाहते हैं कि वर्तमान वाच एण्ड वार्ड का स्तर इस दल के स्तर का होना चाहिये। यदि वर्तमान कर्मचारियों का स्तर ऐसा ही हुआ तो हम उन सब को इस नये दल में नियुक्त कर लेंगे।

एक प्रश्न जो संयुक्त समिति में भी उठाया गया था वह यह था कि क्या संसद को यह कार्य करने का अधिकार है। इस बारे में संयुक्त समिति ने भारत के महा-न्यायवादी की राय मांगी थी। महा न्यायवादी संयुक्त समिति में उपस्थित हुए थे और उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि खाद्य सरकार द्वारा प्रकट किए गए विचार उचित हैं।

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य इसको देख सकते हैं।

सरकारी उपक्रमों से जुड़ी कुछ सम्पत्तियों के बारे में आपत्ति की गई थी। उदाहरण के तौर पर एक बिजली घर केन्द्र सरकार के उपक्रमों में बिजली सप्लाई कर रहा है। और वह

बिजलीघर केन्द्र सरकार का है तो विधेयक के अनुसार यह स्पष्ट नहीं है कि क्या बिजली घर की सुरक्षा का कार्य केन्द्रीय सुरक्षा दल राज्य सरकार की अनुमति के बिना कर सकता है। अतः हमने इसमें संशोधन कर यह कर दिया है कि इसके लिये राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी। वर्तमान विधेयक, जो सभा के सामने हैं, में इसकी व्यवस्था की गई है।

इस विषय को अपने सम्मान का विषय नहीं माना जाना चाहिये। इस विधेयक में जो भी त्रुटियां हमें नजर आईं उन्हें हमने संयुक्त प्रवर समिति में ही हटा दिया। हम राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। हमारा मुख्य उद्देश्य देश के सब सरकारी उपक्रमों का संरक्षण करना है। इस विषय पर सब राज्य सरकारों से सलाह ली गई थी। उसके बाद कुछ राजनीतिक परिवर्तन हो गये हैं। हमने सब आपत्तियों को हल करने का प्रयास किया है। इसको सभा के सब वर्गों से सहयोग प्राप्त होना चाहिये।

रेलवे के मामले में भी रेलवे सुरक्षा दल की व्यवस्था है। उसे सभा ने स्वीकार किया था। इस विधेयक का मसौदा भी उसी आधार पर तैयार किया गया है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या इस मामले में रेलवे सुरक्षा दल का अनुकरण किया जायेगा। तब यह दल असफल हो जायगा, क्योंकि रेलवे सुरक्षा दल असफल रहा है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जब विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा गया था तो सभा ने विधेयक के उद्देश्यों को स्वीकार किया था। राज्य सभा इस सिफारिश पर कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये, सहमति प्रकट कर सभा ने विधेयक के उद्देश्यों की स्वीकृति दी है। जहां तक संसद के अधिकार का सम्बन्ध है, इस विषय पर काफी चर्चा के बाद प्रवर समिति द्वारा निर्णय दिया जा चुका है और इस विषय को फिर से उठाना उचित नहीं होगा। अतः मैं बिधेयक को विचार करने के लिए प्रस्तुत करता हूं।

श्री नो० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : विधेयक के वर्तमान रूप से संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 का उल्लंघन होता है। सूची 2 की पहली चार मदों में विधि व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, न्याय प्रशासन तथा कारावासों के प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाली गई है।

माननीय मन्त्री का यह तर्क गलत है कि इससे स्थिति में सुधार होगा क्योंकि वाच एण्ड वार्ड के कर्मचारियों को ठीक ढंग से भर्ती नहीं किया जाता। मेरा कहना है कि इसका वाच एण्ड वार्ड से कोई सम्बन्ध नहीं है और कि इससे खजाने पर बोझ बढ़ेगा।

जिन व्यक्तियों को न्यायालय में अथवा जेल में नहीं लेजाया जा सकता उनको बन्दी बनाने का यह ढंग नहीं है। इससे सभी राज्य सरकारों के अधिकारों को चोट पहुंचेगी। यह विधेयक कानून तथा राज्यों के हितों के पूर्णतया विरुद्ध है। सभी राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया है।

यह भी कहा गया है कि इस बल को रेलवे सुरक्षा बल के ढंग पर बनाया जा रहा है परन्तु रेलवे की सुरक्षा का काम राज्य की पुलिस को सौंपा गया है। सरकार को यह विधेयक प्रस्तुत करते समय इस अनुभव का ध्यान में रखना चाहिये।

Shri George Farnandes (Bombay-South) : I rise on a point of order. List 2 of the Seventh Schedule of the Constitution is exclusively a State list. Central Government cannot enact an legislation on any subject given under this list. So far as list No. 1 is concerned Central Government has the right to enact legislation in regard to the naval, military or air force and other armed forces of the union. But the Central Government cannot enact legislation in regard to the Police.

The hon. Home Minister should clarify as to whether they are going to create military, para-military or a Police Force. If this is a military force than this force cannot carry on the task which is being given to them because they cannot arrest a person in a State unless called by the civil power. A Manager of the concern, or a firm cannot be called a civil power.

Clause 19 of the Bill is similar to those which are found in the Army Act. But it is quite clear th.t Government intention was to create a police force as it clear from the rights of arrest etc. Which are being given to the Industrial Security Force. These rights are similar to those entrusted to the state police. Hence the Central Government have no right to enact such an legislation.

Shri Rabi Ray (Puri) : I support the points raised by Shri George Farnandes and Shri Shrikantan Nayar. It will give air to the disputes which are already going on between the Central and the State Governments. It will also amount to interference in the State Subjects.

The hon. Minister has just state that this force is being equipped with the same powers which are already given to the Railway Protection Force. But the factual position is quite different. I would like to know whether the Central Government is working on the plea that the State Government have failed to protect the property of the Central Government. I demand that the opinion of the State Government in this respect may be placed on the Table of the House.

श्री जी० विश्वनाथन (बन्दीवारा) : मैं एक पृथक बात कहना चाहता हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि केन्द्रीय सरकार अपनी सम्पति के बारे में कानून बना सकती है। इस सम्बन्ध में विधेयक के समर्थक सातवीं अनुसूची की संघ सूची के मद 32 का उल्लेख कर सकते हैं। परन्तु वर्तमान विधेयक के खण्ड 14 में यह व्यवस्था है कि इस बात को सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है। इस बात को राज्य सरकार के उपक्रमों में भी भेजा जा सकता है। अत: यह विधेयक राज्य विषय के अन्तर्गत भी आ जाता है। अत: केन्द्रीय सरकार किसी राज्य विषय पर कोई कानून नहीं बना सकती।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : यदि प्रश्न सम्पति की सुरक्षा का है तो इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। इन कारखानों के प्रबन्धक कारखानों तथा अन्य सम्पति की रक्षा के लिए किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं। क्या मन्त्री इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि वे कुछ लोगों को पुलिस का काम सोंप रहे हैं ? किसी को बिना वारंट के अथवा वारंट से गिरफ्तार

करना तथा तलाशी लेना पुलिस का काम है न कि किसी रक्षा करने वाले बल का /संविधान में साफतौर पर लिखा है कि विधि व्यवस्था तथा पुलिस की जिम्मेदारी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस बारे में केन्द्रीय सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इससे राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों में झगड़े के बढ़ने का भय है। जबतक इस मद को राज्य सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में नहीं रखा जाता तब तक केन्द्रीय सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती।

श्री श्री चन्द गोयल (चण्डीगढ़) : श्री विश्वनाथन ने ठीक ही कहा है कि केन्द्रीय सरकार अपनी सम्पति की रक्षा के लिए कानून बना सकती है। परन्तु विधेयक के खण्ड 10 (ख) के अनुसार यह बल राज्य सरकार की सम्पति की रक्षा के लिए भी भेजा जा सकता है। अतः यह राज्य सरकारों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना है। दूसरे राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया है।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : It is a very simple thing that Government has the right to make the laws for the protection of the property. It is not an encroachment on the rights of the State Government, This force hand over the arrested person to the concerned local police s ation.

Proviso to clause 14 says clearly that no such request shall be entertained unless it is made with the consent of the Government of the State in which the undeataking is situated. So it is not an encroachment on the authority of the State.

श्री जी० विश्वानाथन : श्रीमान, मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि भूतपूर्व महान्यायवादी ने भी इस बारे में कोई स्पष्ट राय नहीं दी, जैसा कि साक्ष्य से स्पष्ट होता है।

श्री स० कुन्डू (बालासोर) : श्री दफ्तरी ने इस बारे में शंका व्यक्त की थी कि इस विधेयक से राज्य सूची में हस्तक्षेप होगा। इस बल को पुलिस की शक्ति प्राप्त होगी। यह बल बिना वारंट किसी को गिरफ्तार कर सकता है तथा किसी की तलाशी ले सकता है। राज्य-सरकार की अनुमति के बिना राज्य में स्थिति उपक्रम में इस बल को नियुक्त करना कठिन होगा। यह विधेयक मजदूरों के अधिकारों को समाप्त करने के लिये ही लाया गया है। न्यायापालिका इस विधेयक को निश्चित रूप से रद्द कर देगी।

Shri Deven Sen (Asansol) : I want to draw your attention on Articles 21 and 22 of the Constitution. It is there in the constitution that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. But according to this Bill any supervisory officer or member of the Force may, without any warrant, from a acting magistrate and without a warant arrest any person.

Even clause 13 of this Bill is against the constitution.

श्री दत्तत्रय कुन्टे (कोलाबा) : इस विधेयक के खण्ड 13 के अन्तर्गत इस बल का कोई भी पर्यवेक्षी अधिकारी अथवा सदस्य इस अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को बिना अनावश्यक विलम्ब के पुलिस अधिकारी को सौंप देगा। अथवा पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में समीप के पुलिस स्टेशन ले जायेगा। खण्ड के अन्तिम भाग से राज्य सरकार के अधिकारों का उल्लंघन होता है। अतः इस पर आपत्ति की जा सकती हैं।

कोई गैर-सरकारी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता। किसी भी कानून में इस बात की अनुमति नहीं है।

श्री रा० द्वो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : दण्ड प्रक्रिया संहिता में ऐसी व्यवस्था है कि कोई गैर-सरकारी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पकड़ सकता है।

श्री दत्तत्रय कुन्टे : पकड़ सकता है परन्तु गिरफ्तार नहीं कर सकता।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मेरा निवेदन केवल इतना है कि सरकार को अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ही कानून बनाना चाहिए। खण्ड 10 (ख) में जहां तक केन्द्रीय सरकार को सम्पत्ति का प्रश्न है वहां तक तो ठीक है क्योंकि केन्द्रीय सरकार को अपनी सम्पत्ति की रक्षा करने का अधिकार है। परन्तु जहां तक अन्य उपक्रमों का सम्बन्ध है मैं महसूस करता हूं कि उनकी सुरक्षा के कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। यदि इस विधेयक को वर्तमान रुप में पारित किया गया तो मेरे विचार में इसको न्यायपालिका द्वारा रद्द कर दिया जायेगा। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इन शब्दों को तथा प्रतुन्क को हटा दिया जाये। इस विधेयक को महान्यायवादी को उसकी राय जानने के लिए सौंपा जा सकता है।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं माननीय यह जानना चाहता हूँ कि हम किस ओर जा रहे हैं ? सर्वप्रथम हमने भाषायी राज्य बनाये। अब हम ऐसी औद्योगिक बस्तियां बनाने जा रहे हैं जिनकी पुलिस को किसी को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति होगी। यह भारत के लिए एक बुरा दिन होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने विधेयक का सावधानी से अध्ययन किया है। इस समय केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सम्बन्ध ऐसे है कि सन्देह तथा भय उत्पन्न हो सकता है। अतः प्रश्न यह है कि यदि इस कानून के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की जाती है तो क्या इससे सन्देह अथवा भय उत्पन्न होगा। मेरा विचार है कि इस बात की सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी द्वारा विवेचन की जानी चाहिये। मेरे विचार में यह सभा एक घंटे के वाद-विवाद में केन्द्रीय तथा राज्यों के क्षेत्र का निर्णय नहीं कर सकती। इस बात का निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है कि इस कानून से संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन होता है अथवा नहीं। दूसरी बात यह है कि राज्यों की अनुमति द्वारा क्षेत्राधिकार स्थापित किया जा सकता है। मेरे विचार में ऐसा हो सकता है। अतः मैं उठाई गई सभी आपत्तियों को रद्द करता हूँ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापटनम) : संविधान के अन्तर्गत हमें कुछ शक्तियों तथा जिम्मेदारियां दी गई हैं। यह कहकर कि इस पर बाद में निर्णय किया जायेगा हम अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। कुछ लोग इसको तुरन्त पास करना चाहते हैं क्योंकि वह उनकी सहायता करता है। परन्तु यदि इस सन्देहजनक खण्ड को रखा जाता है तो समूचा अधिनियम व्यर्थ हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जब हम इस खण्ड विशेष पर पहुंचेंगे तब इस पर विचार कर लिया जायेगा। श्री श्रीकान्तन नायर तथा अन्य सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को मैं पहले ही रद्द कर चुका हूँ।

श्री पीलु मोदी (गोधरा) : आपने अपने विनिर्णय में कहा है कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : विनिर्णय पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मेरे पास एक सुझाव आया है जोकि मैं सरकार के पास भेज रहा हूँ।

श्री बनर्जी ने कहा है कि इस विधेयक पर चर्चा आरम्भ करने से पूर्व महान्यायवादी को सभा में बुलाया जाये। यह प्रस्ताव नहीं है केवल एक सुझाव है।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Sir, under Article 99, the House must call him and then only he can come here.

उपाध्यक्ष महोदय : महान्यायवादी अपने आप यहां नही आ सकते। उन्हें बुलाना होगा, तभी वह यहां आ सकते हैं। परन्तु वह केवल संवैधानिक मामलों पर ही बुलाये जा सकते हैं।

श्री देवेन सेन, क्या आप अपनी चर्चा स्थगित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं ?

Shri Deven Sen (Asansol) : Sir, I beg to move : "that the discussion on this Bill be adjourned."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है; "कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा विधेयक 1968, जिस रूप में राज्य सभा ने पारित किया है, पर चर्चा स्थगित की जाये।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok-Sabha Divided

पक्ष में 52; विपक्ष में 75
Ayes 52; Noes 75

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

अब हम सामान्य चर्चा आरम्भ करेंगे। श्री श्रीचन्द गोयल अपना भाषण जारी रखें।

{ श्री रा० दो० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare *in the Chair* }

Shri Shrichand Goyal (Chandigarh) : Sir, I support the constitutional difficulties which have been raised about its Bill. I also support the suggestion of Shri Banerjee that we should take the help of the Attorney General and call him here.

When this Bill was in the Select Committee we met so many witnesses which comprised Government representatives, managers of industrial organisation and trade union leaders. None of them supported the introduction of this Bill.

The hon. Minister while speaking on this Bill stated that the watch and ward was not in a position to protect these establishments. My submission about this is that we should bring about changes in the service conditions of watch and ward so that after persons may be recruited to this service.

No State Government refused to render police help. The witnesses also stated that the loss suffered due to disturbances was negligible.

Our ex-Inspector General of Police, Shri S. M. Dutt stated that this Bill is bigh brain child. If so then the hon. Minister is only implementing his suggestion.

Even most of the State Governments have opposed this measure. The Governments of Punjab, West Bengal, Assam, Madras, Kerala, Bihar and Mysore have opposed this. They have expressed the fear that it would cause deterioretion in the Centre-State relations.

It will badly affect the interests of workers. The workers gave their best after declaration of emergancy in 1962 and as such we should take them into confidence about such matters.

Through this Bill we create distrust against State Governments. On the one hand we talk of national integration and on the other hand we bring such a measure which will harm the delicate relationship of Centre and states. The representative of Assam has dubbed this measure as interference in the affairs of States.

The Government can always take action under Article 355 of the Constitution if the law and order situation in the State is not carried on in accordance with the provisions of the constitution.

We should not leave things to the managers of the factories as through this measure we would be giving much authority to the Managing Directors.

This Bill will go against the interests of workers will harm the trade union activities. The police under this Bill will be authorised to search the houses and will be against the democratic principle. This Bill cannot be amended, it has to be ended.

It will create rivalry between the police force to be raised under this Bill and the already existing local police. By bringing this the Government in playing into the hands of the Bureaucracy. I appeal that this Bill may be withdrawn.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Sir, I feel that a long standing need has been fulfilled by this Bill. I want to congratulate the hon. Minister on this.

If the intention of this Bill had been to finish the right to strike or right to hold meetings, I would have been the first to oppose it. We are now nationalising so many your industries and in order to protect them we must have a force.

We have different problems for different States.

We have invested much capital in the Bokaro, Rourkela, Bhilai and other plants and so we must protect them. But the people who will man this force should not be those who have police mentality. They should be ex-army personnel. We have released about 6 thousand Ncos and it is our duty to rehabilitate them. They should be taken in this force.

Moreover there will be right to appeal if the provisions of this Bill are abused. But the last word would be that of the Central Government. I suggest that if one is not satisfied by that then he should be able to move the Supreme or the High Court as provided in Article 226 of the Constitution.

I agree with the right of arrest provided for in clause 10. It is very essential that precaution should be taken against any sabotage and a provision should be made for that. The Security Officers must have the right of arrest. It is not a new thing. Already the customs staff and Excise staff has got such rights. They will be responsible for the security of property worth crores of rupees. Alongwith this I request to ensure that this right is not misused.

Taking into consideration the clause 18(2) it can be said that no arrest would be made in non-congnizable cases. It should remove the apprehensions of our friends on opposite side.

श्री जी० विश्वनाथन (वंडीवाश) : यह जो नया सुरक्षा दल विधेयक बनाया जा रहा है यह अपने प्रकार की विश्व में पहली फोर्स होगी। इस प्रकार की व्यवस्था विश्व के किसी भी देश में नहीं है।

इसकी क्या आवश्यकता है ? क्या पहले ही कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं हैं ? क्या सरकार को राज्य सरकारों पर भरोसा नहीं है अथवा यह उनके अधिकार स्वय लेना चाहती है। केन्द्रीय सरकार को राज्यों के सहयोग से सभी कार्य करने चाहियें। 1962 से 1967 तक हमारे देश में कोई सुरक्षा बल नहीं था। इस समय आपात की स्थिति थी। अब इस की क्या विशेष आवश्यकता हो गई है ? सरकारी उपक्रम पहले ही घाटे पर चल रहे हैं। इससे उन पर और अधिक बोझ पड़ेगा और केन्द्रीय सरकार के संसाधनों पर भी अधिक बोझ पड़ेगा।

इस विधेयक को परित करने का, मेरे विचार में, तो संसद को अधिकार भी नहीं है। यह विषय राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है।

1967 के आम चुनाव के बाद कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें स्थापित हो गई हैं। अब तो राज्यों को अधिक मांगें दिये जाने की मांग हो रही है। इस प्रकार के कानून से तो केन्द्रीय सरकार उनके अधिकारों को कम कर रही है। अब राज्यों की पुलिस के अतिरिक्त एक और बल राज्यों में अराजकता को रोकने के लिये होगा। इस प्रकार दोहरी व्यवस्था होगी। इससे गलतफहमी भी हो सकती है। इस नई व्यवस्था का कांग्रेस के मुख्य मंत्रियों ने भी विरोध किया है। इस बारे में आसाम और मैसूर के कांग्रेसी मुख्य मन्त्रियों के पत्रों का उदाहरण दिया जा सकता है। इस प्रकार इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। कार्मिक संघों ने भी

इसका विरोध किया है। इस बल के कारण प्रबन्धकों और मजदूरों के बीच सम्बन्ध बिगड़ेंगे और औद्योगिक शान्ति भंग होगी।

रेलवे सुरक्षा दल का कार्यकरण हमारे समक्ष है। रेलवे में चोरी होने की वारदातें बढ़ गई हैं। इस नये बल से भी इसी प्रकार के परिणाम निकलेंगे। इस विधेयक के पास हो जाने के बाद सभी मंत्रालय अपने अपने बल रखना चाहेंगे।

यही उचित होगा कि सरकार इस विधेयक को वापिस ले ले, नहीं तो मेरा सदन से अनुरोध है कि इसे अस्वीकार कर दें।

Shri Shashi Bhushan (Khargaon) : I had a chance to go to Durgapur. The workers of water plant there were on strike during those days. I saw that persons belonging to the security wing were also on strike. The entire factory was close for about three months and crores of rupees were lost as a result.

Our public sector factories are engaged in the manufacture of vital equipment for defence also. If proper steps are not taken, it can result in the closure of those factories. This measure will ensure proper running of factories and will curb the disruptive forces.

There are people in our country who encourage strike in industrial and other undertakings of Government. It is very essential to protect the property of those undertakings. This Force will ensure the safety of those undertakings. We know that this type of arrangements exist in many foreign countries. In our country it is very essential to have a force which should provide protection.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं इस विधेयक का कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। इसके द्वारा सरकार राज्य सरकारों के अधिकारों को कम करने जा रही है। मद्रास में नीवेली लिग्नाइट कारपोरेशन है। यह केन्द्रीय सरकार का एक बहुत बड़ा उपक्रम है। वहां राज्य सरकार सभी प्रकार की सहायता करती है। अब वहां केन्द्रीय बल होगा। यह एक उपक्रम सुपर-राज्य बन जायेगा जहां उसका अपना बल होगा। इस बल को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे। राज्य सरकार वहां कुछ नहीं कर सकेंगी।

रेलवे सुरक्षा दल के काम के बारे में हमें जानकारी है। उसके सम्बन्ध में विधेयक के समय हमने उसका विरोध किया था। एक सब-इन्स्पेक्टर किसी भी व्यक्ति को तंग कर सकता है और जो चाहे कर सकता है। इसी तरह का एक मामला मैंने रेलवे मंत्री के ध्यान में लाया है।

अब इस विधेयक के फलस्वरुप देश में एक बड़ी औद्योगिक अशान्ति की लहर खड़ी हो सकती है। अब कार्मिक संघों के अधिकार भी कम होंगे। अब दिल्ली में बैठे आदेश दिये जायेंगे। पहले केन्द्रीय सरकार की सी० आर० पी० है, रेलवे सुरक्षा दल है, सेना है और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल बनाया जा रहा है। इस प्रकार सभी अधिकार केन्द्रीय सरकार के पास आते जा रहे हैं।

अभी 19 सितम्बर को केरल में हमें एक अनुभव हुआ है। वहां श्री गोविन्द मेनन ने कुछ ऐसे वक्तव्य दिये, जो बिल्कुल निराधार हैं। उन्होंने एक वक्तव्य में कहा था कि केरल में दो सरकारें काम कर रही हैं। अब इस विधेयक के द्वारा यह औद्योगिक सुरक्षा दल वहां पर तैनात करना चाहते हैं।

कल को देश के बड़े-बड़े उद्योगपति भी कह सकते हैं कि उनके उपक्रमों में करोड़ों रुपये की सम्पति है। इसलिये वे भी अपनी ही सेना रखना चाहेंगे। प्रबन्ध निदेशक को बहुत अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं। कार्मिक संघों का तो जैसे गला घोंटा जा रहा है। उन्हें उच्चतम न्यायालय में जाना पड़ेगा।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और सदन से अनुरोध करता हूं कि इसे अस्वीकार कर दें।

Shri Naval Kishore Sharma (Dausa): Mr. Chariman, I rise to support this Bill. It is a very important Bill, because it has been brought forward at the opportune time. We all know that the development of a country depends on her industrialisation. We are in the first stage of industrilisation. We can put to an end to monopolistic trades only by industrialisation.

Industrial undertakings in the public sector are of vital importance to usher in economic properity in the country. Success of Public Undertakings depends upon their capacity to add more and more to the production of the country. In order to secure increased production in these undertakings maintenance of industrial peace in them is of paramount importance.

To-day we see that there is no peaceful atmosphere in the country. We saw the Central Government employees token strike on the 19th September, 1968. Attempts are made by certain political elements to disturb the peace and to create an atmosphere of discontentment in our Public Undertakings. We have seen in the recent past that certain State Government did not co-operate in maintaining peace in industries located in their States. It is, therefore, essential that a law should be passed to strengthen the security arrangments in vital industrial undertakings, The present Bill which aims at the creation of Central Industrial security force should be welcomed by all parties.

{उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए}
{**Mr. Deputy Speaker** *in the Chair*}

In this connection I may add that creation of the proposed force will not in any way encroach the juridiction of the State Governments. Maintenance of law and order will continue to be the responsibility of the State. This force will only be used to deal with sabotuces and also for the protection of the property of the Central Government. The General Manager of a Public Undertaking should not feel helpless in the face of a threat to the security of the Public Undertaking. He should be provided with a force to meet such a threat.

Problems of a country cannot be solved by slogans only. We will have to become realistic. A law should be passed according to the need and situation of the country.

I would like to draw the attention of the Home Minister to clause 21 of the Bill which says:—

Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any legal proceeding, whether civil or criminal, which may lawfully be brought against any supervisory officer or member of the force for anything done or intended to be done under the powers conferred by, or in pursuance of, any provision of this Act or the rules thereunder shall be commenced within three months after the act complained of shall have been committed and not otherwise; and notice in writing of such proceeding and of the cause thereof shall be given to the person concerned and his supervising officer at least one month before the commencement of such proceeding.

I think this clause of the Bill appears to be contradictory to section 197 of the Criminal Procedure Code. I request the hon. Minister to examine this clause.

With these words I fully support the Bill.

Shri Shinkre (Panjim): I rise to support the Bill. But it is unfortunate that such a Bill is necessary to protect these undertakings. In fact Public Undertakings are the property of the people and the symbal of the progress of the country and it is our duty to protect them without the help of any law.

It is surprising that the people who have been supporting all along the creation as well as the development of Public Sector Undertakings in the country are now opposing the measures that provide for the protection of Public Undertakings. In fact, the people who support the Public Secter in our economy should also support the present measures which aim at the creation of a Central Force for the protection of the Public Undertakings.

I am of the view that the persons having faith in Public Undertakings should be appointed as Chairman of these Undertakings or should be taken in their management.

The Central Government should take the responsibility of law and order in the country. I am a supporter of the Unity Government in the country.

To-day there is not a peaceful atmosphere in the country. Workers, trade unions take the law in their own hands and try to cause damage to the Government property. Such activities should he stopped by taking suitable measures.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ इस विधेयक का विरोध करना पड़ रहा है क्योंकि यह भारत के सपूत श्री विद्याचरण शुक्ल द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूं कि भारत युद्धप्रेमी बनता जा रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों में इस समय विभिन्न नामों से 15 सेनाएं है। इतनी सेनाओं के होते हुए हम विभिन्न सरकारी उपक्रमों में और सेनाएं बनाने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल भी इन गैर-सरकारी सेनाओं के समान ही होगी। अन्तर केवल यह होगा कि यह सरकार द्वारा बनाई जायेगी।

मैं इस सम्बन्ध में सीमा सुरक्षा दल नैतिक आचरण का कुछ उल्लेख करना चाहता हूँ। मुझे याद है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के समय ये लोग अपना कार्य स्थल छोड़कर भाग गये थे। इतना ही नहीं, जिन क्षेत्रों में ये नियुक्त थे वहां से भागते समय वे लोगों के पशु और सामान ले आये थे। मैंने उस समय कुछ क्षेत्रों का दौरा किया था। उनमें एक स्थान पर मुझे

एक व्यक्ति ने बताया था कि वे लोग मेरी दो भैंस हांक कर ले गये। ये हैं उन लोगों के कारनामे जो जनता की सुरक्षा के लिये नियुक्त किये जाते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि यह केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल किस प्रकार का व्यवहार करेगा।

हम मानव हैं और हमें अपने पिछले अनुभव पर निर्भर करना पड़ता है। मुझे एक सरकारी समिति के सदस्य के रूप में पिम्परी जाने का अवसर मिला था। वहां पर मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र का एक कर्मचारी मिला था। उसके अनुरोध पर मैंने उसके साथ अपना चित्र खिचवाया। मेरे साथ अपना चित्र खिचवाने के लिये उस कर्मचारी को मुअत्तिल कर दिया गया। उस कर्मचारी ने पत्र लिख कर मुझ से प्रार्थना की कि मैं उसे बचाऊं।

इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूँ कि इन उपक्रमों के प्रबन्धक पहले ही बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये लोग प्रधान मंत्री अथवा किसी राज्य के मुख्य मंत्री से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। अब आप केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना करके उन्हें और शक्तिशाली बना रहे हैं। वे पहले ही अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और यदि उन्हें और शक्तिशाली बनाया गया तो वे और अधिक मनमानी करेंगे।

इसमें एक ऐसा खण्ड है जिसके अनुसार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लोग किसी उपक्रम में अनाधिकार प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति को पकड़ सकते हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि इस बात का पता कैसे चल सकेगा कि किस व्यक्ति ने अनधिकार प्रवेश किया है। अतः मैं समझता हूं कि ये लोग इतने अधिकार दिये जाने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि इसके लिये इनमें योग्यता ही नहीं हैं।

सरकार ने सुरक्षा के लिये रेलवे सुरक्षा बल बनाया है। उस पर सरकार बहुत धन व्यय करती है किन्तु वह अपने भरसक प्रयत्न के बावजूद चोरियां आदि रोकने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि सरकारी उपक्रम पहले ही आर्थिक संकट में रहते है और घाटे पर चलते हैं। यदि उनमें केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की व्यवस्था की जायेगी तो उनका वित्तीय भार बढ़ जायेगा और उनकी वित्तीय स्थिति पहले से और अधिक बिगड़ जायेगी।

इसमें एक प्रश्न और पैदा होता है। आज हम उपक्रमों के लिये सुरक्षा बल की व्यवस्था कर रहे हैं, कल को विश्वविद्यालयों के लिये और परसों को संसद के लिये सुरक्षा बल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस प्रकार इस सुरक्षा बल व्यवस्था का कोई अन्त ही नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि ये सरकारी उपक्रम एक परिवार के समान हैं। इनके प्रबन्धकों के परिवार के मुखिया की तरह व्यवहार करना चाहिये। उन्हें कर्मचारियों के साथ परिवार के सदस्यों के समान सोहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाने चाहिये। इन उपक्रमों में पुलिस के अधिकारों वाले सुरक्षा बल की व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं हैं। ये लोग किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण तंग करेंगे। इस प्रकार भारत में पुलिस राज्य हो जायेगा।

हमें बल प्रयोग के स्थान पर एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिये जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार और उत्तरदायित्व को बहुत अच्छी तरह समझे।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि नियुक्त करने वाले अधिकारी को ही अपीलीय अधिकारी बनाया जायेगा तो यह उचित नहीं है । यदि आप चाहते हैं कि इस विधेयक को संवैधानिक औचित्य प्राप्त हो, तो इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिसमें लोग समाजवादी समाज में स्वतन्त्रता पूर्वक रह सकें । प्रबन्धक को इतने अधिक अधिकार देना प्रजातन्त्र में उचित नहीं है । अतः मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक से वह खण्ड निकाला जाये जिसमें किसी उपक्रमक में अनधिकृत प्रवेश करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने का उपबन्ध है ।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, 15 नवम्बर, 1968 / 24 कार्तिक, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok-Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday November 15, 1968/ Kartika 24, 1890 (Saka).